हमारा भारत

आज की समस्याएँ और चुनौतियाँ

कक्षा आठ के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक

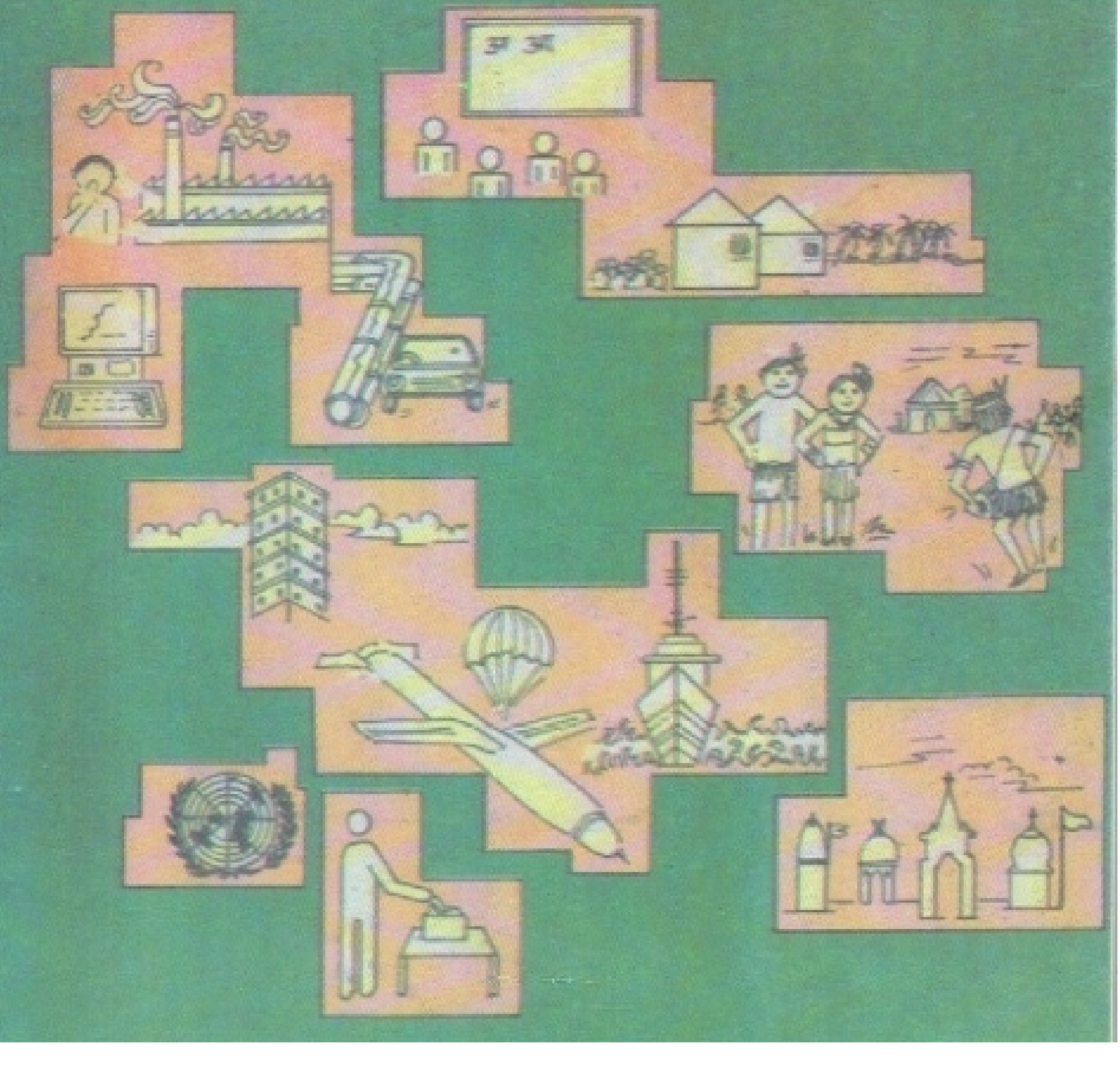

नागरिक शास्त्र

1 बैंक

> तुमने बैंक के बारे में सुना होगा। तुम्हारी जानकारी में लोग बैंक का क्या-क्या उपयोग करते हैं, तीन-चार बातें सोचकर लिखो।

पुराने समय में जो लोग पैसे बचाना चाहते थे, वे पैसों को या सोने-चांदी के सिक्कों को घड़ों में बंद करके ज़मीन के नीचे दबाकर रख देते थे। मगर इसमें हमेशा चोरों का खतरा था। अक्सर वे यह भी भूल जाते थे कि कहां पर धन छिपा कर रखा है। आज भी कई पुराने शहरों में घरों के नीचे ऐसे सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलते हैं।

मगर आजकल बहुत से लोग जो पैसा बचाना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं करते हैं। वे अपने बचे हुए पैसों को बैंक में जमा कर देते हैं। वहां उनका पैसा सुरक्षित रहता है।

बैंक का चौकीदार

तुम सोचोगे कि बैंक में क्या चोरी नहीं होती?

बैंक में कभी चोरी हो भी जाये तो पैसे जमा करने वालों को नुकसान नहीं होता है। क्योंकि बैंक का काम एक खास ढंग से चलता है।

बैंक का कार्य कैसे चलता है? इसके बारे में पाठ में पढ़ो।

बैंक में खाते

बैंकों में पैसे जमा करने से लोगों के पैसे सुरक्षित तो रहते ही हैं, साथ ही उन्हें अपने जमा पैसों पर बैंक से ब्याज भी मिलता है। जितने पैसे जमा किए हैं, जमा करने वाले को कुछ सालों बाद उससे अधिक पैसे वापिस मिलते हैं।

शिक्षक, दुकानदार, किसान, व्यापारी, अफसर, डॉक्टर, वकील - सभी प्रकार के लोग बैंक में खाते खोल कर पैसे जमा करते हैं।

बैंक में पैसे सुरक्षित रखने में लोगों के अलग-अलग उद्देश्य रहते हैं। जैसे दुकानदार व व्यापारी रोज़ पैसे कमाते हैं और चाहते हैं कि दिन भर में आए पैसों को रोज़ बैंक में जमा कराएं। साथ ही रोज़ ज़रूरत के अनुसार (जैसे माल खरीदने के लिए या मज़दूरों को देने के लिए) पैसे निकालें। इन लोगों के लिए बैंक में "चालू खाते" खोलने की सुविधा है। इन खातों में रोज़ पैसा जमा कराया जा सकता है और रोज़ निकाला जा सकता है। इस खाते में जमा किए गए पैसों पर बैंक ब्याज नहीं देती।

लोग अपनी आमदनी में से पैसे बचा-बचा कर बैंक में सुरक्षित रखते जाना चाहते हैं। इनके लिए बैंक में "बचत खाता" खोलने की सुविधा है। जो लोग बचत करने के लिए बैंक में पैसे जमा करते हैं उन्हें

खाते का नियम भी है कि छह महीनों में 50 बार से ज़्यादा पैसे नही निकाले जा सकते हैं। सही भी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बार पैसे निकाले गए तो बचत कैसे होगी? बचत खाते में जमा पैसे पर बैंक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देती है।

कई ऐसे भी लोग हैं जो यह तय कर लेते हैं कि उन्हें अपनी बचत के कुछ पैसे कई महीनों या सालों तक खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पैसे को वे "मियादी जमा खाते" में एक निश्चित समय तक जमा कर देते हैं। इस पर उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलता है।

मान लो कि किसी के पास बचत खाते में 6,000 रुपये जमा हैं। इस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। उसने सोचा, "मैं मियादी खाते में दो साल के लिए 2,000 रुपये डाल देती हूं। मुझे अगले दो साल इन पैसों की ज़रूरत नहीं होगी।"

वह मियादी खाते में रकम जमा करवा देती है। अब उसे इन 2,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। दो साल पूरे होने से पहले वह इस खाते में से पैसे नही निकाल सकती। दो साल बाद उसे ब्याज समेत पैसे वापस मिल जाएंगे।

अगर उसे इस बीच पैसों की बहुत ज़रूरत आ पड़ी और उसे मियाद पूरी होने से पहले पैसे निकालने पड़े तो ब्याज कम दर से लगा के उसे तब तक बनी रकम दे दी जाएगी।

व्यापार के लिये खोले गये खाते को क्या कहते हैं? इस खाते में और मियादी खाते में क्या-क्या अंतर हैं?

बैंक में जमा किए गए अपने पैसों को लोग सुविधानुसार निकाल सकते हैं। खाते में से पैसे निकालने के दो तरीके होते हैं - एक, फॉर्म भर कर निकालना और दूसरा, चेक दे कर निकालना।

एक दिन नीरज के घर पर पैसों की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि अपने खाते से पैसे निकाल लाता हूं। उसका खाता भारतीय स्टेट बैंक में था। उसने बैंक पहुंच कर पैसे निकालने का फार्म मांगा (नीचे इस फार्म का चित्र देखो)। उसने फार्म भर कर खिड़की के पीछे बैठे बाबू को पेश किया। बाबू ने पास बुक मांगी पर नीरज पास बुक घर भूल आया था। उसने बाबू से कहा, "आप तो मुझे पहचानते हैं। पैसे दे दीजिए, मैं आप को पास बुक बाद में दे दूंगा।" बाबू ने कहा, "यह संभव नहीं। बैंक का नियम है कि फार्म के साथ पास बुक दिखाना आवश्यक है।" उसने नीरज को नियम भी पढ़वाया। नीचे दिए गए फार्म पर तुम भी नियम पढ़ो।

नीरज घर गया और पास बुक लेकर आया। पास बुक के साथ उसने पैसे निकाले। उस के बाजू में

पैसे निकालने का फार्म

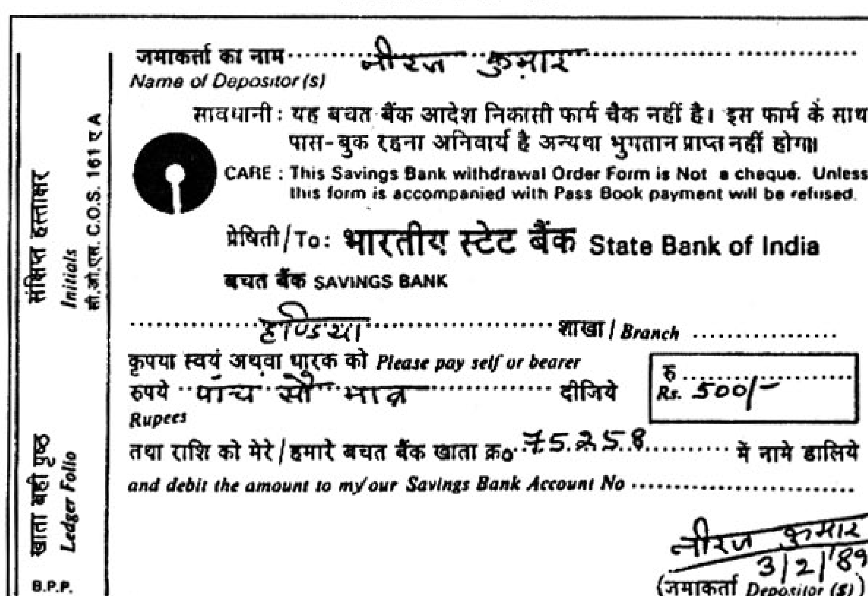
संक्षिप्त हस्ताक्षर Initials
सी.ओ.एस. C.O.S. 161 ए A
खाता बही पृष्ठ Ledger Folio
B.P.P.

जमाकर्ता का नाम .... नीरज कुमार ....
Name of Depositor (s)

सावधानी : यह बचत बैंक आदेश निकासी फार्म चैक नहीं है। इस फार्म के साथ पास-बुक रहना अनिवार्य है अन्यथा भुगतान प्राप्त नहीं होगा॥

CARE : This Savings Bank withdrawal Order Form is Not a cheque. Unless this form is accompanied with Pass Book payment will be refused.

प्रेषिती/To: भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

बचत बैंक SAVINGS BANK

.... हरियाणा .... शाखा / Branch ....

कृपया स्वयं अथवा धारक को Please pay self or bearer

रुपये .. पान्च सौ मात्र .... दीजिये | रु. Rs. 500/-

Rupees

तथा राशि को मेरे/हमारे बचत बैंक खाता क्र० 75258 .... में नामे डालिये

and debit the amount to my/our Savings Bank Account No ....

नीरज कुमार
3/2/89
(जमाकर्ता Depositor (S))

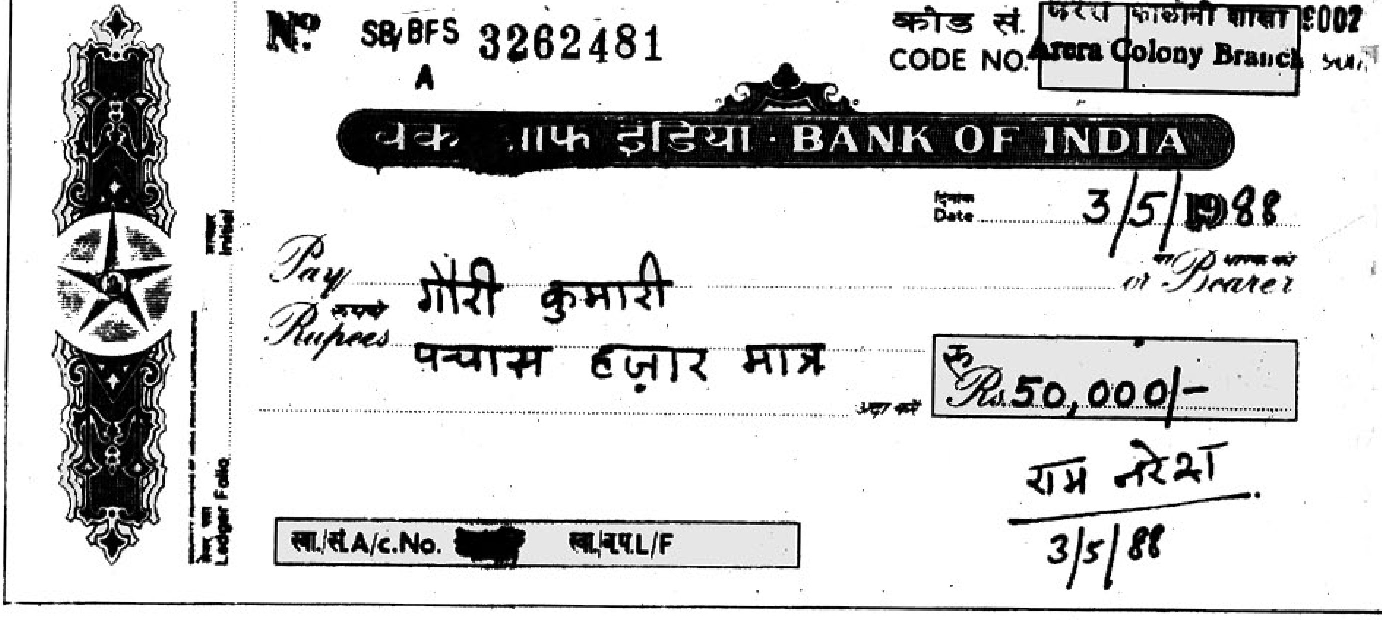
No. SB/BFS 3262481 A

कोड सं. CODE NO. अरेरा कालोनी शाखा Arera Colony Branch 5007

बैंक ऑफ इंडिया · BANK OF INDIA

दिनांक Date 3/5/1988

Pay गौरी कुमारी or Bearer

Rupees पच्चास हज़ार मात्र

रु Rs.50,000/-

राम नरेश 3/5/88

खा./सं.A/c.No. [redacted] खा.प.L/F

Ledger Folio

राम नरेश का चेक, गौरी कुमारी के नाम

एक व्यक्ति खड़ा था जिसने एक दूसरे तरह का फार्म देकर पैसे निकाले। नीरज ने उससे पूछा, "आप के पास पास बुक नही है, पैसे कैसे निकाले।" उसने बताया, "यह चेक है। इस के साथ पास बुक की ज़रूरत नही।"

पास बुक क्या होती है और इसका क्या उपयोग है - गुरुजी के साथ चर्चा करो।

<u>चेक</u>

चेक आजकल रुपए पैसों के लेन-देन में बहुत उपयोग किया जाता है। चेक से हम अपने खाते में से पैसे तो निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी को बड़ी रकम देना चाहता है तो उसके नाम चेक लिख देता है। यदि किसी को दूसरी जगह पैसे भेजना है तो वह चेक लिख कर डाक द्वारा पहुंचा सकता है। व्यापार, धंधे और अन्य प्रकार के लेन-देन के लिए चेक एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

चेक से लेन देन का एक उदाहरण पढ़ो। राम नरेश भोपाल का एक बड़ा व्यापारी है और गौरी कुमारी वही पर एक कारखाने की मालकिन है। राम नरेश का खाता 'बैंक ऑफ इंडिया' में है और गौरी कुमारी का खाता 'पंजाब नेशनल बैंक' में है। राम नरेश ने गौरी कुमारी को 50,000 रु. देने थे। राम नरेश ने गौरी कुमारी के नाम चेक काटा।

चेक पर लिखा है "गौरी कुमारी या धारक को रुपये पचास हज़ार मात्र अदा करें"। गौरी कुमारी के पास चेक पहुंचा। वह अब दो काम कर सकती है। यदि उसे नगद पैसे चाहिए तो वह राम नरेश के बैंक (बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा कालोनी, भोपाल) जाकर यह चेक पेश कर सकती है। वहां बैंक वाले राम नरेश के हस्ताक्षर मिलाएंगे और ये देखेंगे कि उसके खाते में पर्याप्त पैसे हैं या नहीं । तब वे गौरी कुमारी को नगद पैसे देंगे और राम नरेश के खाते में से 50,000 रुपये घटा देंगे।

गौरी कुमारी एक दूसरा तरीका भी अपना सकती

है। वह अपने बैंक के खाते में चेक जमा कर सकती है। अब सब काम बैंक वाले करेंगे। गौरी कुमारी का बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक (भोपाल) राम नरेश के बैंक को यह चेक भेजेगा। राम नरेश का बैंक (यानी बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल) उसके हस्ताक्षर मिलाकर और खाते की जांच कर के गौरी कुमारी के बैंक के साथ हिसाब कर लेगा। राम नरेश का बैंक उसके खाते में से 50,000 रु. घटा देगा और गौरी कुमारी का बैंक गौरी कुमारी के खाते में 50,000 रु. जोड़ देगा।

> *शुरू में राम नरेश के खाते में 65,000 रु. थे और गौरी कुमारी के खाते में 60,000 रु. थे। बैंक में यह चेक जमा होने के बाद इनके खाते में कितने रुपये होंगे, लिखो।*

यदि गौरी कुमारी भोपाल में नहीं, देवास में होती, तब भी वह दूसरा तरीका अपना सकती थी यानी राम नरेश का चेक अपने बैंक के खाते में जमा करा सकती थी।

इस स्थिति में दोनों बैंको के बीच हिसाब चिट्ठी द्वारा किया जाता। राम नरेश के खाते से तो 50,000 रु. ही घटाए जाते पर गौरी कुमारी के खाते में 50,000 रु. से कुछ कम रुपए जोड़े जाते। काटे गए पैसे बैंक अपना कमीशन के रूप में रख लेता है।

क्रॉस चेक

तुम सोचोगे कि यदि यह चेक गौरी कुमारी की बजाय और किसी के हाथ लग जाए तो वह राम नरेश के पैसे निकाल सकता है।

यह खतरा दूर करने का एक तरीका है। राम नरेश चेक पर "या धारक" शब्दो को काट कर इस तरह दो लकीर खीच सकता है। ऐसे चेक को क्रॉस या रेखीकृत चेक कहते हैं।

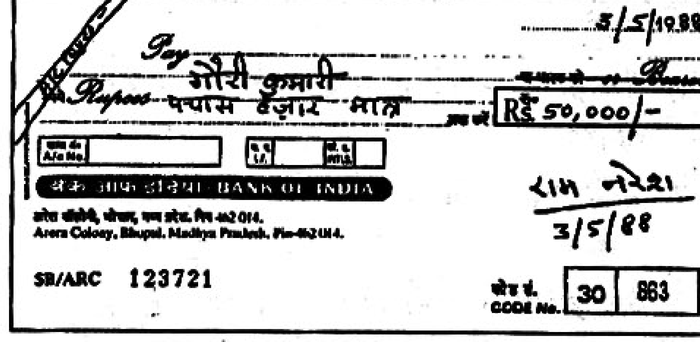
3/5/1988
Pay गौरी कुमारी
Rupees पचास हज़ार मात्र
Rs. 50,000/-
बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA
Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
राम नरेश
3/5/88
SB/ARC 123721
CODE No. 30 863

रेखीकृत चेक

ऐसा करने पर चेक के पैसे नगद में नही प्राप्त हो सकते हैं। गौरी कुमारी भी राम नरेश के बैंक जाकर पैसे नही निकाल सकती है। यानी यह चेक केवल गौरी कुमारी के खाते मे ही जमा किया जा सकता है। कोई और इस चेक से नगद पैसे नही निकाल सकता।

रेखीकृत चेक या क्रॉस चेक लेन-देन का सुरक्षित माध्यम है। ये पैसे बैंक में ही जमा किए जा सकते हैं। यदि किसी तीसरे व्यक्ति के पास ऐसा चेक आ जाए और वह पैसे हड़पना चाहे तो यह आसान नही है। आमतौर से बड़ी मात्रा का लेन-देन रेखीकृत चेको के माध्यम से ही होता है।

जब बैंक मे किसी व्यक्ति का खाता होता है तब बैंक का फर्ज़ है कि उस व्यक्ति के मांगने पर (चेक या फार्म द्वारा) बैंक उसे नगद पैसे दे दे। यदि चेक लिखने वाले व्यक्ति के खाते मे उतने पैसे न हो जितने का उसने चेक लिखा है, तो चेक उसे वापिस भेजा जाता है। नए नियम के अनुसार ऐसा चेक लिखने वाले को सज़ा भी मिल सकती है।

बैंक ड्राफ्ट

चेक से लेन-देन के अलावा बैंक द्वारा लेन-देन का एक दूसरा तरीका है-बैंक ड्राफ्ट।

मान लो तुम्हें नौकरी के लिए अर्जी के साथ 30 रु. भेजने हैं। नौकरी के इश्तहार में लिखा है कि पैसे बैंक ड्राफ्ट या मनी आर्डर से भेजना है।

पता करो --

1. बैंक ड्राफ्ट भेजने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा?

2. मनीआर्डर भेजने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा?

3. बैंक ड्राफ्ट या मनी आर्डर द्वारा जिनको पैसे भेजोगे, उन्हें पैसे किस तरह प्राप्त होंगे?

तुमने राम नरेश और गौरी कुमारी के बीच पैसे का लेन देन देखा। इसी तरह और भी बड़ी मात्रा में खरीदी-बिक्री चलती रहती है और नोट वास्तव में कही हाथ नही बदलते। ड्राफ्ट व चेक से ही लेन देन चलता है। बस, एक के खाते में रकम कम हो जाती है और दूसरे के खाते में जुड़ जाती है। इस तरह व्यापार और लेन-देन में बहुत सुविधा हो गई

खाते में लेन देन का एक अभ्यास करो

फूल सिंह का खाता टिमरनी की भारतीय स्टेट बैंक शाखा मे है। वह एक किसान है। उसने छगन लाल को सोयाबीन बेचा है। छगन लाल ने उसे 5,000 रु. का चेक दिया है। फूल सिंह के खाते मे 7,000 रु. थे। उसके खाते मे छगन लाल का चेक जमा करने के बाद 12,000 रु. हो जाएंगे।

नीचे फूलसिंह की पास बुक की तालिका दी गई है। इसे अपनी कापी में उतारो। छगन लाल का चेक जमा करने की स्थिति इस तालिका में भरो।

फूल सिंह की पास बुक

क्र.	विवरण	निकाली गई रकम	जमा की गई रकम	शेष जमा राशि
1.	पहले से जमा राशि			7,000
2.	छगन लाल का चेक प्राप्त			
3.				
4.				

फूल सिंह अपना घर बनवा रहा था। उसे घर के लिए सीमेंट खरीदना था। सीमेंट की कीमत 8000 रु. थी। उसने सीमेंट व्यापारी कमल गुप्ता को 8000 रु. का चेक दिया। कमल गुप्ता ने चेक अपने खाते मे जमा कराया।

फूल सिंह के मकान पर मज़दूर काम कर रहे थे। मज़दूरी देने के लिए उसे 2000 रु. की ज़रूरत थी। उसने ये 2,000 रु. बैंक से नगद निकाले।

फूल सिंह द्वारा कमल गुप्ता को दिए गए चेक और मज़दूरी के लिए निकाले गए पैसो को फूल सिंह की पास बुक तालिका मे उपयुक्त जगह पर भरो।

इन दोनो भुगतान के बाद फूल सिंह के खाते मे कितने रुपए जमा थे? यह भी तालिका मे उपयुक्त जगह पर भरो।

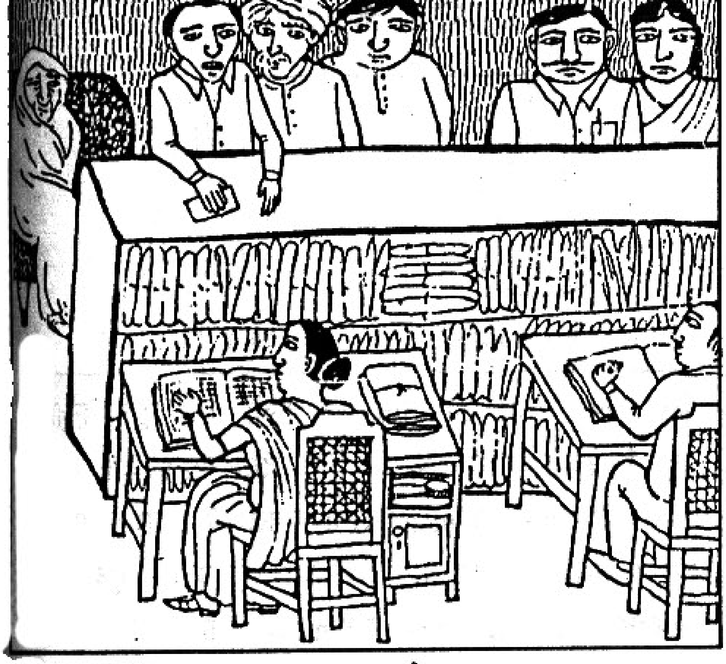

पास बुक भरवाते हुए

है। नोटों की गड्डियां लाने ले जाने की कठिनाई व खतरों से बचा जा सकता है। पैसे दूर कहीं भेजने हों तो डाक द्वारा चेक या ड्राफ्ट भेज सकते हैं। बैंकों की शाखाएं जगह-जगह हैं। चेक के माध्यम से दूर-दूर तक व्यापार और लेन-देन हो सकता है।

बैंक में चोरी

हम ने देखा कि बहुत से लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं। बैंक इन पैसों का क्या करती है? आगे की कहानी पढ़ कर इसका जवाब ढूंढते हैं।

सुबह तड़के ही शहर में सनसनी फैल गई। बैंक मे डकैती हो गई थी। बंदूकों से लैस डाकुओं ने बैंक के चौकीदार पर हमला किया था। चौकीदार के पास बन्दूक थी पर पांच-सात लोगों के सामने वह कमज़ोर पड़ गया था। चौकीदार भी घायल हो गया था। बैंक में डकैती की खबर सुनकर कई बड़े किसान और व्यापारी घबराए। उनके तो खूब पैसे बैंक में जमा थे। किसी के पचास हज़ार तो किसी के दो लाख। कई लोगों की चार-पांच हजार रुपए की बचत पूंजी भी बैंक में थी।

कई लोग सोच रहे थे कि बैंक में जमा उनके पैसे अब उन्हें नहीं मिलेंगे। उनका ख्याल था कि उनके द्वारा जमा किए गए सभी पैसे वहां बैंक की तिजोरी में थे। ऐसा सोचने वालों में से मोहन कुमार भी एक व्यक्ति था। उसके 50,000 रु. बैंक में जमा थे।

लोगों ने बैंक के मैनेजर से मिलने की मांग की। बैंक मैनेजर बाहर आयी और उसने कहा कि किसी का नुक़सान नहीं होगा। जितने पैसे खाते में हैं, उतने पैसों पर उनका अभी भी हक है। डकैती का नुकसान बैंक को ही सहन करना होगा । खातेदारों के सभी पैसे सुरक्षित हैं। इस पर लोग संतुष्ट होकर जाने लगे। मोहन कुमार भी जाने वाला था कि उसने मैनेजर को कैशियर से बात करते हुए सुना, "आज कैश (नोट और सिक्के) कितना था?"

कैशियर ने बताया कि तिजोरी में 50,000 रु. थे। मोहन ने सोचा कि बैंक की तिजोरी में केवल 50,000 रु. थे जब कि मेरे ही खाते में 50,000 रु. हैं। यह कैसे हो सकता है? सभी खातेदारों की रकम जोड़ी जाये तो बहुत होगी, फिर भी तिजोरी में इतने कम नगद पैसे रखे हैं।

खातेदारों के मांगने पर बैंक को नगद पैसे देना ज़रूरी है। फिर इतने कम नगद पैसे से बैंक का काम-काज कैसे चलता है?

बैंक के बाहर खूब भीड़ थी

बैंक का फर्ज़ बनता है कि मांगने पर खातेदारों को नगद पैसे अदा करे। पर बैंक के बहुत से खातेदार होते हैं। कभी भी ऐसा नही होता कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने बैंक आ जाएं। मानो किसी बैंक के 2,000 खातेदार हैं तो किसी एक दिन मे 25-50 लोग नगद मांगने आयेंगे। शायद महीने की शुरुआत मे ज़्यादा और बाद में कम। यदि किसान खातेदार हैं तो बोनी के समय ज़्यादा नगद की मांग होगी और फसल कटने के समय पैसे जमा होंगे। हर दिन कुछ ही लोग नगद पैसे निकालने आते हैं, और कुछ लोग नगद जमा भी करते हैं। बैंकों को अपने अनुभव से पता चल जाता है कि दिन-भर में लगभग कितने नगद पैसों की ज़रूरत हो सकती है। उतने पैसों का बैंक प्रबन्ध रखती है।

एक और कारण से बैंक को बहुत नगद पैसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे तुमने पाठ में देखा, बहुत सा लेन-देन चेक द्वारा होता है। यहां नगद पैसों की ज़रूरत ही नहीं। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में चढ़ जाता है। कई खातेदारों का काम-काज चेक के लेन-देन द्वारा चलता रहता है। इस कारण भी बैंक को बहुत कम नगद पैसे रखने पड़ते हैं।

तिजोरी में सिर्फ 50,000 रु. क्यों थे? तुम्हारे विचार में बाकी पैसों का बैंक क्या करती है?

बैंक के कार्य

बैंक के दो प्रमुख कार्य है - लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की ज़रूरत के लिए कर्ज़ या ऋण देना। यह मानो कि एक ही तराजू के दो पलड़े हैं।

तुमने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के

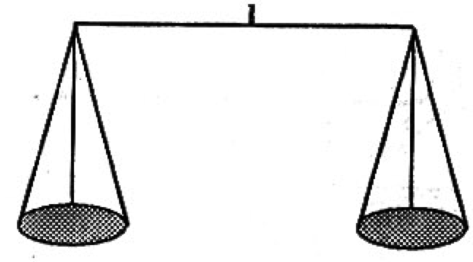

लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज़ा देती है। कर्ज़ा एक निश्चित समय तक के लिए दिया जाता है। उस समय से पहले कर्ज़ा लौटाना पड़ता है। साथ-साथ ऋण लेने वाले को उस पैसे पर ब्याज या सूद भी चुकाना पड़ता है। इसी ब्याज के पैसों से बैंक को आमदनी और मुनाफा मिलता है।

लोगों को कर्ज़ा देने के लिए बैंक के पास धन कहां से आता है? तुमने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं। बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है। कर्ज़दारों से जो ब्याज़ मिलता है, उसी में से पैसे जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है।

तरह-तरह के ऋण

हम ने देखा था कि बहुत सारे लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं और इस तरह एक जगह काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर इन पैसों का उपयोग ऋण देने में किया जाता है। कुछ ऋण योजनाओं के लिए सरकार बैंकों को अलग से पैसे देती है। इस तरह बैंक कई प्रकार के छोटे-बड़े ऋण देती है।

बैंक के कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो कि उद्योग, बड़े व्यापार और धंधों के लिए दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए -

नर्मदा सोयाबीन कंपनी ने सोयाबीन तेल निकालने का एक और कारखाना लगाना चाहा। उसके प्रबंधक,

बैंक का लोगों के साथ संबंध

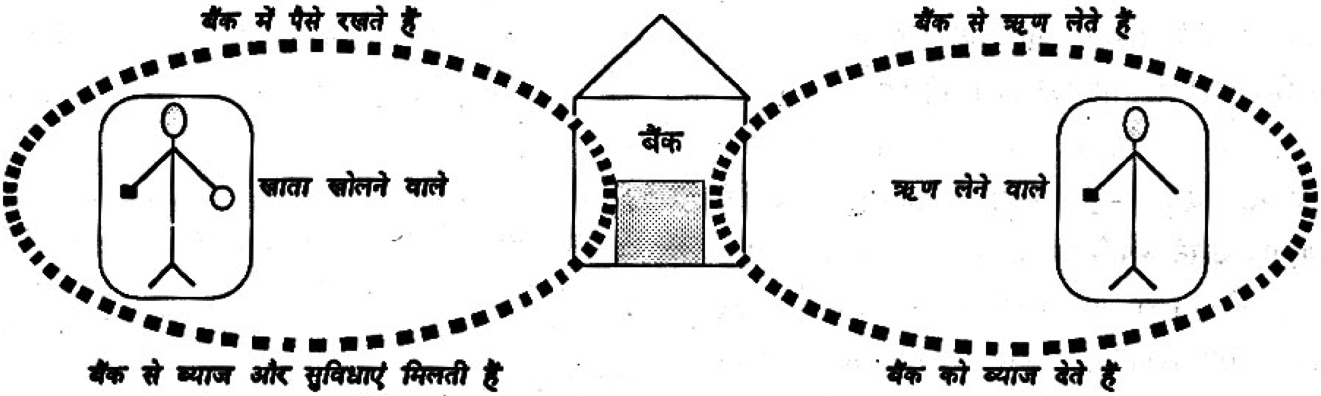

चित्र के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दो:
1. बैंक को ऋण लेने वालों से क्या फायदा होता है?
2. बैंक मे खाता खोलने से लोगों को क्या फायदा होता है?
3. यदि बैंक ऋण देना बन्द कर दे तो क्या होगा?

प्रकाश अरोड़ा ने पैतालिस लाख रुपऐ की ऋण योजना बना कर बैंक को प्रस्ताव दिया। बैंक के अधिकारियों ने योजना का अध्ययन किया और उनसे बातचीत की। उन्हें विश्वास हो गया कि यह कारखाना चल पायेगा। उन्होंने ऋण मंज़ूर कर दिया। कंपनी ने अपनी स्वयं की पूंजी दस लाख रुपये भी लगाई थी। बैंक ने खरीदी गई मशीनें, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नाम पर गिरवी रखीं। यदि कारखाना नही चला तो वह मशीनें बेच कर अपना कर्ज़ वापस प्राप्त कर सकती है। ऋण पर 16.5% ब्याज की दर रखी गई। जैसे-जैसे कंपनी मे तेल का उत्पादन होगा यह ऋण किश्तों मे लौटाया जायेगा।

इसी तरह धंधे और व्यापार के लिए बहुत से कर्ज़ दिये जाते हैं। किसी को मशीनें खरीदनी हैं; किसी को कारखाना चलाने के लिए कर्ज़ चाहिए; किसी को ट्रक खरीदना है; किसी को दुकान डालनी है आदि। ऐसे ऋण की ज़रूरत बैंक पूरी करती है और अपने नियमों के अनुसार ब्याज वसूल करती है।

बैंक एक दूसरे प्रकार का ऋण भी देती है जो कि सरकारी योजनाओं से संबंधित है। सरकार का एक उद्देश्य है कि खेती का उत्पादन बढ़ाया जाए। बैंक खेती के लिए कई प्रकार के ऋण देती है - खाद, बीज की खरीदी के लिए, कुआं खुदवाने के लिए; बिजली मोटर के लिए, पशु खरीदने के लिए, ट्रैक्टर, थ्रेशर के लिए, ज़मीन सुधार के लिए आदि।

उदाहरण के लिए - धन्ना लाल और बद्री प्रसाद ने लोन की अर्ज़ियां डाली थीं। धन्ना लाल के पास कुल आठ एकड़ ज़मीन थी। उसे फसल बोने के समय खाद और बीज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। फसल बेचने पर वह ये पैसे लौटा देगा। धन्ना लाल को

फसल कटने पर बैंक को वह यह पैसे 10% ब्याज सहित लौटा देगा।

बद्री प्रसाद के पास तो तीस एकड़ ज़मीन थी। उसने ट्यूब वेल के लिए लोन की अर्ज़ी दी थी। उसके पास 10,000 रु. थे और वह बैंक से 15,000 रु. ऋण चाहता था। वह 5-10 सालों में किश्तों में ये पैसे लौटाएगा। उसने अपनी ज़मीन बैंक के पास रहन रखी। यदि वह लोन न लौटाए तो बैंक उसकी ज़मीन बेचकर पैसे वसूल कर सकती है। उसे 12.5% ब्याज भरना होगा। दोनों की अर्ज़ियां मंजूर हो गईं। दोनों के नाम से बैंक में खाते खुल गए। इन खातों में ऋण की रकम दर्ज़ करा दी गई। अब दोनों अपने-अपने खाते से खाद-बीज या ट्यूब-वेल के लिए पैसे निकाल सकते हैं।

इसी तरह सरकार की कई और ऋण योजनाएं हैं। शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार के साधन दिलाने के लिए स्व-रोज़गार ऋण योजना है। कोई भी व्यक्ति, जिसने दसवी पास की है, और जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष है और जिस के परिवार की कुल वार्षिक आमदनी 10,000 रु. से अधिक नही है, वह इस योजना का फायदा उठा सकता है। उदाहरण के लिए कमला चौहान ने इस योजना के अंतर्गत रेडीमेड-कपड़े की दुकान डालने के लिए 25,000 रु. का ऋण लिया। उसमे से 7,000 रु. की छूट या सब्सिडी है। उसे केवल 18,000 रु. ब्याज सहित लौटाने होंगे।

मेनेजर से ऋण की बातचीत

ऋण देती है जैसे - साइकल दुकान; आटा चक्की; मशीन सुधार की दुकान; जूते की दुकान; खुद का साइकल रिक्षा, आटो रिक्षा; सिलाई मशीन आदि के लिये।

इस तरह अलग-अलग योजना या स्कीम के अंतर्गत बैंक ऋण देती है।

> *ऋण तो साहूकार भी देता है फिर उसके और बैंक के काम में क्या अंतर है?*

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

आज लगभग सभी बैंक सरकार के हैं। शायद यह सोचना भी मुश्किल होगा कि कभी ये बैंक लोगों के निजी होते थे। जैसे आज किसी व्यक्ति की खेती होती है, किसी की दुकान होती है और कुछ लोग कंपनी बनाकर कारखाने चलाते हैं, इसी प्रकार पहले बैंक का काम करने वाली कुछ निजी कंपनियां थी। कंपनी चलाने वाले तय करते थे कि वे पैसा कहां लगायेंगे और शाखाएं कहां खोलेंगे।

परन्तु 1969 में सरकार ने सभी मुख्य बैंको को अपने अधिकार में ले लिया। अब इन बैंको की मालिक सरकार बन गई है। यह परिवर्तन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अब सरकार तय करने लगी कि बैंको का पूरा कामकाज कैसे चलेगा।

राट्रीयकरण के बाद बैंकों की अनेक शाखाएं खोली गईं। इससे बैंक की सेवाएं बहुत लोगों को उपलब्ध हो सकी। खासकर ग्रामीण इलाको मे और छोटे शहर व कस्बो मे बैंको का बहुत फैलाव हुआ।

राष्ट्रीयकरण के साथ कुछ और बदलाव भी आए। पहले बैंक वही ऋण देती थी जिसमे उसे अधिक लाभ होता हो। अब इस प्रकार के व्यापारिक ऋण के अलावा, बैंको ने कई विशेष ऋण देने शुरू किए जो कि राष्ट्रीय विकास की योजनाओ से संबंधित हैं।

पाठ का सारांश

इस पाठ में हमने पढ़ा कि बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं - खाते खोलना और ऋण देना। तीन प्रकार के खाते होते हैं। मियादी, बचत और चालू। बैंक कई सुविधाएं देती है जैसे कि पैसों को सुरक्षित रखना, चेक के माध्यम से लेन-देन की व्यवस्था करना और ऋण देना। खातेदार जब चाहे, बैंक के नियमानुसार, पैसे निकाल सकते हैं। बैंकों में जमा पैसों का उपयोग ऋण देने के लिए किया जाता है। बैंक कई प्रकार के ऋण देती है। ऋण द्वारा बैंक ब्याज कमाती है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद बैंक के काम काज में बहुत परिवर्तन आया। बैंकों की शाखाओं का फैलाव हुआ और बैंको ने कई विशेष ऋण योजनाएं शुरू की।

o o o o o o o o

अभ्यास के प्रश्न

1. नीचे दी गई तालिका में जानकारी गलत स्थानों में लिखी गई है। इस तालिका को सुधार कर अपनी कॉपी में लिखो।

बैंक खाता	ब्याज दर	पैसे निकालने के नियम
चालू खाता	10%	6 महीने में केवल 50 बार
बचत खाता	0%	निश्चित समय से पहले नहीं निकाल सकते
मियादी खाता	5%	कोई रोक नही है

2. बैंक में पैसे रखने से क्या कोई कठिनाई भी हो सकती है? सोचकर लिखो।
3. तुम्हें 2,000 रु. की ज़रूरत है। तुमने अपनी बहन को चेक काट कर दिया और उसे पैसे लाने के लिए भेजा। अपनी कॉपी में यह चेक लिखो?
4. चेक द्वारा लेन-देन से क्या सुविधाएं हो गई है?
5. रेखीकृत चेक, साधारण चेक की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित क्यों है?
6. बैंक में जमा पैसों का कुछ हिस्सा ही नगद तिजोरी में रखा जाता है। ऐसा क्यों है और इस से बैंक को क्या लाभ होता है?
7. (अ) यदि बहुत से खातेदार बैंक में पैसा रखना पंसद न करें तो बैंक के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
   (ब) यदि बहुत से ऋण माफ कर दिए जाएं तो बैंक के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
8. बैंक को मियादी खाते पर ब्याज .... होता है। बैंक को ऋण पर ब्याज ....है।
   आमतौर पर, मियादी खाते की ब्याज दर या ऋण की ब्याज दर अधिक होती है? ऐसा क्यों होता है?
9. कृषि के ऋण के बारे में दिया गया उदाहरण फिर से पढ़ो और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो :
   क) यदि धन्ना लाल और बद्री प्रसाद लोन/कर्ज़ न लौटाएं तो बैंक क्या कर सकती है?
   ख) धन्ना लाल और बद्री प्रसाद का ऋण वापस करने का समय अलग क्यो है?
   ग) धन्ना लाल और बद्री प्रसाद जैसे ऋण योजना से सरकार का क्या उद्देश्य पूरा होता है?
   घ) मान लो इस वर्ष वर्षा ठीक नहीं होती है और इस कारण किसानों की फसल आधी नष्ट हो जाती है। इस समय एक व्यक्ति का कहना है कि ऋण आधा माफ कर देना चाहिए और दूसरे व्यक्ति का कहना है कि अगले वर्ष की फसल देखकर वसूल करना चाहिए। तुम्हारी राय में बैंक को क्या करना चाहिए और क्यों?
10. साहूकार की ब्याज दर बैंक की ब्याज दर से अधिक है फिर भी बहुत सारे लोग साहूकार से ऋण लेते हैं। इसके क्या-क्या कारण है? कक्षा में चर्चा करो और तर्क देते हुए इसका उत्तर लिखो।

बजट

अखबारों में बजट की खबरें

तुमने बजट की खबरें देखीं। कहीं लिखा था "पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाए जाने पर रोष" तो कहीं लिखा था "किसान कर्ज़ मुक्ति हेतु 1,000 करोड़ रुपये"। यह सब था बजट का शोर गुल जिसमें सरकार अपनी एक साल की आमदनी (आय) और खर्च (व्यय) के बारे में बता रही है। बजट का एक हिस्सा आमदनी का होता है - जिस में बताया जाता है कि इस वर्ष सरकार के पास पैसे कहां-कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कर या टैक्स किस पर बढ़ाया जा रहा है और उस से कितने पैसे मिलेंगे। बजट का दूसरा हिस्सा खर्च के बारे मे जानकारी देता है कि इस वर्ष सरकार किन चीज़ों पर खर्च करेगी - जैसे रक्षा पर कितना, योजनाओं पर कितना, सरकार चलाने पर कितना आदि। तुम्हें शायद मालूम होगा कि सरकार का वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिना जाता है। तुमने चित्र मे जो बजट की खबरें पढ़ीं वे 1990-91 की बजट की खबरें हैं। यानी 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1991 तक के आय और व्यय के बारे मे बताया गया है।

केंद्र सरकार का बजट केंद्र के वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं। संसद में बहस होती है और स्वीकृति मिलने पर बजट लागू होता है।

उसी तरह राज्यों में भी राज्य के वित्त मंत्री अपनी-अपनी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का बजट भोपाल मे विधानसभा मे बैठे विधायकों के सामने रखा जाता है। विधानसभा में भी बहस होती है और राज्य के बजट को स्वीकृति दी जाती है।

ऊपर दिए चित्र में खबरों को पढ़ कर बताओ कि कौन-कौन सी बातें सरकार के खर्च (व्यय) के बारे में हैं।

अलग-अलग कर

तुमने खबरें पढ़ते समय देखा कि सरकार के पास आमदनी का स्रोत अलग-अलग प्रकार के कर हैं। सरकार कई तरह के कर लगाती है। जैसे :

बिक्री कर - वस्तुओं को बेचते समय यह कर लगाया जाता है।

उत्पादन कर - वस्तुओं के उत्पादन होने पर या बनाने पर यह कर लगाया जाता है।

सीमा शुल्क - दूसरे देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में लाने से पहले यह कर देना होता है।

आय कर - व्यक्तियों की वार्षिक आमदनी पर यह कर लगाया जाता है।

निगम कर - कंपनियों के वार्षिक मुनाफे पर यह कर लगाया जाता है।

बिक्री कर और उत्पादन कर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इकट्ठा करती हैं जबकि सीमा शुल्क, आय कर और निगम कर केवल केंद्रीय सरकार इकट्ठा करती है।

तुम कई दूसरे करों से परिचित हो जो कि पंचायत, नगर पलिका या नगर निगम वसूल करते हैं। ऐसे करों के पांच उदाहरण बताओ।

बिक्री कर

कमला और उसके पिताजी टी.वी. खरीदने दुकान पर पहुंचे। फरवरी का महीना था। सभी कह रहे थे कि आने वाले बजट में टी.वी. के दाम बढ़ जाएंगे। कमला के परिवार ने तय किया था कि मार्च से पहले टी.वी. खरीद लेंगे। दुकान पर अलग-अलग टी.वी. देखे। दुकानदार बार-बार कहता "इस टी.वी. का दाम टैक्स जोड़ कर 2,500 रु. है। उस टी.वी. का दाम टैक्स जोड़ कर 3,400 रु. है।" आखिर कमला के पिताजी ने टी.वी. खरीद ही लिया। दुकानदार ने बिल दिया। उस पर लिखा था :

टी.वी.	3,000 रु.
बिक्री कर 8%	240 रु.
कुल	3,240 रु.

कमला के परिवार को टी.वी. खरीदते समय 240 रु. बिक्री कर देना पड़ा। कमला के पिताजी ने दुकानदार को 3,240 रु. दिये जिसमें से 3,000 रु. दुकानदार रख लेगा और 240 रु. बिक्री कर के पैसे सरकार को देगा।

इस तरह जब हम साबुन, तेल, जूते, खाद, दवाई, चीनी, वनस्पति आदि खरीदते हैं तो हमें बिक्री कर चुकाना होता है। दुकानदार इसे दाम में जोड़कर वसूल कर लेता है।

पर सरकार कर लेती है। इसे बिक्री कर कहते हैं। इसे दुकानदार चुकाता है और खरीददार से वसूल करता है।

मध्य प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों की सरकारें अब बिक्री कर के इस रूप के बजाए व्यापारियों से अलग ढंग का कर वसूल करने की सोच रही हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना है?

खरीददार से बिक्री कर कैसे वसूल किया जाता है?

उत्पादन कर

वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक और टैक्स है जिसे उत्पाद शुल्क या उत्पादन कर कहते हैं। यह कारखानों में सामान के बनाने या उत्पादन होने पर वसूल किया जाता है। कारखाने में बने सामान को बेचने के लिए बाहर ले जाने से पहले उस पर उत्पादन कर भरना होता है। उत्पादन के हिसाब से कारखाने के मालिक या अफसर सरकार को इस कर के पैसे पर नहीं लगाया जाता। कृषि के उत्पादन पर कोई कर नहीं लगता। यदि किसान गन्ने का उत्पादन करता है, तो उसे उत्पादन कर नहीं देना पड़ता। किन्तु शक्कर कारखाने में चीनी के उत्पादन पर कारखाने के मालिक को उत्पादन कर भरना होता है।

खरीददार पर भार

उत्पादन कर कारखाने से तो वसूल किया जाता है पर इस का बोझ ख़रीददार को ही सहन करना पड़ता है। कारखाने वाले, दुकानदार की तरह, कर की रकम लागत में जोड़ कर बेचते हैं। जैसे, अनीता बिजली कंपनी रंगीन टी.वी. बनाती है। मुनाफा जोड़ कर एक टी.वी. की लागत मानो 5,000 रु. है। कंपनी ने टी.वी. पर 2,500 रु. का उत्पादन कर सरकार को भरा। यानी टी.वी. कुल कीमत 7,500 रु. में कंपनी ने व्यापारी को बेचा। इसके बाद व्यापारी का मुनाफा और बिक्री कर जोड़ कर टी.वी. खरीददार को 9,000 रु. का पड़ा। यानी बिक्री और उत्पादन कर दोनों खरीददार को ही सहन करना होता है।

बिक्री कर और उत्पादन कर में क्या अंतर है?

उत्पादन कर का प्रभाव

किसी एक वस्तु को बनाने के लिए बहुत सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसा कि साइकिल बनाने के लिए स्टील (इस्पात) के पाइप चाहिए। स्टील के कारखाने को स्टील बनाने के लिए लोहा और कोयला चाहिए। यदि लोहे पर कर बढ़ता है तो इस का प्रभाव साइकिल पर भी होगा। साथ ही साथ लोहे से बनने वाली सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लोहे से इस्पात बनता है और इस्पात से बनने वाली सभी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे। इस तरह लोहे पर कर बढ़ाने का प्रभाव बहुत दूर तक फैलता है।

यहां दिए रेखाचित्र में, खनिज तेल कुएं से निकलकर हम तक कैसे और किन रूपों में पहुंचता है, यह बताया गया है।

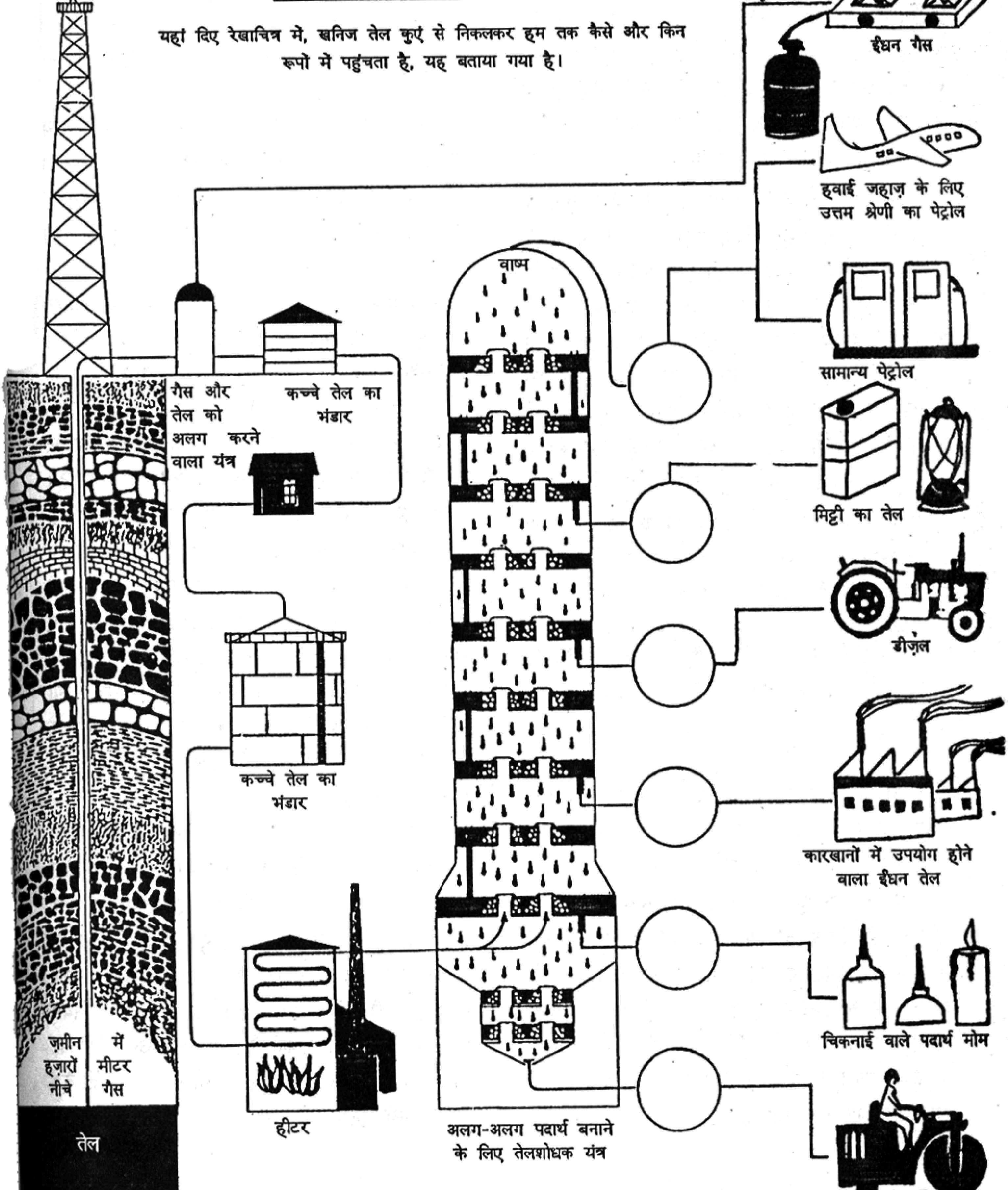

पिछले पृष्ठ पर दिये चित्र को देखो। इसमें दिखता है कि खनिज तेल से कितनी सारी वस्तुएं बनती हैं। खनिज तेल से पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े, खाद, फरनेस तेल आदि चीज़ें बनती हैं। यदि खनिज तेल पर कर बढ़ा दिया जाए तो इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे।

पेट्रोल, डीज़ल आदि अन्य वाहनों को चलाने में उपयोग किए जाते हैं। जैसा डीज़ल से ट्रक, रेलगाड़ी, ट्रेक्टर, बस, जीप आदि चलती हैं। पेट्रोल मोटरगाड़ी, स्कूटर आदि वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। डीज़ल के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा? फिर ट्रक, जीप आदि वाहनों को चलाना और महंगा हो जाएगा। इस से जो वस्तुएं ट्रक व रेलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, उन को लाना ले जाना मंहगा हो जाएगा। इससे उन वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे।

किसी एक वस्तु पर उत्पादन कर बढ़ाने से उसका प्रभाव उन सभी वस्तुओं के दाम पर होता है जिन में उसका उपयोग किया जाता है।

> *यदि लोहे पर टैक्स बढ़े तो किन चीजों पर प्रभाव होगा? कुछ उदाहरण बताओ!*

सीमा शुल्क

बिक्री कर और उत्पादन कर के अलावा एक और प्रकार का कर कुछ वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसे कहते हैं सीमा शुल्क। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा से लौटते समय अपने साथ एक वी.सी.आर. लाता है। उसे अपने देश के हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क भरना होगा, तभी उसे वी.सी.आर. ले जाने देंगे। कई कारखानों के लिए मशीनें या कच्चा माल विदेश से मंगवाना होता है। इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगता है।

> *जिन वस्तुओं पर सरकार सीमा शुल्क लगाती है उन पर उत्पादन कर क्यों नहीं लगा सकती है?*

आयकर

वस्तुओं पर लगाए गए करों के अलावा सरकार अन्य प्रकार के कर भी वसूल करती है जैसे, **आय कर या आमदनी पर कर**। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ आमदनी होती है। सरकार कुछ व्यक्तियों से उनकी आमदनी का एक हिस्सा लेती है।

राम सिंह बहुत ग़ौर से टी.वी. देख रहे थे। बजट प्रस्ताव के समाचार टी.वी. में बताये जा रहे थे। अचानक वे चिल्ला पड़े "बच गया, बच गया ....।" उनके बच्चे दौड़े आये और देखा कि पिताजी "बच गया, बच गया" कह रहे हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं पर आस-पास कोई ख़तरा नहीं दिख रहा है। उनकी पत्नी ने पूछा, "किस से बच गये, कहां है वह आदमी?" राम सिंह ने कहा, "कोई आदमी से ख़तरा नहीं है। मैं आयकर से बच गया। अभी-अभी टी.वी. में बताया है कि वर्ष 1990-91 के लिए आयकर की छूट की सीमा 18,000 से बढ़ा कर 22,000 कर दी गई है। इस से मुझे फायदा होगा क्योंकि अब मेरी वार्षिक आमदनी छूटकी सीमा के अंदर है, इसलिए आमदनी कर से बाल-बाल बचा - तो खुश क्यों न हूं।"

आयकर व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार भरता है। परन्तु यह कर केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनकी पूरे वर्ष की आमदनी 22,000 रु. से ऊपर है। तुम ने देखा कि यह 1990-91 के बजट का नियम था। इस से पहले वर्ष 1989-90 आयकर की छूट की सीमा 18,000 रु. थी। ये नियम हर साल बदले जा सकते हैं। आयकर उन लोगों पर नहीं लगाया जाता जिनकी आमदनी खेती से होती है। मानो किसी किसान के पास बहुत सारी ज़मीन है जिस

उसकी वार्षिक आमदनी पर कोई कर नहीं है चाहे वह एक साल में कितने भी रुपए कमा ले।

अ) इन में से कौन से कर व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं और कौन से वस्तुओं पर : उत्पादन कर, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर

ब) इन में से कौन आयकर देंगे और कौन नहीं देंगे, कारण साहित बताओ :

छोटा किसान, बड़ा किसान, शहर के बाज़ार में मज़दूर, बड़ी कंपनी का मैनेजर, खेतीहर मज़दूर, बड़ा व्यापारी, सहायक शिक्षक, प्रधान मंत्री।

नीचे दी गई तालिका में आयकर की रकम और दर बताई गई हैं। यह 1990-91 के नियमानुसार है।

वार्षिक आमदनी	आयकर	दर (आमदनी का हिस्सा %)
22,000	शून्य	शून्य
25,000	600	2.4
50,000	7,600	15.2
1,00,000	27,600	27.6
2,00,000	77,600	38.6

इस तालिका को देख कर कह सकते हैं कि सभी को अपनी आय का बराबर हिस्सा आय कर में नही भरना होता है। 25,000 रु. कमाने वाला व्यक्ति 2.4% कर में देता है और 50,000 रु. कमाने वाला 15.2% कर में देता है। यह भी दिखता है कि जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे-वैसे कर की दर भी बढ़ती है। यानी अधिक आमदनी वाले को अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कर में भरना होता है। आमदनी कर की सब से अधिक दर 50% है। यानी

कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी कमाए, अपनी आमदनी का आधे से कम हिस्सा टैक्स में देता है।

कांती की आमदनी 40,000 रु. प्रति वर्ष है और उसे 4,600 रु. आयकर देना पड़ता है। कमलेश की वार्षिक आमदनी 60,000 रु. है, उसे 11,600 रु. आमदनी कर देना पड़ता है।

1. कौन अधिक आमदनी कर देता है?

2. किसे अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में देना पड़ता है?

3. यदि कमलेश और कांती की आमदनी उतनी ही रहें पर कमलेश को 11,600 रु. के बजाए 6,000 रु. आमदनी कर देना पड़े तो कौन अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में देगा। ऐसी स्थिति में अधिक आमदनी वाला अपने आमदनी का ....कम/अधिक/बराबर हिस्सा कर में दे रहा है।

4. आयकर के नियमानुसार अधिक आमदनी वाला अपनी आमदनी का .... अधिक/कम/बराबर हिस्सा कर में देता है।

निगम कर

व्यक्तिगत आमदनी कर के अलावा कारखानों या धंधे चलाने वाली कंपनियों को कर देना होता है। कंपनियों या धंधों में आमदनी होती है। इस आमदनी में से होने वाले सब खर्चों (कच्चा माल, वेतन आदि) को काट कर जो बचता है उसे कारखाने या कंपनी का मुनाफा कहते हैं। इस मुनाफे पर, नियमानुसार, निगम कर देना पड़ता है।

सरकार की आमदनी और उसके हिस्से

हम ने शुरू के चित्र में देखा कि बजट में कर की खूब बातें होती हैं। परन्तु इन करों को मिला कर सरकार को कितने पैसे मिलते हैं? केंद्रीय सरकार की आमदनी के हर रुपये में से आठ आने से ज़्यादा इन करों से प्राप्त होता है। यानी सरकार की कुल आय का 50% से अधिक हिस्सा। इसलिए तो बजट में करों के बारे में इतनी बातचीत होती है। यदि हम 1990-91 का बजट देखें तो पायेंगे कि 53% इन करों से प्राप्त हुआ और 47% अन्य स्रोतों से। हम चित्र द्वारा एक रुपए के हिस्सों के रूप में इस बात को कह सकते हैं।

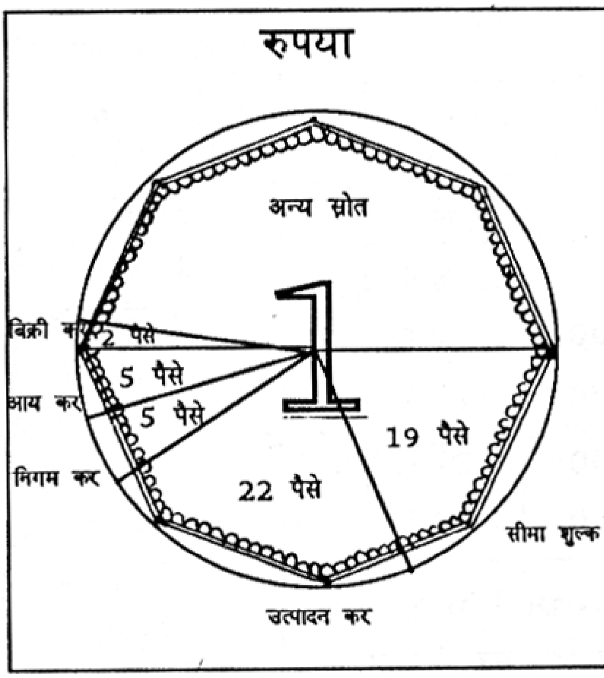

केंद्रीय सरकार की आमदनी - एक रुपए के हिस्से

आमदनीकर से सरकार की आय

सरकार को सभी करों से आमदनी होती है। सरकार को यह तय करना पड़ता है कि किसी एक कर से कितने पैसे इकट्ठा करना चाहिए।

होती है। अपने देश में 100 में से 65 लोग कृषि में लगे हुए हैं। और सरकार ने कृषि से होने वाली सभी आमदनी को करो से मुक्त कर दिया है। इस तरह आमदनी कर देने के लिए वैसे भी 100 में से 35 लोग ही बचे। इन में से भी उन सब लोगो को आयकर नहीं देना होता जिनकी आमदनी छूट की सीमा से कम है। उदाहरण के लिए, 1983-84 में 100 में से केवल एक व्यक्ति को ही आमदनी कर देना पड़ा था। बहुत कम लोगों से आमदनी कर इकट्ठा किया जाता है।

आमदनी कर इकट्ठा करने में बहुत सी दिक्क़तें हैं। कई लोग अपनी पूरी आमदनी नही बताते या कम बताते हैं। इस छिपाई गई आमदनी को **काला धन** कहा जाता है। कई कारखाना मालिक, सेठ साहूकार, व्यापारी, प्राइवेट धंधे करने वाले अपनी आमदनी आसानी-से कम बता सकते हैं। जिन लोगों को हर महीने वेतन मिलता है, उनकी आमदनी का हिसाब लगाना आसान है। उनकी आमदनी पर कर सीधे ही कट जाता है। पर कई वेतन पाने वाले लोगो की आमदनी के अन्य स्रोत होते हैं जिन्हें वे छिपाते हैं। ऐसे लोग, चाहे वे कर्मचारी, अफसर, मंत्री, बाबू कोई भी हो, कई बार अपनी आमदनी सही नहीं बताते। चूंकि कृषि की आमदनी पर कोई कर नहीं होता, तो कई लोग कुछ ज़मीन रखते हैं और अन्य स्रोतों की आमदनी को उस ज़मीन से हुई ऊंची आमदनी बताते हैं।

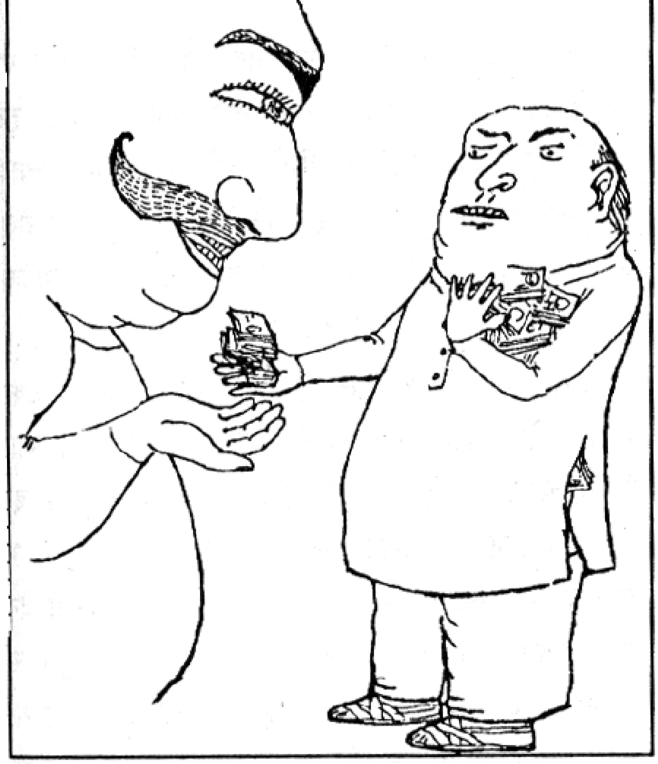

कर की चोरी

इस तरह बहुत से लोग "कर की चोरी" करते हैं और **"काला धन"** यानी वह धन जिस पर टैक्स दिया जाना था पर नहीं दिया गया, इकट्ठा होता जाता है। इस काले धन को निकलवाने के लिए आयकर विभाग कई लोगों के यहां छापे मारता है। इस प्रकार आयकर से बहुत अधिक पैसा नहीं इकट्ठा होता। जैसा कि तुमने देखा कि सरकार की आमदनी के हर रुपए में से 5 पै. ही आयकर से मिलते हैं। वस्तुओं पर लगाए गए करों, जैसे उत्पादन कर, सीमा शुल्क व बिक्री कर से सरकार को बहुत पैसे प्राप्त होते हैं।

वस्तुओं पर कर से सरकार की आय

वस्तुओं पर कर ज़्यादा आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है चूंकि इन्हें कम जगहों से इकट्ठा करना पड़ता है। उत्पादन कर कारखानों से, बिक्री कर दुकानों से और सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बंदरगाहों से इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए करोड़ो अलग-अलग लोगों से हिसाब नहीं करना पड़ता। उत्पादन या बिक्री कम बता कर वस्तुओं पर करों की चोरी भी होती है। पर वस्तु छिपाना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही वस्तुओं पर कर देने वाला (कारखाना मालिक या दुकानदार) खरीदने वाले से कर के पैसे वसूल लेता है - इसलिए वह ज़्यादा आसानी से कर के पैसे दे भी देता है। इस तरह सरकार को वस्तुओं पर कर से काफी आमदनी होती है।

वस्तुओं पर कर इकट्ठा करने में क्या आसानी होती है और आयकर इकट्ठा करने में क्या दिक्कतें आती हैं?
सरकार अपनी आमदनी के हर रुपये में से कुल मिलाकर वस्तुओं पर कर से कितने पैसे वसूल करती है? (सरकार की आमदनी के एक रुपये का चित्र देख कर बताओ)।

हमने देखा कि सरकार का बजट उसकी आमदनी और खर्च का प्रस्ताव है। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा करों से प्राप्त होता है। कई अलग-अलग प्रकार के कर हैं। कुछ कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं और कुछ कर व्यक्तियों पर। इन के बारे में हमने कुछ जाना। वस्तुओं पर लगाए गए करों का लोगो पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में आगे पढ़ें।

वस्तुओं पर लगाए गए करों का असर

कोई भी कर लगाते समय सरकार यह ध्यान रखती है कि उस कर का अधिक असर गरीबों पर पड़ेगा या अमीरों पर। अमीरों पर कर का अधिक असर पड़े, इसलिए सरकार आमदनी कर में अमीरों से उनकी आमदनी का अधिक हिस्सा कर में लेती है।

वस्तुओं पर कर, जैसे उत्पादन व बिक्री कर लगाते समय अमीरों और ग़रीबों में फर्क करना मुश्किल है। कोई भी वस्तु खरीदते समय सभी को उतना ही कर देना पड़ता है चाहे वह अमीर हो या गरीब।

का तेल, ये चीज़ें सब से ज़रूरी हैं और अमीर-ग़रीब सभी इन्हें खरीदते हैं। किन्तु ग़रीबों की आधिकांश आमदनी इन्हीं चीज़ों पर खर्च होती है। इनके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे जैम, चॉकलेट, फ्रिज, मोटर, मोटर साइकिल, वी.सी.आर, जो अमीर ही खरीद पाते हैं। ग़रीबों के लिए ऐसी चीज़ें खरीदना संभव नही है।

कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो लोग सीधे उपयोग नही करते जैसे डीज़ल, इस्पात, अल्यूमीनियम, मशीन, ट्रक व ट्रक के टायर आदि। इनका उपयोग कई चीज़ें बनाने और लाने ले जाने में किया जाता है।

अनाज, दाल जैसी ज़रूरी चीज़ों पर सरकार कर नही लगाती क्योंकि इसका असर गरीबों पर काफी पड़ता है। सरकार फ्रिज, चॉकलेट, जैम जैसी चीजों पर ज़्यादा कर लगाती है क्योंकि इनका असर सिर्फ धनी लोगों पर पड़ता है। पर फ्रिज, चॉकलेट जैसी चीज़ें तो बहुत कम बिकती है। इन्ही पर कर लगा कर सरकार को ज़्यादा आमदनी नही हो सकती।

अगर तुम 1989-90 का हिसाब देखो तो पाओगे कि फ्रिज, एयरकंडिशनर जैसी महंगी चीजों पर सरकार ने बहुत कर लगाया पर इन से सिर्फ 183 करोड़ रुपए ही मिले। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ धनी लोग खरीदते हैं और ये कम बिकती हैं।

इसलिए सरकार कुछ ऐसी चीज़ों पर अधिक कर लगाती है जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं पर जिन्हें लोग सीधे उपयोग में नही लाते।

ये चीज़ें क्या हैं?

ये चीज़ें हैं खनिज तेल, लोहा, इस्पात, टायर व ट्यूब आदि। तुम समझ सकते हो कि ये चीज़ें कितने उद्योग, कारखानों, धंधों में उपयोग की जाती हैं। इन्हें लोग सीधे नहीं खरीदते। इन चीज़ों पर कर लगा कर सरकार को बहुत आमदनी मिलती है। टैक्स लगाकर 2941 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। यह फ्रिज आदि से मिले करों से कितनी ज़्यादा है। पर क्या हम यह कह सकते है कि खनिज तेल, लोहा, इस्पात जैसी चीज़ों पर कर लगाने से ग़रीबों पर कोई असर नही पड़ता?

हमने देखा कि इस्पात, डीज़ल जैसी चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने से उनसे बनने वाली या लाई ले जाई जाने वाली चीज़ों के दाम में ये टैक्स जुड़ जाता है। इस तरह अनाज या कपड़ा खरीदने वाले ग़रीबों को भी डीज़ल या इस्पात पर लगे टैक्स का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ने से बहुत सी चीज़ों के दाम कैसे बढ़ जाते हैं, इसका उदाहरण यह बजट आने के एक हफ्ते बाद की एक खबर में पढ़ो।

<u>नईदुनिया 25 मार्च 1990</u>

अकेले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतो में हुई वृद्धि का ही मूल्य वृद्धि पर चौतरफा असर पड़ा है। जैसे सब्ज़ी, फल, दालें, तथा अन्य खाद्य सामग्री महंगी हो गई है।

मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन लोगों पर होगा? फ्रिज, मोटर साइकल, वी.सी.आर आदि पर कर बढ़ाने का प्रभाव किन लोगों पर होगा?
खनिज तेल या मोटर साइकल, किस पर कर बढ़ाने से अधिक पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं और क्यों?
दूसरी वस्तुओं के भाव पर ज़्यादा प्रभाव किस के द्वारा होगा-खनिज तेल पर कर बढ़ाने से या मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने से और क्यों?

हमने देखा कि सरकार को वस्तुओं पर लगाए गए करों से अधिक आमदनी होती है। वस्तुओं पर कर में भी उन वस्तुओं से अधिक कर प्राप्त होता है जिनका उपयोग अन्य चीजें बनाने में या लाने ले जाने में

इसलिए हर वर्ष यह प्रश्न सभी को चिंतित करता है कि कौन से कर ज़्यादा लगने चाहिए? इस तरह हमने समझा कि वस्तुओं पर टैक्स अधिक इकट्ठा किया जा सकता है, परन्तु इसका असर ग़रीबों पर काफी पड़ता है। आमदनी कर का भार अमीरों पर अधिक पड़ता है, पर उससे सरकार को कम आमदनी हो रही है। बजट का समय इसीलिए सबके लिए बड़े महत्व का होता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. सरकार बजट द्वारा किस बात का प्रस्ताव रखती है? बजट में टैक्स की बात क्यों की जाती है?
2. आयकर और उत्पादन कर में क्या अंतर है?
3. तुम ने इतिहास के पाठ "मुग़ल काल के गांव" में लगान व्यवस्था के बारे में पढ़ा। उस समय की लगान की दर देख कर बताओ क्या अधिक आमदनी वालों को अधिक दर देना होता था? मुग़ल काल का नियम आज के आयकर के नियम से कैसे भिन्न है?
4. किन-किन कारणों से आयकर द्वारा अधिक पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते?
5. (इस्पात, माचिस, घड़ी, कपड़ा, लोहा) इन में से कौन सी वस्तुओं पर कर बढ़ाने से दूसरी बहुत सी चीज़ों के भाव पर असर होगा और क्यों?
6. खाने की साधारण चीज़ें जैसे अनाज, दाल, तेल तो सभी उपयोग करते हैं फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन चीज़ों पर टैक्स लगाने से ग़रीबों पर अधिक असर होगा?
7. जिन चीज़ों पर कर नहीं लगाया जाता क्या उनके भाव नहीं बढ़ते हैं? समझाओ।
8. सभी को वस्तुओं पर लगाए गए करों से बहुत डर लगता है कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी। पर चीजों की कीमतें क्या और कारणों से भी बढ़ती हैं? अपनी जानकारी के अनुसार चर्चा करो।
9. सरकार को अधिक आमदनी किन करों से होती है - आमदनी कर या वस्तुओं पर कर? उसका क्या कारण है?
10. आमदनी पर कर या वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन से कर का असर अमीरों पर अधिक पड़ता है और कौन से कर का ग़रीबों पर - कारण सोचकर समझाओ।
11. नीचे दिए चित्रों में क्या-क्या दिख रहा है? सीमा शुल्क किसे देना होता है? आयकर किन लोगों को नहीं देना होता है?

लोकतंत्र का इतिहास

तुमने इतिहास के पाठों मे पढ़ा है कि पुराने ज़माने में राजा राज्य करते थे। राजा अपनी मर्ज़ी से कानून बनाता और लागू करता। कई राज्यों में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून होते थे। राजा चाहे तो अपना कानून माने और न चाहे तो न माने। राजा की मर्ज़ी ही सब से ऊंचा कानून था। वह किसी कानून से बंधा नहीं था। कभी राजा से लोग खुश रहते तो कभी दुखी। पर कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी।

आमतौर पर राजा का बेटा उस राज्य का राजा बनता। कई बार एक राजा दूसरे राजा को हरा कर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लेता। लगभग सत्रहवी शताब्दी तक दुनिया की अधिकांश जगहो पर राजा का ही शासन चलता था। इस दौरान कई राजाओं ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि राजा भगवान की मर्ज़ी से बनता है। उसे भगवान ही बना सकता है, भगवान ही हटा सकता है। तुमने पिछले साल वंशावली और राज्याभिषेक के बारे मे पढ़ा था। यह भी भगवान की मर्ज़ी जताने के कुछ तरीके थे। इसी तरह यूरोप में भी राजा चर्च द्वारा भगवान की मर्ज़ी जताने की कोशिश करता था। इसके आधार पर राजा मनमानी भी कर सकता था।

इसी समय भारत और यूरोप में सामन्तो का भी बोलबाला था। राजा पर सामंत काफी दबाव डाल सकते थे। दूसरो की तुलना मे उन्हें काफी फायदे मिलते थे। सामंत और ज़मींदार किसानो से खूब लगान लेते और ऐश करते थे। ये खेती या उद्योगो का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं करते थे।

सोलहवी शताब्दी के आसपास यूरोप में शहर और उद्योग बढ़ने लगे। शहरों में पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। शासन में इनकी कोई भागीदारी नही थी। धीरे-धीरे शहरी लोगो मे यह विचार बनने लगा कि शासन मे राजा की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। शासन में और लोगो की भागीदारी भी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक सरकार बननी चाहिए यानी ऐसी सरकार जो लोगो द्वारा चलाई जाए।

सन् 1600 से लेकर 1900 तक पूरे यूरोप में कई जगहो पर लोकतांत्रिक क्रांति हुई और लोगो ने राजा के राज्य को खत्म कर दिया। सब से पहले

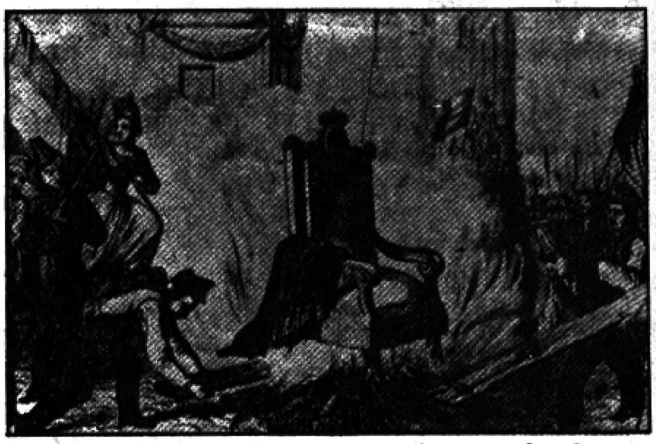

फ्रांस के राजा का सिंहासन जलाते हुए क्रांतिकारी

ऐसी क्रांति इंग्लैंड मे हुई थी - सत्रहवी शताब्दी में। इसी प्रकार फ्रांस में भी जनतांत्रिक क्रांति हुई। राजा के शासन की जगह पर कैसा राज्य हो - यह विकल्प ढूंढना था।

इंग्लैंड की क्रांति के बाद शासन करने के लिए वहां संसद बनाई गई। पर इस संसद में इंग्लैंड के सभी लोग सदस्य नहीं हो सकते थे। तो संसद सदस्यों को चुनने का निर्णय हुआ। पर संसद सदस्यों को चुनने का अधिकार भी सभी को नही मिला। पहले केवल

यह अधिकार मिला था। महिलाएं, मज़दूर आदि लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। उत्तरी अमेरिका ने भी यूरोपीय शासन से सन् 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त की और संयुक्त राज्य अमेरिका बना। उन्होंने अपने संविधान में एक जनतांत्रिक सरकार की घोषणा की। पर यहां भी कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अफ्रीकी दास, अमेरिकन इंडियन और महिलाएं इस अधिकार से वंचित रहे।

अमेरिका में श्वेत संपत्तिवान वोट डालते हुए

ऐसी क्रांतियों में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन क्रांतियों के बाद लोग धीरे-धीरे अपने जनतांत्रिक अधिकारों को बढ़ाने के लिए लड़ते रहे। सभी लोगों को - औरतें, मज़दूर, सम्पत्तिहीन - वोट डालने का अधिकार हो यह लड़ाई लंबे समय तक चलती रही और अंततः यूरोप और अमरीका में सभी लोगों को ये अधिकार मिलने लगे।

जब हमारे देश के लोग अंग्रेज़ सरकार से स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक यूरोप और अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकारें बन चुकी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे लोगों और नेताओं ने तय किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। के क्या अधिकार होंगे? इन सब बातों के लिए एक संविधान बनाया गया।

लोकतंत्र में सब लोग मिलकर कुछ लोगों को चुनते हैं। संविधान बनाने वालों को भी लोगों ने चुना था। इसी संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकार दोनों को बनाने और चलाने के नियम दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। संविधान के अनुसार चुने हुए लोग पूरे देश के लिए नियम व कानून बनाते हैं। ये नियम कानून चुने हुए लोगों के बहुमत की सहमति से बनना ज़रूरी है। कुछ ही लोग अपनी मर्ज़ी से कानून नही बना सकते।

ये नियम कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। उनको भी, जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ये कानून तोड़े तो उसे कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए।

पुराने ज़माने में किसी राज्य का राजा कैसे बनता था?
राजा के राज्य में कानून कैसे बनते थे?
लोकतांत्रिक क्रांतियां क्यों हुई?
लोकतांत्रिक क्रांतियों के बाद किन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला?
राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर हैं?
आज भी कुछ लोग देश के नियम कानून नहीं मानते, फिर भी उन्हें सज़ा नहीं मिलती, ऐसा क्यों?
हमारे यहां कई तरह के चुनाव होते हैं। तुम किन चुनावों के बारे में जानते हो? इनमें कौन चुने जाते हैं? ये चुनाव कितने सालों में होते हैं? चुनाव किस प्रकार होते हैं? कक्षा में चर्चा करो।

हमारे देश का केंद्रीय शासन कैसे चलता है, चलो इसकी कुछ झलकियां देखें:
हर प्रांत का कानून विधानसभा के सदस्य मिलकर बनाते हैं। पूरे देश का कानून संसद सदस्य बनाते हैं। संसद के दो सदन हैं, **लोकसभा और राज्यसभा** ।

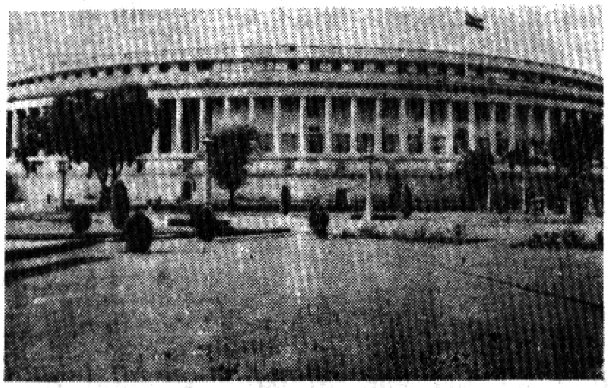

संसद भवन, दिल्ली

"लोकसभा की बैठक स्थगित।"
"लोकसभा भंग - लोकसभा के लिए चुनाव।"
"डाक विधेयक वापस।"
"किसी दल को बहुमत नहीं - प्रधान मंत्री कौन बनेगा?"
"रेल दुर्घटना में 1,000 मरे - रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग।"
"एक हफ्ते में पंजाब में 512 लोग मारे गए। संसद में गृह मंत्री को हटाने की मांग।"
"सरकार महंगाई नहीं रोक पाई तो इस्तीफा दे।"

ये लोकसभा और राज्यसभा में हो रही बातों के कुछ उदाहरण हैं।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं? वे कैसे काम करते हैं? चलो इनके बारे में पढ़ें।

हर 5 सालों में लोकसभा भंग होती है और नए सदस्य चुने जाते हैं। इसे लोक सभा का गठन कहते हैं। 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति लोक सभा सदस्य बन सकता है।भारत में 550 लोक सभा

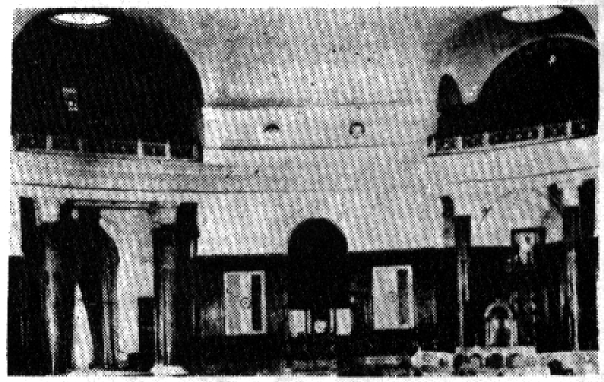

संसद भवन के अंदर का एक दृश्य

चुनाव क्षेत्र हैं। हर प्रांत से उसकी जनसंख्या के हिसाब से सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से सब से अधिक सदस्य (85) चुने जाते हैं। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि हो सकता है।

अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे में देखो मध्यप्रदेश से कितने लोक सभा सदस्य चुने जाते हैं? किन प्रांतों से मध्यप्रदेश से अधिक लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं?

लोकसभा का एक सभापति होता है जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह लोकसभा के काम का संचालन करता है।

लोकसभा चुनाव क्षेत्र में रहने वाले लोग वोट डाल कर अपने क्षेत्र से एक सदस्य चुनते हैं।

18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों

भारत के लोकसभा चुनाव क्षेत्र

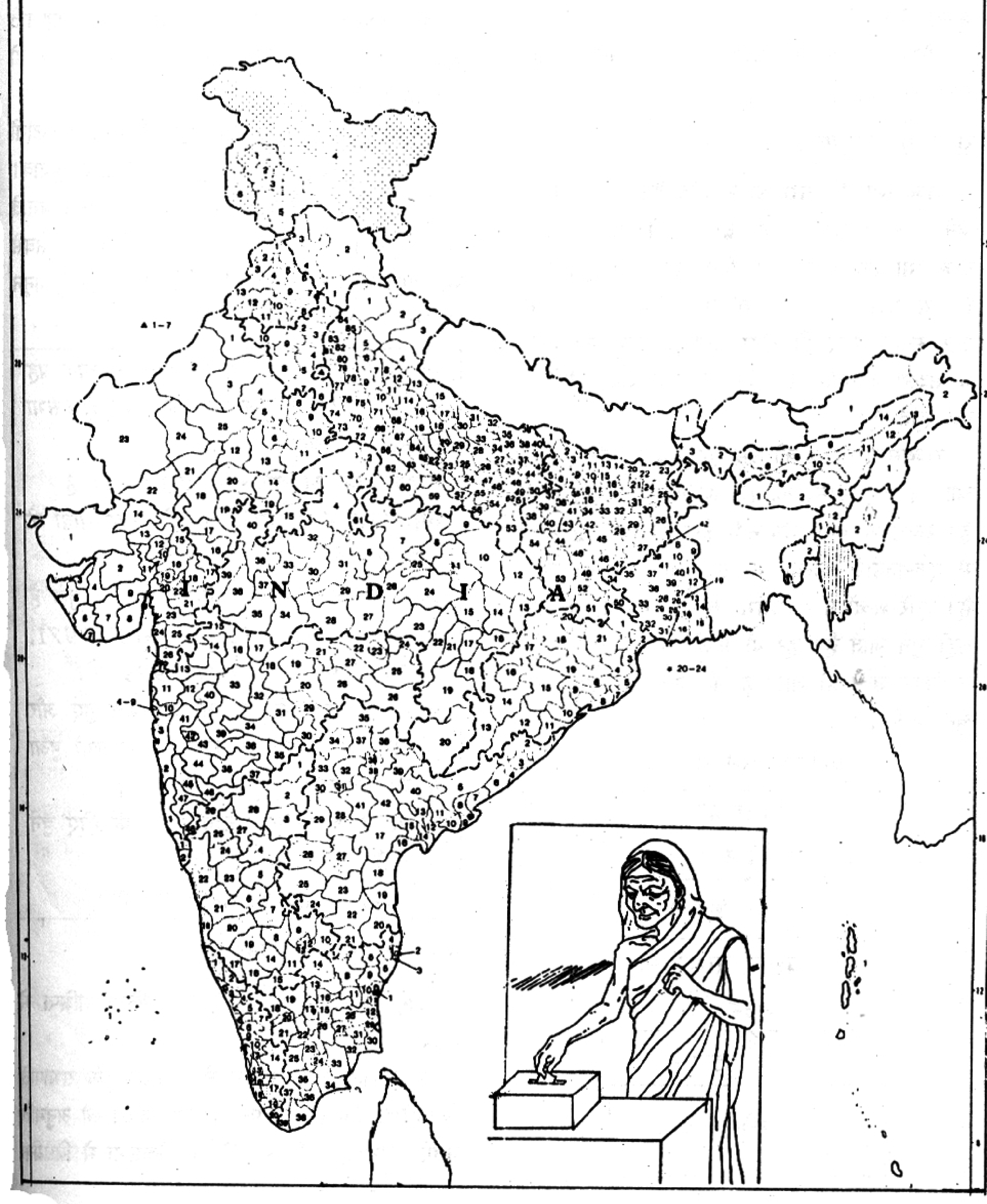

एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में एक ही बार वोट डाल सकता है।

लोकसभा और विधानसभा की सभी बातें मिलती-जुलती हैं।

राज्यसभा का गठन

राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ये सदस्य भी चुने जाते हैं परंतु लोगों द्वारा सीधे नहीं। 238 राज्यसभा सदस्य प्रांतों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य केंद्र में प्रांतों के प्रतिनिधि हैं। बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य आमतौर पर विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में दक्ष होते हैं।

राज्यसभा सदस्य की उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हर सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। हर 2 सालों में एक-तिहाई सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है। दूसरे शब्दों में राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नही चुने जाते हैं। हर दो सालों में 89 सदस्यो का कार्यकाल खत्म हो जाता है और इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं।

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव

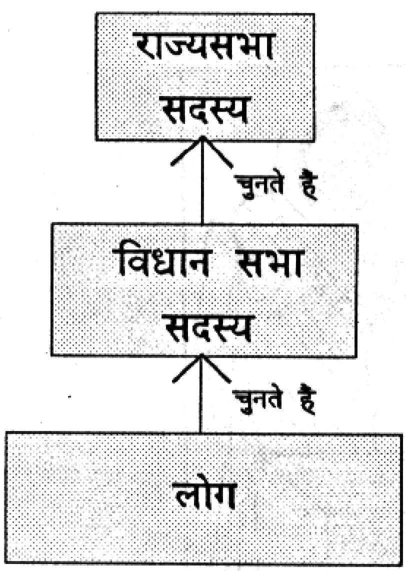

है। वही इस सभा का संचालन करता है।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं। दोनो सदनों की बैठक साल में कम से कम दो बार होना ज़रूरी है।

लोकतंत्र का सब से महत्वपूर्ण सिद्धांत है **लोगों द्वारा शासन**। इसका एक पहलू है लोगो द्वारा चुनाव। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जो कानून बनाते हैं, वे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना, कानून बदलना।

> *सोच कर बताओ कि वोट डलने के बाद यह कैसे तय होता है कि उस क्षेत्र का लोकसभा सदस्य कौन बना?*
> *तुम्हारे क्षेत्र का लोकसभा सदस्य कौन है?*
> *तुम्हारे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम बताओ।*
> *अब तक लोक सभा के नौ चुनाव हो चुके हैं - 1952, 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989 में।*
> *चुनाव 5 साल से कम में कब-कब हुए और 5 साल से अधिक में कब? ऐसा क्यों हुआ गुरुजी से पूछो।*
> *राज्यसभा के सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं?*
> *राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है?*

हमारे कानून कैसे बनते हैं

कानून कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया संक्षिप्त में देखें।

1. लोकसभा के सदस्य ने लोकसभा के सभापति से विधेयक (कानून का प्रस्ताव) पेश करने की अनुमति मांगी। सभापति की अनुमति से लोकसभा में विधेयक

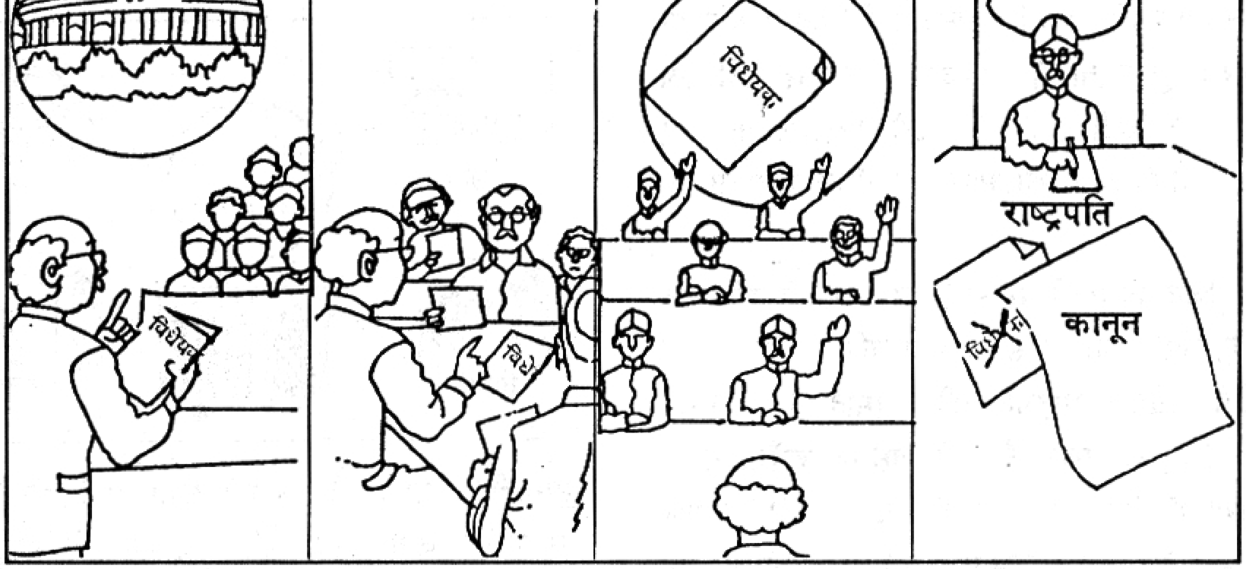

विधेयक कानून कैसे बनता है

पेश किया गया। हर सदस्य को विधेयक की एक प्रति दी गई और उसके बारे में बताया गया।

2. कुछ दिनों बाद समय तय किया गया और विधेयक के हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई। उम्मीद है कि सब सदस्य विधेयक पढ़ कर आए हैं। कई सदस्यों ने संशोधन भी सुझाए।

3. फिर कुछ दिनों बाद संशोधनों के साथ विधेयक फिर पढ़ा गया और उपस्थित सांसदों के मत लिए गए। उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक ने विधेयक के समर्थन में अपना मत दिया यानी इस विधेयक को बहुमत मिला। यह विधेयक लोकसभा से 'पारित' हो गया।

इन तीनों चरणों को विधेयक के तीन वाचन कहते हैं।

4. अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। यहां भी उस पर चर्चा हुई और उस पर मत लिए गए। राज्यसभा में भी आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों के मत (बहुमत) विधेयक के पक्ष में पड़े। राज्यसभा से भी विधेयक पारित हो गया। (यदि संशोधित विधेयक को बहुमत नहीं मिलता तो वह विधेयक कानून नहीं बनता।)

5. अब इस विधेयक को कानून बनने के लिए एक आखिरी चीज़ ज़रूरी है। वह है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर के इस विधेयक को कानून बना दिया। यह है साधारण विधेयक से कानून बनने की सीधी प्रक्रिया। कानून बनाने के नियम इस प्रकार हैं :

1. साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है - राज्यसभा या लोकसभा में।

2. विधेयक कोई भी पेश कर सकता है। व्यवहार में मंत्री अधिकांश विधेयक पेश करते हैं।

3. आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत (बहुमत) यदि विधेयक के पक्ष में है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है।

4. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना ज़रूरी है।

5. आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नही देता है। पर यदि विधेयक

समभावित अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं, तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है।

6. जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है, जैसे बजट, उस के लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है यानी ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं।

लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं, बहुमत से विधेयक पारित होते हैं।

<u>कानून कौन से, किसके</u>

प्रांत में विधानसभाएं और केंद्र में संसद, दोनों ही कानून बनाते हैं। कौन से कानून विधानसभाएं बनाएंगी और कौन से संसद, इन विषयों की सूचियां संविधान में दी गई हैं। ऐसी 3 सूचियां हैं -

<u>केंद्रीय</u> - संसद 97 ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जिन पर राज्य कानून नही बना सकते। इसका मतलब यह है कि इन 97 विषयों पर पूरे देश में एक ही कानून होगा। इनके कुछ उदाहरण हैं →

<u>प्रांतीय</u> - हर राज्य की विधानसभा 66 ऐसे विषयों पर कानून बना सकती हैं जिन पर संसद कोई कानून

अलग-अलग कानून हो सकते हैं। उदाहरण के लिए-

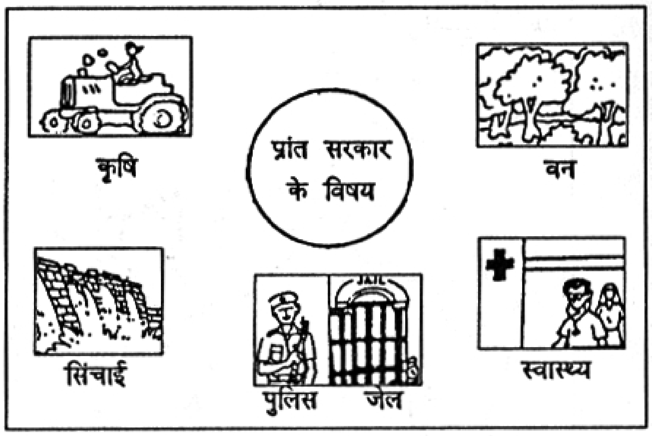

<u>समवर्ती</u> - संसद और विधान सभा दोनों 47 विषयों पर कानून बना सकती हैं। यदि दोनों के कानूनों में मतभेद हो तो संसद का कानून मान्य होता है।

कौन किस विषय पर कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यह अक्सर विवाद का

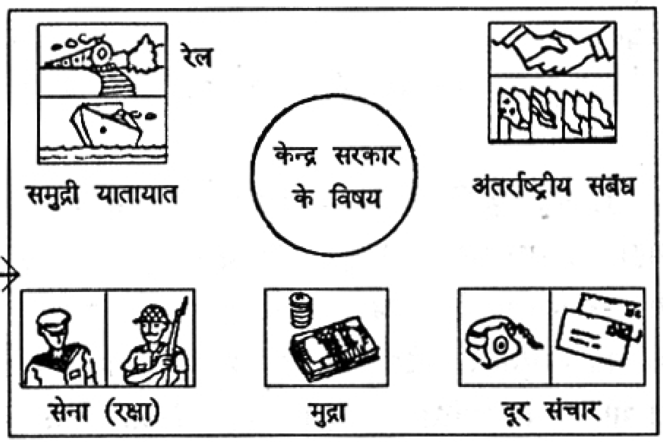

चाहते हैं। पर इन विषयों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है।

> *साधारण विधेयक कानून कैसे बनता है?*
> *खर्चे और आमदनी के विधेयक और साधारण विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया की तुलना कर के बताओ इनमें क्या-क्या अंतर हैं?*
> *यदि किसी विधेयक को एक सदन में बहुमत मिलता है और दूसरे में नहीं मिलता तो क्या होगा?*
> *यदि किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हैं तो क्या होगा?*
> *यदि विधेयक को पहले सदन में ही बहुमत नहीं मिलता तो क्या होगा?*
> *संसद और विधानसभाएं दोनों कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं?*
> *यदि इन कानूनों में विरोधाभास हो तो किसका कानून मान्य होता है?*

कानून लागू करने वाले

जब विधेयक राष्ट्रीय कानून बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद ये कानून लागू करते हैं। वे भी संसद के सदस्य होते हैं।

प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद कैसे बनते हैं

चुनाव के बाद लोक सभा के सदस्य बने। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया और प्रधानमंत्री से कहा कि वह अपनी मंत्री परिषद बनाए। राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। पर वह ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो।

यह कैसे पता चलता है कि किसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है? आमतौर पर राजनैतिक दलों जानते होगे। अक्सर किसी एक दल से ही लोक सभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं। यह दल फिर अपना नेता चुनता है। बहुमत दल के नेता को लोक सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री फिर मंत्री परिषद चुनता है और उसके सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जब चाहे अपने मंत्री हटा सकता है और नए मंत्री बना सकता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा सदस्य होना ज़रूरी है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या काम करते हैं

संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीति लागू करने का काम मंत्री परिषद का है। इन कामों को पूरे देश में करने की ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की है। मंत्री परिषद को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इसके लिए मंत्री परिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागो में कई हज़ार लोग काम करते हैं। ये कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं।

फिर इन सब कामों के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। इस पूरे खर्च की ज़िम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की होती है। खर्चे और आमदनी का एक और मंत्रालय है - वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री के बारे में तुम पहले भी पढ़ चुके हो।

पूरे भारत के लिए रेल, डाक, टी.वी., टेलीफोन, आदि का प्रबंध करना, देश की रक्षा करना - ये सभी काम केंद्रीय सरकार के हैं।

> केंद्रीय मंत्री कैसे बनता है?
> प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री क्या काम करते हैं?
> पता करो कौन-कौन से और विभाग केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय सरकार में काम करते हैं?
> तुम जहां रहते हो वहां कौन कौन से कर्मचारी केंद्रीय सरकार के हैं?

लोकसभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण

इतने पैसे, इतने बड़े काम, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो बहुत ताकत है। वे मनमानी न करें, पैसों का दुरुपयोग न करें इसलिए उन पर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है।

संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा के बहुमत का उन पर विश्वास हो। यदि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल हटा दिया जाता है।

इसके अलावा सांसद लोकसभा या राज्यसभा में

1. मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिमंडल किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इन्कार नहीं कर सकता, न ही गलत जवाब दे सकता है। यदि जानकारी गलत साबित हुई तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
2. किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यानाकर्षित कर सकते हैं।
3. मंत्रिमंडल पर टिप्पणी कर सकते हैं।

इस प्रकार संसद मंत्रिमंडल के कामों पर नियंत्रण रखती है।

लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये सब हमारे देश का शासन चलाते हैं। पर पूरे भारत के शासन का प्रमुख राष्ट्रपति है। उस की सहमति के बिना शासन के बहुत से प्रमुख काम नहीं हो सकते।

> राष्ट्रपति क्या-क्या करता है इसके बारे में तुम ने अब तक क्या पढ़ा?
> कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है - दो बातें लिखो।

कानून बनाने में भूमिका

कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और विधेयक वापिस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को, बिना राष्ट्रपति के सुझाव लिए, पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा।

यदि किसी प्रांत का राज्यपाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उस प्रांत का विधेयक भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर के उस कानून को बनने से रोक सकता है।

नियुक्त करने की शक्ति

प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्री मंडल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, चुनाव आयोग के सदस्य आदि की भी नियुक्ति करता है।

माफी देने की शक्ति

कई परिस्थितियों में राष्ट्रपति माफी भी दे सकता है। यदि किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो

राष्ट्रपति से माफ़ी के लिए अर्ज़ी दे सकता है। पर यदि राष्ट्रपति ने अर्ज़ी मंज़ूर नही की तो अभियुक्त को सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी।

राष्ट्रपति का चुनाव

राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह मुनाफे के किसी पद पर नही रह सकता। राष्ट्रपति हर राज्य के विधायक और सांसद (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यो द्वारा चुना जाता है। पर राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव से कुछ अलग होता है। राष्ट्रपति पांच साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, वह संसद का सदस्य नहीं रह सकता।

राष्ट्रपति को हटाना

यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो वह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि वह अपने मन से कोई मंत्री नियुक्त करता है या हटाता है, या किसी स्रोत से मुनाफा कमाता है या संसद के दोनों सदनों से दो बार पारित होने के बाद भी किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नही करता तो उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन मे रखा जा सकता है।

उपराष्ट्रपति

भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होता है। उपराष्ट्रपति भी उसी प्रकार चुना जाता है जैसे राष्ट्रपति। वह राज्य सभा का सभापति (अध्यक्ष) होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति मे वह राष्ट्रपति के सब काम करता है।

राष्ट्रपति कौन से कानून बनने से रोक सकता है?

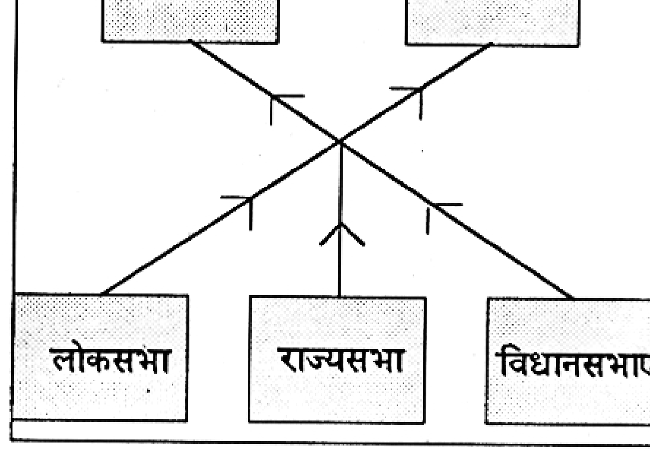

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव

यदि किसी को सर्वोच्च न्यायालय से सज़ा मिली है तो उसे माफी कैसे मिल सकती है?
राष्ट्रपति को किन कारणो से हटाया जा सकता है और उसे कौन हटा सकता है?
उपराष्ट्रपति के क्या काम हैं?

संसद की कुछ झलकियां

संसद की बैठक चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पूरे भारत से दिल्ली आए हुए हैं। उन सब को दिल्ली में रहने की जगह मिली हुई है।

सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। संसद में दिन शून्य काल से शुरू होता है। शून्य काल मे सांसद बिना पूर्वानुमति के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। कई सांसद आज संसद भवन नही आए हैं। चलो संसद भवन का एक चक्कर लगा कर आएं। अभी तो कॉरिडोर मे ही पहुंचे हैं। लोकसभा से इतनी आवाज़ क्यों आ रही हैं? ज़रा झांककर देखें मसला क्या है।

लोकसभा में चर्चा

एक सांसद यह प्रश्न उठा रहे थे, "क्या यह सही है कि हमारे देश के लोग दूरदर्शन देखने के बजाए दूसरे देशों से प्रसारित कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है?" दूरसंचार मंत्री ने सदन को यह जानकारी दी कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अधिक रोचक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन पर कुछ आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी सदन को दी। ये जानकारी कुछ सदस्यों ने मांगी थी।

विधेयक पर चर्चा

फिर विधेयक पर चर्चा करने का समय हो गया। कुछ दिन पहले एक सांसद ने खेतीहर मज़दूरी पर केंद्रीय कानून बनाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया था। आज उस पर बहस होनी है। बहस शुरू हुई।

कोई कहता - "भारत में खेती की इतनी अलग-अलग परिस्थितियां हैं। कहीं सूखी खेती, कहीं सिंचित खेती, कहीं पैदावार अधिक, कहीं कम। यदि एक कानून बना दिया गया तो हर जगह के किसान इतनी मज़दूरी नहीं दे पाएंगे।" तो कोई कहता - "इसीलिए तो मज़दूरों की स्थिति कुछ जगहों पर इतनी बुरी है। सब जगह एक कानून लागू होगा तो हर जगह के मज़दूरों को कम से कम खाने को तो पर्याप्त मिलेगा।" ऐसे ही हर बिंदु पर बहस चलती रही। बहस होते-होते खाने का समय हो गया और लोकसभा भोजन-अवकाश के लिए स्थगित हो गई। 3 बजे दोनों सदन फिर मिलेंगे।

बजट विधेयक पारित

भोजन अवकाश के बाद समय आया रेल बजट पारित करने का। इस बजट पर पहले चर्चा हो चुकी थी और सुझाए गए संशोधन भी किए जा चुके थे। आज मत लेने की बारी थी। उपस्थित सदस्यों के मत लिए गए और रेल बजट पारित हुआ।

दिन भर की कार्यवाही खत्म हुई। अब दोनों सदन अगले दिन 11 बजे फिर मिलेंगे।

> *लोकसभा में कौन से मंत्री ने जानकारी दी और क्या जानकारी दी?*
> *लोकसभा में किस विधेयक पर बात हो रही थी?*
> *लोकसभा में कौन सा विधेयक पारित हुआ?*

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायालय

हमने देखा कि भारत में नियम है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने और चले। इसके लिए संसद और मंत्री परिषद बनते हैं। इन्हें संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। इनके काम पर कई तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि ये लोग संविधान के अनुसार काम नहीं करते तो सर्वोच्च न्यायालय में

उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। संविधान के नियम समझने में मतभेद हो सकते हैं। इन्हें स्पष्ट करने मे सर्वोच्च न्यायालय मदद करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेदों पर भी सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय किया जा सकता है। दूसरे कामों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय मंत्रिमंडल और सांसदों पर नियंत्रण रख सकता है। न्यायालय भी सरकार का भाग है।

लोकतंत्र में जनमत का महत्व

लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल और संसद लोगों के प्रति ज़िम्मेदार हैं। लोकतंत्र में जनता का मत (जनमत) बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि जनता ने सांसद चुने हैं, जनता उन पर ठीक से काम करने का दबाव भी डाल सकती है। यह कैसे? यदि लोग सरकार के किसी काम से खुश नहीं हैं तो सभाओं, अखबारों या पत्रिकाओं में उसकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसी आलोचना का सरकार की नीतियों पर काफी असर पड़ता है। इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। स्वतंत्र मत लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक शासन में जनता अपनी सरकार चुन कर और सरकार की गलतियों की आलोचना करके सरकार को नियंत्रित कर सकती है। यदि सरकार आलोचना या स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक लगाती है तो जनता का लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार है कि वह इस रोक के विरुद्ध लड़े।

सही आलोचना करने के लिए जनता के पास सरकार के विचारों और उन की नीतियों के क्रियान्वन की सही जानकारी होना ज़रूरी है।अगले पाठों में हम सरकार के विचार, उनकी योजनाओं और नीतियों के बारे में पढ़ेंगे।

संसद की झलकियों में बताई गई घटनाएं काल्पनिक हैं। ये केवल संसद की कार्यवाही को चित्रित करने के लिए दी गई हैं।

° ° °

अभ्यास के प्रश्न

1. लोकतांत्रिक शासन में लोगों की भागीदारी किस तरह होती है? दो तरीके बताओ।
2. संसद के दो सदनों के नाम बताओ।
3. पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाता है?
4. इनमें से किन लोगों को जनता चुनती है और किन को सांसद या विधायक? कौन लोग नियुक्त किए जाते हैं?
   - राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधायक।
5. साधारण विधेयक से कानून बनने के तीन मुख्य चरण संक्षिप्त में बताओ।
6. इनमें से किन विषयों पर कानून सांसद बनाते हैं, किन पर विधानसभाएं और किन पर दोनों बना सकते हैं?
   - कृषि, रेल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पुलिस, दीवानी कानून, डाकतार, बिजली, कारखाने।
7. कानून लागू करने की ज़िम्मेदारी किसकी है?
8. मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है?
9. सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है? तीन तरीके बताओ।
10. जब संसद की बैठक हो रही हो, अखबार से या रेडियो पर समाचार सुनकर एक सूची बनाओ -

विधेयक पारित हुए	मुख्य सवाल जो पूछे गए

तुमने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा, 'भारत एक जनतांत्रिक देश है।' इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। कानून बनाने और बदलने में भी सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहां तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नही कर सकती। जिस देश में जनतांत्रिक सरकार होती हैं, वहां एक "संविधान" होता है। (संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं।) सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है- संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक, यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ, काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए।

अरे, बड़ी ज़रूरी बातें हैं इसमें तो। हमें भी जानना चाहिए इनके बारे में।

संविधान में क्या-क्या है?

सबसे पहले संविधान की एक उद्देशिका दी गई है। इसमें संविधान के उद्देश्य लिखे हैं।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वालीबन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधन को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

इसे पढ़कर गुरुजी से चर्चा करो।

हमारा संविधान बहुत लंबा है। इसमें लगभग 300 पृष्ठ है। यह 22 भागों में विभाजित है। इसमें इन बातों के बारे में विस्तार से लिखा है—

1. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार काम करेंगी और उनके आपस में क्या संबंध होंगे;

2. न्यायालयों का काम क्या हो? ज़िला कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय को किस तरह काम करना चाहिए;

3. किन विषयों पर केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी; किन विषयों पर दोनों सरकार कानून बनाएंगी; जिन विषयों पर दोनों सरकार कानून बनाती हैं, उनमें यदि तालमेल न बैठा, तो कौन सा कानून माना जाएगा।

राज्य सरकार और न्यायालयों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। उनके बारे में जो चीज़ें तुमने पढ़ी, वे सब संविधान में ही लिखी गई हैं। अब जानें कि संविधान के पहले चार भागों में क्या बातें हैं :

पहले भाग में दिया है कि भारत का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों के क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से मिलकर बनता है। भारत के राज्यों की सीमा और भारत की सीमा किस प्रकार बदली जा सकती है। नए राज्य किस प्रकार बनाए जा सकते हैं।

दूसरे भाग में यह बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। जो भी भारत में पैदा होता है, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक के बच्चे भी भारतीय नागरिक होंगे। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता। भारत सरकार भारतीय नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बना सकती है।

क्या तुम और तुम्हारे माता-पिता भारत के नागरिक हैं?

तीसरे भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये सभी को जानना ज़रूरी है कि उनके क्या अधिकार हैं और सबका यह हक बनता है कि वे इन अधिकारों के लिए लड़ें। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, केंद्रीय और राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है। हम अगले पाठ में यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं।

चौथे भाग में भारत सरकार और राज्य सरकारों को कुछ 'नीति निर्देशक सिद्धांत' बताए गए हैं। ये सिद्धांत ऐसे हैं जिन को ध्यान में रखते हुए सरकारों को कानून बनाने चाहिए। अपने नियमों और कानूनों से इन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। कुछ सिद्धांत हैं—

— सभी आदमियों और औरतों को पर्याप्त रोज़गार दिलाने के लिए नीति बनाना।

— ऐसी नीतियां न बनाना जिससे कि कुछ लोगों के पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाए और अधिकांश लोगों को हानि पहुंचे।

— नीतियां ऐसी हों जिससे कि समान काम के लिए समान मज़दूरी मिले।

— किसी को भी (बच्चे, औरत या आदमी को) ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता हो।

— बच्चों को अपने विकास के लिए खुला और सम्मान भरा वातावरण मिले। सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले।

— सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा वातावरण मिले, आराम और सम्मान से रहने लायक वेतन मिले और उद्योगों के संचालन में मज़दूरों की भी भागीदारी हो।

इस तरह से करीब 17 सिद्धांत इस भाग में दिए गए हैं। ये सरकार के लिए निर्देश हैं पर यदि सरकार

क्या औरतों और मर्दों को समान काम के लिए समान मज़दूरी मिलती है?

पूरी तरह इनके अनुसार काम नहीं करती तो कोर्ट या कचहरी में इनके लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता।

तुम्हें क्या लगता है - इन में से कौन से निर्देशों का पालन होता है? एक-एक सिद्धांत पर आपस में और गुरुजी के साथ चर्चा करो।

क्या तुम ऐसी नीतियों के कुछ उदाहरण पता कर सकते हो जहां इन सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा हो?

नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए क्या करना चाहिए?

संविधान के चौथे भाग में ही हमारे कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी दिए गए हैं। इनके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।

इतनी सारी बातें इस संविधान में हैं व और भी बहुत कुछ है। भारतीय भाषाओं के बारे में, धर्म के बारे में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में कई नियम आदि लिखे हैं।

हमें तो हैरानी होती है सोच कर कि कैसे यह सब लिखा गया होगा? इसकी पूरी कहानी तो बहुत लंबी है।

संविधान कैसे बना?

15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था। अंग्रेज़ ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहां का शासन उस तरह चलता था, जिस तरह इंग्लैण्ड की सरकार उसे चलाना चाहती थी।

उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नही है। किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं? उन्होंने इस बात के लिए बहुत बड़ा संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक है। अपने देश का शासन स्वयं चलाने के हक के लिए भारतवासी करीब 100 साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। कई लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जानें दे दीं। कई लोग सालो तक जेल में रहे। इसी लड़ाई को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तुम अगली कक्षा में इसके बारे में पढ़ोगे।

इस संघर्ष के चलते 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ यानी भारत के लोगों को अपने लिए नियम कानून बनाने और अपनी सरकार खुद से बनाने का अधिकार मिला।

पर अपना ही शासन होगा तो कैसा होगा? यह भी तो सोचना था। क्या हमारा राजा होगा? जैसे कि अंग्रेज शासन के पहले होता था। या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? या दोनों ही? अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा तो वे कैसे और किसके द्वारा चुने जाएंगे? यह भी सोचना था कि भारत के लोगों के क्या अधिकार होंगे? उनके लिए क्या नियम कानून होंगे?

इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नही था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नही सकता था। भारत के हर

की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए यह [illegible]
बातें तय करने में हर प्रान्त के आदमियों और औरतों यानी सभी लोगों का हाथ हो।

इस काम को करने के लिए सन् 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 308 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम तुमने सुने होंगे, वे थे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच. वी. कामथ। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद। संविधान परिषद की एक समिति बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।

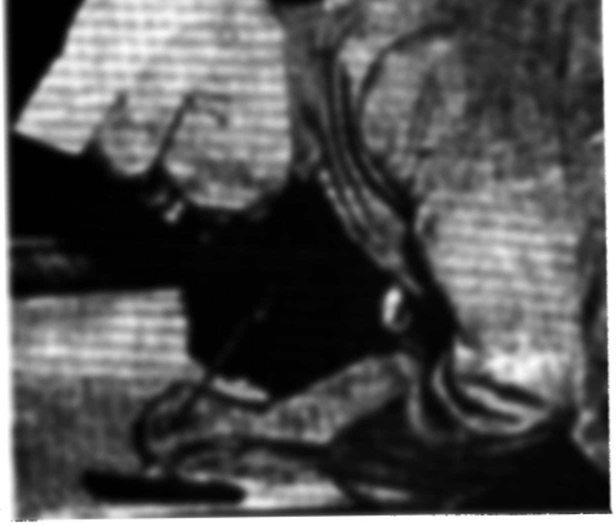
संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित नेहरू

संविधान की अलग-अलग बातों को लेकर सभा के लोगों में बहुत सोच-विचार, चर्चा और बहस हुई। संविधान लिखने मे लगभग 3 साल लग गए। सन् 1949 में संविधान सभा ने संविधान पारित किया और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान पूरे भारत मे लागू किया गया। संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में जनतंत्र यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

यह थी हमारे संविधान की कहानी। अगले पाठ में हम संविधान में दिए गए अपने अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे।

* * *

अभ्यास के प्रश्न

1. संविधान की उद्देशिका को अपने शब्दों में लिखो।
2. हमारे संविधान में क्या-क्या दिया हुआ है? कितने भाग हैं?
3. हमारी सरकार किसके आधार पर काम करती है?
4. 'नीति निर्देशक सिद्धांत' का क्या मतलब है ? ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत बताओ।
5. संविधान कब और कैसे बनाया गया?

मानव अधिकारों व मौलिक अधिकारों का अर्थ समझना

हर व्यक्ति को अपने मानव व मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। सामान्यतया हमें इस विषय पर सूचना नहीं मिलती। पहले भी इस विषय पर आपने दूसरों से चर्चा नहीं की होगी। आशा के रूप में आपको अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत है। इससे आपको आपके व आपके समुदाय के अधिकारों के बारे में सीखने में सहायता मिलेगी। इससे आपको अपने समुदाय के विकास के लिए उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। हो सकता है कि आप मौलिक व मानव अधिकारों के बारे में पहली बार पढ़ रही हों व आपको यह जानकारी नीरस लगे। हम आपसे इस अध्याय को पढ़ने की गुज़ारिश करते हैं। हमने इस जानकारी को सरल रोचक व संगत बनाने का प्रयास किया है।

पहले की किसी ऐसी बात के बारे में सोचें जब किसी के अनादरपूर्ण व्यवहार से आपको बुरा लगा था। इनमें वे बातें शामिल हैं जब लोगों ने आपको बेवकूफ या मूर्ख बनाने के लिए कही हो। उदाहरण के लिए किसी ने आपको कहा होगा, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगी। एक या दो ऐसे दर्दनाक कथनों/घटनाओं को याद करने की कोशिश करें।

1948 में, दूसरे विश्व युद्ध की सर्व व्यापक पीड़ा के बाद, विश्व के सभी देश इस पर सहमत हुए कि यह विश्व अधिक शांतिपूर्ण होगा बशर्ते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की गरिमा का आदर करे। परिणाम स्वरूप, अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा अस्तित्व में आई। हमारा देश भी इस घोषणा पर सहमत हुआ।

अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों का समूहः

- सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं व समान हैं।
- सभी को एक से अधिकार व स्वतंत्रता मिलनी चाहिए भले ही वे किसी भी जाति, लिंग या रंग के हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कहां पैदा हुए हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं क्या धार्मिक या राजनैतिक विचार रखते हैं, या अमीर या गरीब हैं।
- हरेक को जीने, स्वतंत्र व सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है।
- वयस्क पुरूषों एवं महिलाओं को विवाह करने एवं परिवार शुरू करने का अधिकार है, उन्हें कोई भी उनकी जाति, देश या धर्म के आधार पर रोक नहीं सकता। दोनों विवाह के लिए सहमत होने चाहिए। विवाह करने व विवाहित रहने या विवाह को समाप्त करने के लिए दोनों का समान अधिकार हैं।
- आप जो चाहें विश्वास रख सकते हैं, सही व गलत के बारे में विचार रख सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं व बिना किसी बाधा के चाहें तो धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं।

मानव अधिकार की सूची बहुत बड़ी है। जिसकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं। आइए, हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानें।

हमारे मौलिक अधिकार

भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा देश हमें छः मौलिक अधिकार देता है। जो इस प्रकार हैं:

- समता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरूद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समता का अधिकार

राज्य किसी भी नागरिक से वंश, जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सभी नागरिक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। संविधान में समता के अधिकार की गारंटी देते हुए भी आरक्षित पदों के रूप में खास प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व

आदिवासियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह महिलाओं व बच्चों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं।

इन अपवादों का मुख्य कारण है कि हमारे समाज में अभी भी विभिन्न प्रकार के भेदभाव हैं। आपके ध्यान में आया होगा कि कुछ लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण कष्ट भुगतते हैं। उन्हें इस प्रकार का आरक्षण प्रदान करना समता के हक को नकारना नहीं है। ऐसी नीति को ''सकारात्मक भेदभाव''या ''संरक्षणात्मक भेदभाव'' नीति कहा जा सकता है।

स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित छः स्वतंत्रताओं का समूह है:

भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक इकटठे होने की स्वतंत्रता

ऐसोसियेशन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता

भारत के किसी भी भाग में मुक्त रूप से आने-जाने की स्वतंत्रता

कोई भी व्यवसाय, धंधा, व्यापार या वृत्ति करने की स्वतंत्रता

स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। उसे अपने अधिकारों का उपयोग लोकतांत्रिक रूप से करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ व अच्छा जीवन जी सके। यह अधिकार लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं

शोषण के विरूद्ध अधिकार

जब हम हर व्यक्ति को मनुष्य मानते हैं, तो हम किसी के साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। किसी को भी कैद में नहीं रखा जा सकता। किसी से भी जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। नागरिकों को कानून के द्वारा ऐसे शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है।

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता व उन्हें फैक्टरी, खानों या ऐसे खतरनाक स्थानों पर काम पर लगाया जाता है तो यह शोषण माना जाएगा। ऐसा करना बाल मजदूरी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारत अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य के सामने सभी धर्म बराबर हैं व राज्य किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा महत्व नहीं दे सकता। राज्य संचालित कोई भी संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती।

धार्मिक स्वतंत्रता का भी कुछ सीमाओं के साथ पालन किया जाना चाहिए। राज्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व स्वास्थ्य के हित में किसी भी धार्मिक समुदाय की गैर–धार्मिक गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है।

सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार

भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं व संस्कृतियों का देश है। जिस किसी भी समुदाय की अपनी भाषा व लिपि है, उसे उसको संरक्षित रखने व विकास करने का अधिकार है। सभी अल्प संख्यक धार्मिक या भाषा समूह अपने शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपनी संस्कृति और भाषा का विकास एवं सुरक्षा कर सकते हैं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

यह अधिकार नागरिकों को यह शक्ति देता है कि उनमें से किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर वे न्यायालय में जा सकते हैं। इन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ न्यायालय रक्षक के रूप में खड़ा है। इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय किसी भी अधिकार के उल्लंघन की सभी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

निर्देशक सिद्धांत

इनके अतिरिक्त राज्य के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसमें ऐसे अधिकार शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता मानवता के संपूर्ण विकास के लिए है।

- इनमें काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, उचित जीविका का अधिकार, 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आदि जैसे अधिकार शामिल हैं।
- राज्य को मजदूरों व बालकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए व सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें ऐसे किसी कार्य में नहीं धकेला जाए जिससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचे।
- राज्य का विकेन्द्रीकरण निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए पंचायती राज्य स्थापित किया जाना चाहिए।
- राज्य को कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक लाभ की रक्षा करनी चाहिए। यही नहीं, इन लोगों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त मुफ्त कानूनी सहायता भी गरीब वर्गों को न्याय दिलवाने के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

नीचे दिए गए मुद्दों पर सोचें और तय करें कि क्या आपके और आपके समुदाय के मानव व मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं?

- मेरा क्षेत्र सुरक्षित व संरक्षित है। समुदाय के सभी सदस्यों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत समान व्यवहार व अवसरों के बारे में समान व्यवहार व जानकारी मिलती है।
- मेरे क्षेत्र में सबको संसाधनों की प्राप्ति है, आम तौर पर क्षेत्र में उपलब्ध पानी बिना किसी जाति, लिंग व धार्मिक भेदभाव के सबको प्राप्त हैं।
- जब कोई किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो क्षेत्रीय समिति इस पर ध्यान देती है, चर्चा करती है, समिति के सभी सदस्यों की सहमति से उचित निर्णय लेती है व समिति की नीतियों व प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाती है।
- क्षेत्र के सभी लोगों को क्षेत्रीय सभा में भाग लेने दिया जाता है। क्या आप क्षेत्रीय समिति/सभा में भाग लेती हैं।
- हमारे क्षेत्र में किसी से भी खराब व्यवहार नहीं किया जाता या दंड नहीं दिया जाता।
- मेरे क्षेत्र की समिति में विविध पृष्ठभूमि, धर्म व संस्कृतियों के लोग शामिल हैं। हमारी समिति में कुछ महिला सदस्य भी हैं।
- मैं बिना किसी भेदभाव के डर के अपने परिवार व समुदाय में राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विचार व विश्वास व्यक्त कर सकती हूँ
- मेरे क्षेत्र के सभी सदस्य समुदाय विकास से संबंधित क्षेत्रीय समिति की निर्णय प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी करते हैं।
- क्षेत्र के सदस्यों व मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान मापदंडों के अनुसार किया जाता है।
- पुरूषों व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए पांच-सालाना योजनाएं बनाई जाने लगी हैं। तुम सोच रहे होगे, कैसी होगी पूरे देश के लिए बनी योजना। इसमें क्या-क्या होगा? कैसे बनेगी? कौन बनाएगा? हां, पूरे देश के लिए योजना बनाना काफी मुश्किल है। खासकर जब योजना बनाते समय देश के सभी लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। यह एक व्यक्ति के बस का काम नही- इसमें बहुत से व्यक्ति लगते हैं।

सबसे पहले देश की समस्याओं को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, यातायात व संचार, सामाजिक सेवाएं आदि। इनका आकलन किया जाता है। इसके लिए पूरे देश भर से कई आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं- जैसे कृषि के क्षेत्र में -

1. कितनी भूमि कृषि करने लायक है।
2. कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है।
3. कितनी ज़मीन सिंचित है कितनी असिंचित। फसल का कुल उत्पादन कितना है। कितनी ज़मीन पर सिंचाई हो सकती है।
4. हर एकड़ पर कितना उत्पादन होता है।
5. कितने लोग कृषि में काम करते हैं- रोज़गार कितना मिलता है, इनकी क्या समस्याएं हैं।
6. किसानों को सरकारी बीज, खाद, ऋण कितना उपलब्ध हो रहा है।

ऐसे ही बहुत सारे आँकड़े हर क्षेत्र के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। तुम सोच सकते हो कि पूरे देश से ये आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होगी। इसके लिए कई राष्ट्रीय संगठन हैं- नैशनल सैम्पल सर्वे, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आदि।

एक बार आंकड़े इकट्ठे हो जाएं तो समस्याएं ठोस रूप से सामने आती हैं- किन चीज़ों का उत्पादन कम है और उनकी कितनी कमी हैं? रोज़गार की कितनी कमी है? पीने का पानी कितनी जगहों पर नही है? बच्चे कितने हैं और स्कूलों की कितनी कमी है? ..... ऐसी बहुत सी समस्याएं स्पष्ट होती हैं। एक बार समस्याएं स्पष्ट हो जाएं तो पांच सालों के लिए योजना बनाने का काम शुरू होता है।

पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक आयोग है - योजना आयोग, जिसका गठन 1950 में हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री ही रहता है। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है जो योजना बनाने के पूरे काम को संचालित करता है। आयोग के कई सदस्य होते हैं- मंत्री, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, दूसरे विशेषज्ञ, कुछ विभागों के सचिव आदि।

योजना बनाते समय योजना आयोग के सदस्यों में खूब बहस होती है। कृषि के विकास के लिए क्या उद्देश्य रखे जाएं- और उद्योग के विकास के लिए क्या उद्देश्य हों व इन्हें पूरा करने के तरीकों पर भी सब के अपने-अपने मत और विचार होते हैं।

इन सब बहसों के बाद योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव बनाती है। सभी प्रांतों के मुख्य मंत्रियों की एक समिति है - राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर विचार और बहस करती है और संशोधन के सुझाव देती है।

इसके बाद संसद में योजना के प्रस्ताव पर विचार, चर्चा और संशोधन होते हैं। जब संसद योजना को पारित कर देती है तभी वह पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है।

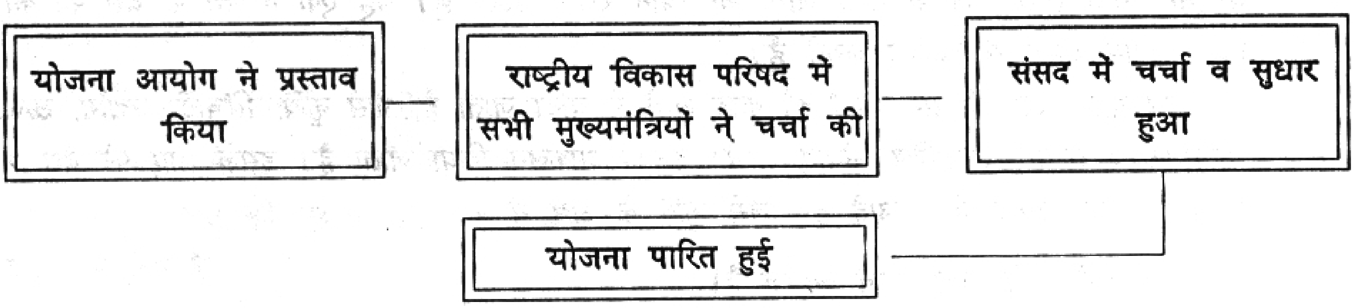

...ता के बाद सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए बनाई गई। उसके बाद 6 और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं और अब 8वी पंचवर्षीय योजना चल रही है।

ये योजनाएं इस प्रकार हैं-

1951-56	पहली पंचवर्षीय योजना	1956-61	दूसरी पंचवर्षीय योजना
1961-66	तीसरी पंचवर्षीय योजना	1966-69	तीन वार्षिक योजनाएं
1969-74	चौथी पंचवर्षीय योजना	1974-79	पांचवीं पंचवर्षीय योजना
1979-80	वार्षिक योजना	1980-85	छटवी पंचवर्षीय योजना
1985-90	सातवी पंचवर्षीय योजना	1990-92	वार्षिक योजनाएं
1992-97	आठवी पंचवर्षीय योजना		

इन योजनाओं में करोड़ों नहीं, हज़ारों करोड़ रुपए यानी अरबों रुपए खर्च होते हैं। पंचवर्षीय योजना पर खर्च करने के लिए सरकार को बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है। ये पैसे सरकार टैक्स, उधार (देशी व विदेशी) आदि से पूरा करने की कोशिश करती है।

हर योजना के सभी उद्देश्य पूरे नहीं होते। कई कमियां रह जाती हैं। नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सरकार किस तरह हर क्षेत्र के लिए योजना बनाती है और उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, ये हम अगले पाठों में कृषि, उद्योग व ग़रीबी दूर करने की विस्तृत योजनाओं के उदाहरणों से समझेंगे।

7 भारत सरकार की कृषि नीति

तुम्हारे क्षेत्र में-
फसलों के कौन-कौन से बीज बोए जाते हैं? उनमें से कौन से संकर और कौन से देशी बीज हैं ?
अपने क्षेत्र के संकर और देशी बीजों की इन बिन्दुओं पर तुलना करो—
- *फसल की अवधि*
- *कितनी बार सिंचाई*
- *उत्पादन*
- *खाद*
- *बीमारियां*
- *दवाएं*

भारत सरकार ने अपनी नई कृषि नीति में संकर बीजों से खेती पर बहुत ज़ोर दिया है। आओ इस पाठ में समझें कि नई कृषि नीति कब व कैसे बनाई गई।

स्वतंत्रता के बाद कृषि की समस्याएं

तुमने पढ़ा कि सरकार विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है। इन योजनाओं मे सरकार कृषि नीति बनाती है। कृषि नीति बनाते समय सरकार को यह विचार करना पड़ता है कि खेती-किसानी व अनाज उत्पादन मे क्या समस्याएं हैं? किसानों के क्या हालात हैं? इन समस्याओ को कैसे हल किया जाए? जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे सरकार को कृषि नीति भी बदलनी पड़ती है।

जब हमारा देश अंग्रेज़ शासन से आज़ाद हुआ तब हमारे अधिकांश किसानों के हालात बहुत बुरे थे। भारत के हर 100 लोगो में से लगभग 75 लोग कृषि पर निर्भर थे; पर इनमें आधे से अधिक लोगों के पास ज़मीन नही थी या दो एकड़ से कम ज़मीन थी। चंद बड़े ज़मींदारों के पास कुल खेतिहर भूमि का आधे से अधिक हिस्सा था। उत्पादन भी बहुत कम था। एक एकड़ में 2-3 बोरी अनाज से अधिक नही होता था। बहुत कम ज़मीन सिंचित थी। बहुत से ग़रीब किसान और मज़दूर भुखमरी और कुपोषण के शिकार थे। हर साल कही न कही सूखा पड़ता था या बाढ़ आती थी। ग़रीब किसानों के पास इतना अनाज नहीं रहता था कि वे ऐसे बुरे दिनों का सामना कर पाएं। अकाल में लाखों लोग भूख और बीमारी के शिकार हो जाते थे। राहत की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास अनाज का भंडार नही था। अनाज की कमी के कारण हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ रहा था।

सरकार के सामने दो खास उद्देश्य थे। एक - अनाज उत्पादन बढ़ाना और बुरे समय के लिए भंडार भी बनाना। दूसरा - ग़रीब किसानों और मज़दूरों को जीवन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना ताकि वे भुखमरी का शिकार न बने।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1950-1965 के बीच सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे :

1. सिंचाई और बिजली के लिए बड़े-बड़े बांध बनाए, जैसे भाखड़ा नंगल (पंजाब), दामोदर घाटी (प. बंगाल), हीराकुड (उड़ीसा), नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश), गांधीसागर (मध्य प्रदेश)
2. रासायनिक खाद के कारखाने खोले। किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए गांवो मे सहकारी समितियां बनाईं।
3. कृषि अनुसंधान केन्द्र और विश्वविद्यालय खोले।

इन प्रयासों के कारण पहले से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई हो पाई एवं अधिक ज़मीन पर खेती होने लगी। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा।

चित्र में अनाज की एक बाली से कितने लाख टन अनाज दिखाया गया है?

इतना सब होने पर भी कमी पड़ रही थी। दूसरे देशों से जो अनाज मंगाना पड़ता था, उसकी मात्रा बढ़ती गई। हमारे पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो हमने दूसरे देशों से खासकर, अमरीका से अनाज उधार लेना शुरू किया।

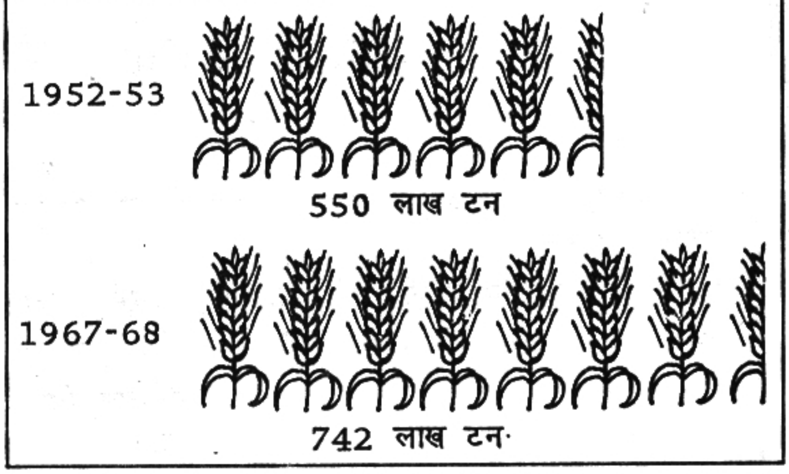

अनाज का उत्पादन बढ़ा

खेती	सिंचाई
1966 में 3405 लाख एकड़	1966 में 658 लाख एकड़
1951 में 2967 लाख एकड़	1951 में 523 लाख एकड़
कितना बढ़ा?	

नई कृषि नीति अपनाने का दबाव

हमारे नेता और विशेषज्ञ चिन्तित थे कि हमें उधार पर बहुत सा अनाज आयात करना पड़ रहा था। हमारे देश की हालत साहूकार से उधार लेने वाले किसान जैसी होने लगी थी। जिन देशों से हम अनाज उधार लेते थे, वे हमारे ऊपर दबाव डालने लगे और अपनी बात हमसे मनवाने की कोशिश करने लगे।

अमीर देशों के नेता हम से पूछते कि आप उधार मांगने क्यों आते हैं? आप अपने देश में अनाज का उत्पादन और क्यों नहीं बढ़ाते? वे इस बात का दबाव डालने लगे कि हम उन्हीं तरीकों से खेती करने लगें जो उनके यहां अपनाए जा रहे थे। उनके विशेषज्ञों ने ऐसे बीज बनाए थे जो एक एकड़ सिंचित ज़मीन पर 15-20 बोरे अनाज तक पैदा कर सकते थे। वे यह मांग करने लगे कि हम भारत में भी इन्हीं बीजों से खेती करें। उनका कहना था कि भारत में पहले से सिंचाई वाली ज़मीन पर नए बीजों का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे सभी इलाकों में सिंचाई फैला कर सभी जगह नए बीजों का इस्तेमाल होना चाहिए।

पर समस्या यह थी कि नए बीजों के लिए काफी ज़्यादा रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत थी जो भारत में तब बहुत कम बनती थी। दूसरी समस्या यह थी कि नए बीजों की फसलों में बीमारियां ज़्यादा आसानी से लगती थी। उनके लिए कीटनाशक दवा का ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी था। ये दवाएं भी तब भारत में कम ही बनती थीं।

अमीर देश चाहते थे कि भारत रासायनिक खाद व दवाएं उनके यहां से खरीद ले और उनके उद्योगपतियों को इजाज़त दे तो वे भारत में ही खाद व दवा के कारखाने डाल लें।

भारतीय नेता बड़ी दुविधा में थे। अभी तक विदेशों

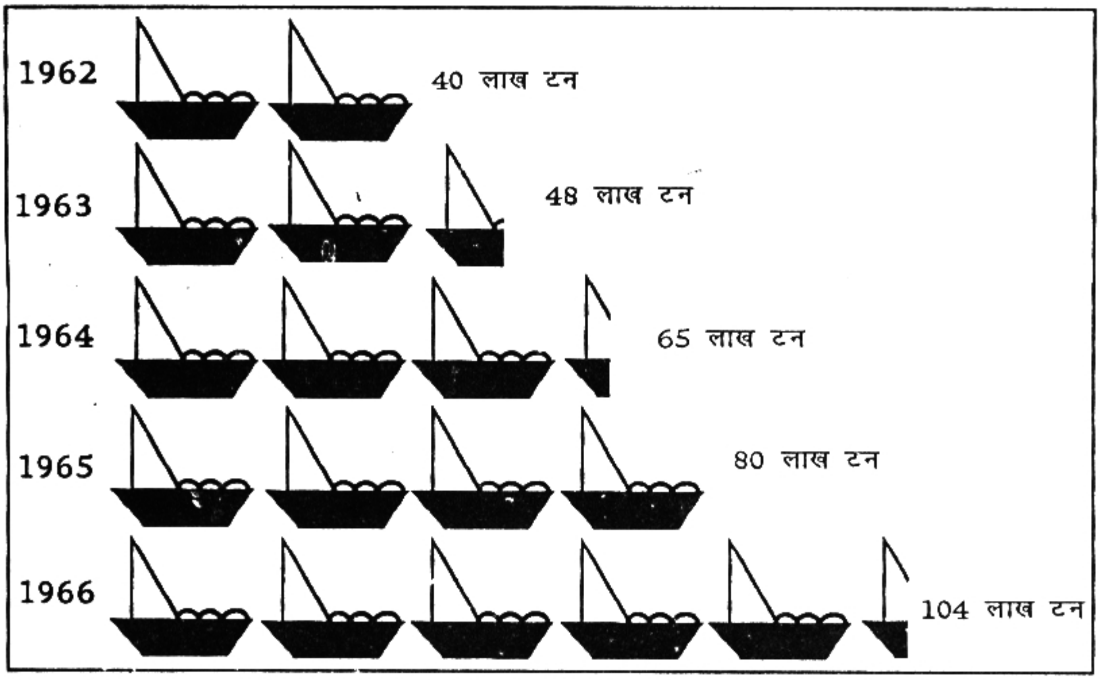

अनाज का बढ़ता आयात

जगह अकाल मंडरा रहा था। ऐसी संकट की हालत में भी जिन देशों से हम उधार लेते थे वे आनाकानी करने लगे। उनकी सरकार ने भारत भेजे जा रहे अनाज के जहाजों को रोक लिया ताकि वे अपनी बात मनवा सकें।

से अनाज ही खरीद रहे थे। अब खाद-दवा भी खरीदनी पड़े तो पैसों की ज़रूरत होगी। पैसे नहीं हैं तो फिर वही उधार लेने का सिलसिला चलेगा। इस तरह भारत अमीर देशों पर निर्भर बना रहेगा और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। जबकि, स्वतंत्रता के बाद भारत यह चाहता था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़े खुद बनाए।

एक तरफ यह भी सच था कि नए बीजों से पैदावार बहुत बढ़ जाएगी और भारत जल्दी ही अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा। धीरे-धीरे दवा और खाद के कारखाने भारत में ही लगाए जा सकते थे। इन सब बातों पर बहुत चर्चा और बहस हुई। दूसरी तरफ, अमीर देशों की सरकारें अनाज उधार देने में आनाकानी करने लगीं थीं। ऐसे मे देश में अनाज का उत्पादन जल्दी से बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया था।

सन् 1965-66 की बात है। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। उस साल वर्षा भी बहुत कम हुई थी, और देश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। अनाज की बहुत कमी थी और सब

चित्र में एक पूरे जहाज से कितने लाख टन अनाज दिखाया गया है ?

1966 में छठवें जहाज का जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है उससे कितने लाख टन अनाज दर्शाया गया है ?

भारतीय नेताओं के सामने क्या दुविधा थी ?

नई कृषि नीति (हरित क्रांति)

सन् 1966-67 में भारत सरकार ने नई कृषि नीति का ऐलान किया। यह नीति मुख्य रूप से नए किस्म के संकर बीजों के प्रसार से संबंधित थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मेक्सिको देश में शोध कार्य करके गेहूं के नए बीज विकसित किये थे। धान के नए बीज फिलिप्पाईंस देश में विकसित किए गए थे। इनकी क्या खासियत है? इनको उगाने के लिये क्या-क्या चाहिए होता है?

नए बीज कम समय में पकते हैं, अनाज की पैदावार बहुत अधिक और फसल छोटे कद की होती है। इन

बीजों के लिए पर्याप्त सिंचाई, रासायनिक खाद और दवा की ज़रूरत होती है।

मगर इन सबको किसान लायेगा कहां से? हर चीज़ बाज़ार से मोल लेना पड़ेगी। पहले तो बीज, खाद सब कुछ का प्रबंध किसान खुद कर लेता था।

अब तो खेती बाज़ार से खरीदे सामान पर निर्भर हो गई है। किसानो के पास इतना पैसा कहां रहता है कि किसानी की हर चीज़ बाज़ार से इतने ऊंचे दामो में खरीदें। इसलिये सरकार ने बैंको से किसानो को कम ब्याज पर आसानी से लोन देने का प्रबंध किया।

सरकार किसानों को कम ब्याज पर ऋण देती है। फसल कटते ही किसान को ऋण लौटाना पड़ता है। ये बातें तुमने कक्षा 6 के पाठ 'किसान और मज़दूर' में समझी हैं। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार ने मोटर पंप के लिए कम ब्याज पर ऋण देने का प्रबंध भी किया। पर ये मोटर पंप चलें कैसे? इसके लिए बिजली या डीज़ल की ज़रूरत थी। इसकी व्यवस्था करना भी सरकार की ज़िम्मेदारी थी।

नई खेती का मतलब यह हुआ कि किसान को अपनी अधिकांश उपज बेचनी पड़ती है ताकि उस पैसे से खाद आदि खरीद सके व लोन लौटा सके।

इतनी कीमती लागत लगाकर किसान ने अनाज उगाया तो उसे उसका सही दाम तो मिलना चाहिए। मगर जब फसल कटने के बाद किसान अनाज बेचने जाये तो दाम बहुत कम होता है। इस कारण सरकार ने कहा वह उचित (ऊंचे) दामों पर किसानों से अनाज खरीदेगी। किसान बेफिकर होकर अनाज उगाए। किसानों से उचित दाम पर अनाज खरीदने के लिए **भारतीय खाद्य निगम** बना।

समर्थन मूल्य : हर साल सरकार हर अनाज का न्यूनतम भाव (समर्थन मूल्य) घोषित करती है। समर्थन मूल्य का अर्थ है इस कीमत में किसान जितना अनाज बेचना चाहेगा उतना अनाज सरकार खरीदेगी। इस कारण से अब व्यापारी कम दाम पर अनाज बेचने के लिये किसानो को मजबूर नहीं कर सकते। भारतीय खाद्य निगम सरकार की तरफ से खरीदी करता है। हर साल यह निगम लाखों टन अनाज खरीदता है।

तो फिर संक्षेप में देखें सरकार को नई कृषि नीति में क्या-क्या करना पड़ा।

- बीज, खाद, दवा का प्रबंध।
- बैंक से लोन का प्रबंध।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दामों पर खरीदी।
- सिंचाई के लिए मोटर पंप, बिजली, डीज़ल आदि का प्रबंध।

नई कृषि नीति कहां-कहां लागू की गई ?

शुरू में इस नीति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में शुरू किया गया। इन्हीं इलाकों में पहले से सिंचाई का प्रबंध था। नए बीज के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी जो थी।

संकर बीज अकेला नहीं है। ये सब उसके साथ हैं।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में गेहूं और तमिलनाडु में धान पर जोर रहा। बाद में पंजाब में भी धान उगाया जाने लगा। आजकल इस नीति को एक एक करके सारे सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। सिंचाई भी फैलाई जा रही है।

नई कृषि नीति में अपनाए गए संकर बीजों की क्या ज़रूरतें थीं?

नई कृषि नीति किन क्षेत्रों में अपनाई जा सकती थी?

किसान को नई कृषि नीति का तरीका अपनाने के लिये पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी?

सरकार ने नई कृषि नीति अपनाने के लिये क्या प्रबंध किए?

भारतीय खाद्य निगम का क्या कार्य है?

नई कृषि नीति से क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ?

नए बीजों से अनाज का उत्पादन बढ़ा। गेहूं में यह उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा, परंतु दूसरी फसलों में उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। जैसे कि तुमने पढ़ा, नई कृषि नीति के लिए सभी प्रकार के प्रबंध ज़रूरी हैं। यदि इन प्रबंधों में कमी आती है या कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उत्पादन पर बुरा असर होता है। इस कारण गेहूं का उत्पादन भी केवल उन इलाकों में अधिक बढ़ा जहां सभी प्रकार के प्रबंध हो पाए।

उत्पादन बढ़ने के कारण अब हमें विदेशों से अनाज आयात करने की ज़रूरत नहीं रही। जो अनाज हम विदेशों से खरीदते थे उसकी मात्रा बहुत घट गई। संकट की स्थितियों का सामना करने के लिये सरकार के पास अनाज का बड़ा भंडार बन गया। 1967 में सरकार के भंडार में केवल 19 लाख टन अनाज था, 1987 में बढ़कर 127 लाख टन हो गया। हम अनाज के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गये।

पर इस नीति से कई समस्याएं हल नहीं हुईं।

नई कृषि नीति के तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई ज़रूरी है। जहां-जहां सिंचाई फैली है, नहर, पंप या कुंओं से, वहीं उत्पादन बढ़ पाया है।

प्रति एकड़ उत्पादन : धान और गेहूं

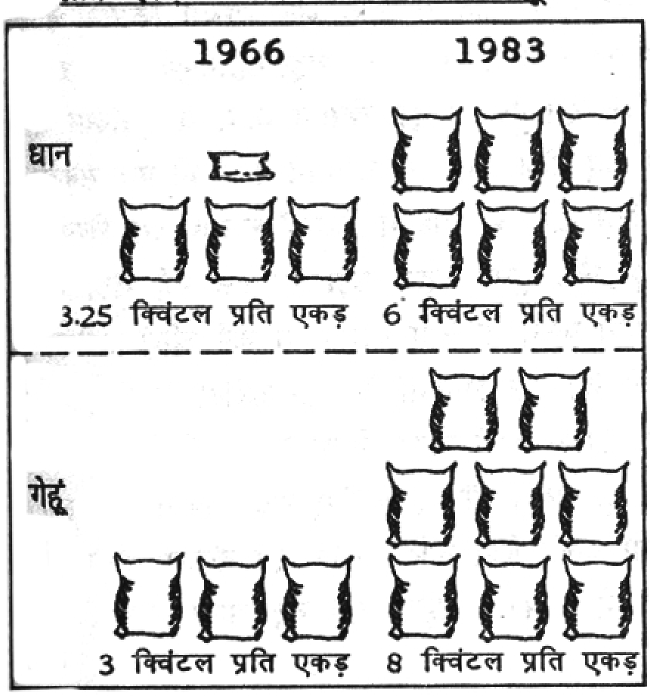

देश में अनाज का कुल उत्पादन

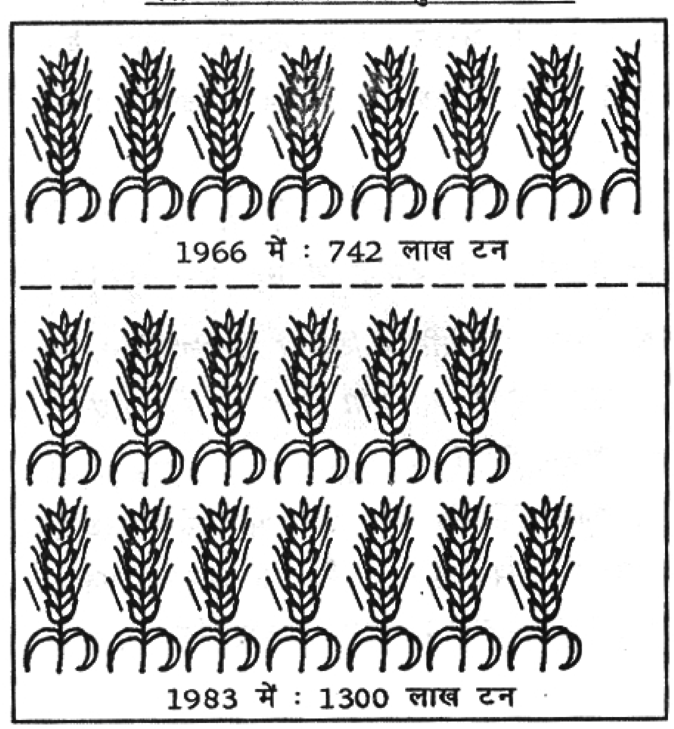

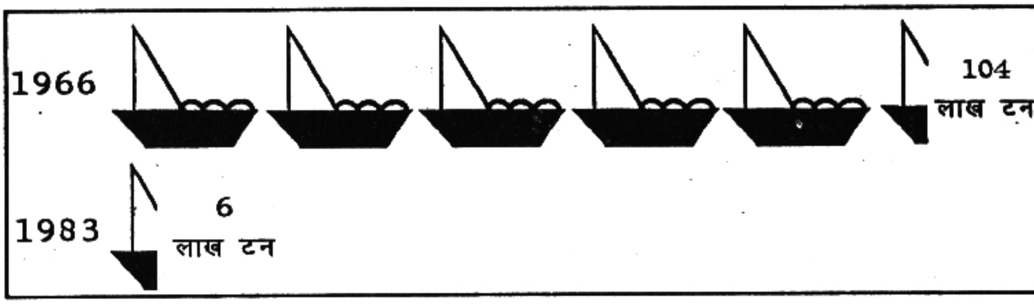

अनाज का आयात

सूखे क्षेत्रों में उत्पादन नहीं बढ़ा। 1965 में केवल 20% ज़मीन पर सिंचाई होती थी।

1977-78 तक लगभग 24% यानी 1/4 हिस्से को सिंचित किया गया।

1984-85 तक 30% यानी लगभग एक तिहाई हिस्से को सिंचित किया गया। दो तिहाई हिस्सा अब भी सूखा है।

शायद कोई सोचे कि इसमें क्या दिक्कत है? सभी जगह सिंचाई बढ़ा दो तो सब की उन्नति हो जाएगी। एक समस्या यह है कि हमारे देश में जितनी खेती लायक भूमि है उस का 55% यानी आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा ही सिंचित किया जा सकता है। बाकी भूमि पर सिंचाई करना बहुत कठिन और बहुत ही ज़्यादा महंगा काम होगा। इसलिये सरकार को सूखी खेती बेहतर बनाने के तरीके भी सोचने होंगे। बंजर भूमि को खेती लायक बनाने के प्रयास करने होंगे। तभी पूरे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ सकता है।

तुमने भूगोल के पाठों में सिंचाई के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है।

चर्चा करो कि भारत की बहुत सी ज़मीन पर सिंचाई किन-किन कारणों से नहीं हो सकती।

सूखे इलाकों में खेती के विकास के लिए सिंचाई को छोड़कर और क्या-क्या किया जाना चाहिए- इस पर भी चर्चा करो।

नई कृषि नीति के साथ और भी कई समस्यायें हैं। तुमने देखा कि नई कृषि नीति के लिए कई प्रकार के प्रबंध करना ज़रूरी हो गया। सिंचाई, बिजली, खाद व डीज़ल के लिए खनिज तेल, बैंक से ऋण आदि। यह सब सुचारु रूप से हो यह आसान नहीं था। कई नई समस्यायें सामने आईं, जैसे - खनिज तेल की कमी, बिजली उत्पादन की कमी, सिंचाई योजनाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाना आदि।

सरकारी भंडार

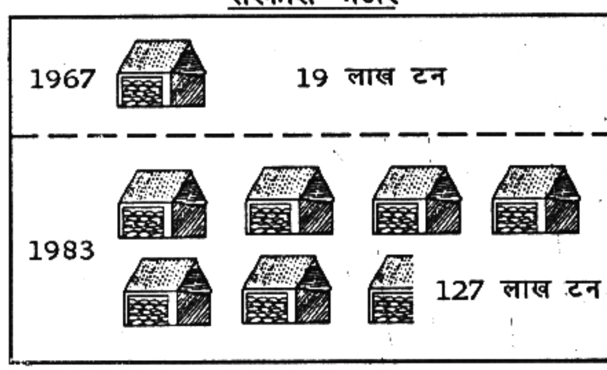

नई कृषि नीति से छोटे और मध्यम किसानों को कम लाभ ही मिल पाया। यह महत्वपूर्ण कमी रही क्योंकि इस देश में ऐसे किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं। नए बीज, खाद का उपयोग कोई भी कर सकता है, फिर छोटे और मध्यम किसानों के साथ क्या दिक्कतें थीं? जैसे तुमने पहले पढ़ा था इस नई खेती का उपयोग करने के लिए बाज़ार से कई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। इन किसानों के पास खरीदी के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी ऋण भी इन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाया। सिंचाई के लिए मोटर पंप की व्यवस्था करना इनके लिए कठिन था। इन कारणों से इनके खेतों में उत्पादन बहुत नहीं बढ़ पाया।

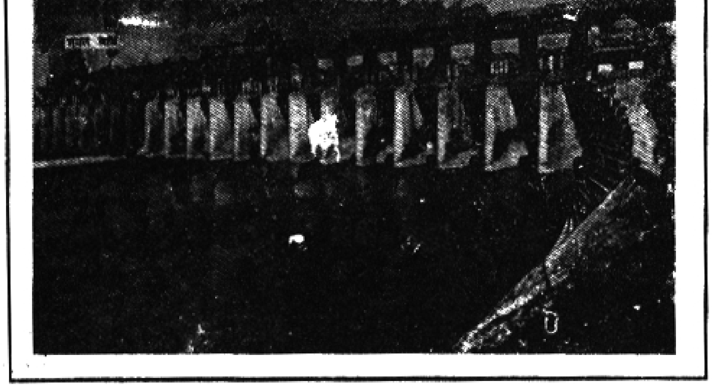
नांगल बांध

रसायनिक खाद का एक कारखाना

अभ्यास के प्रश्न

1. स्वतंत्रता के बाद भारत की खेती में क्या-क्या समस्याएं थीं तीन चार वाक्यों में लिखो।
2. 1968 तक अनाज के उत्पादन की समस्या कितनी हल हो गई और कितनी बनी हुई थी ?
3. नए बीजों की खेती से कौन सी समस्याएं हल हुईं और कौन सी बनी हुई हैं?
4. सोच कर बताओ कि नई कृषि नीति को हरित क्रांति क्यों कहा गया है?
5. खेती के लिए सरकार कई चीज़ों का प्रबंध करती है। तुम अपने आसपास ये प्रबंध देखते हो। इनकी एक सूची बनाओ। इससे किसानों को क्या फायदा हुआ?
6. सरकार तो कोई व्यापारी नहीं है। फिर वह किसानों से लाखों टन अनाज क्यों खरीदती है?
7. यदि बैंक से लोन का प्रबंध नहीं हो पाए तो इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

8

बुनियादी उद्योग की नीति

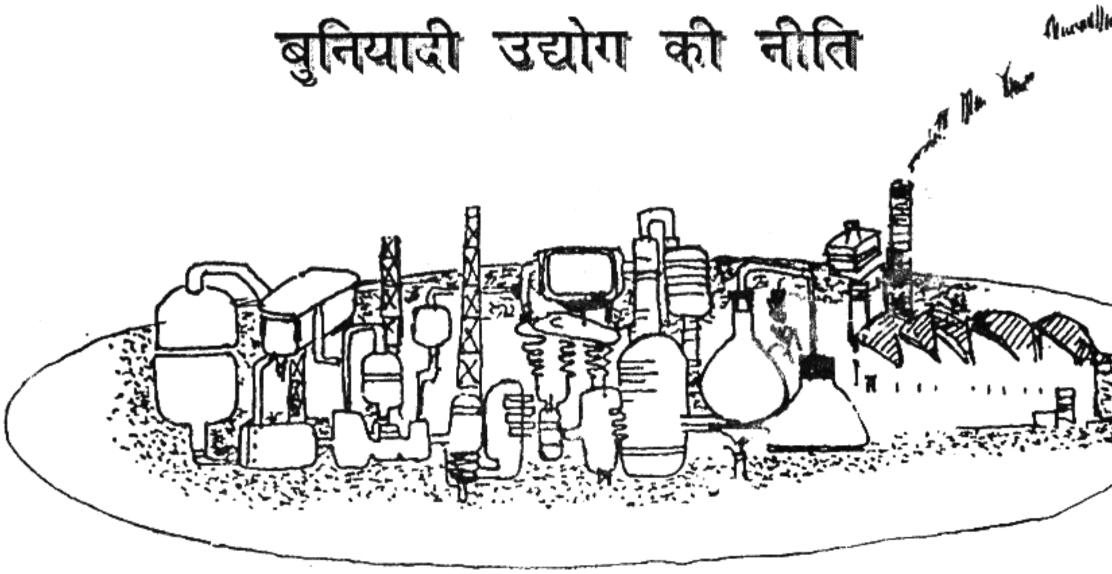

औद्योगीकरण की जरूरत

जैसा कि तुम ने इतिहास के पाठ में पढ़ा, अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय उद्योगों को विशेष बढ़ावा नही दिया था। फिर भी स्वतंत्रता के समय तक कई उद्योग लग चुके थे। कपड़ा मिलो के लगने की कहानी तुमने पढ़ी। परंतु देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इतने कारखाने पर्याप्त नही थे। आज़ादी के समय बहुत सारा सामान बाहर से आयात होता था— बड़ी-बड़ी मशीनों से लेकर आलपिन तक।

स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमे औद्योगीकरण पर ज़ोर दिया गया। औद्योगीकरण का मतलब है बहुत सारी अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाने के कारखानो का लगाया जाना।

इस औद्योगीकरण का एक लक्ष्य यह भी था कि उद्योगों से प्राप्त सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में ही होना चाहिए और बाहर के देशों से इतना सारा सामान आयात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देश के उद्योगपति भी चाहते थे कि उनके कारखानों में बना माल देश के बाज़ारों में बिके। बाहर से आने वाले सामान पर रोक लगाई जाए ताकि यहां के कारखाने पनप सकें। इसी बात पर वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे।

स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं को लग रहा था कि ग़रीबी की समस्या दूर करने के लिए ज़रूरी है कि सभी लोगों को कोई न कोई जीविका का साधन उपलब्ध हो पाए। उनके पास अधिक अनाज, कपड़ा और अन्य सुविधाएं खरीदने के लिए पैसे हों।

मुख्य जीविका का साधन कृषि था, परंतु कृषि के क्षेत्र में बहुत लोग थे और ज़मीन कम थी। दूसरी तरफ ज़मीन का बंटवारा बहुत ही असमान था। यानी बहुत से लोगों के पास कम और कुछ लोगों के पास बहुत ही अधिक ज़मीन थी। उस समय लोगों ने सोचा कि उद्योग लग जाने पर बहुत से लोगों को जीविका का साधन मिल पाएगा। उन्हें कारखानों में नौकरियां मिल जाने पर कृषि पर निर्भर नही होना पड़ेगा। इस प्रकार औद्योगीकरण की ज़रूरत कई कारणों से महसूस हो रही थी।

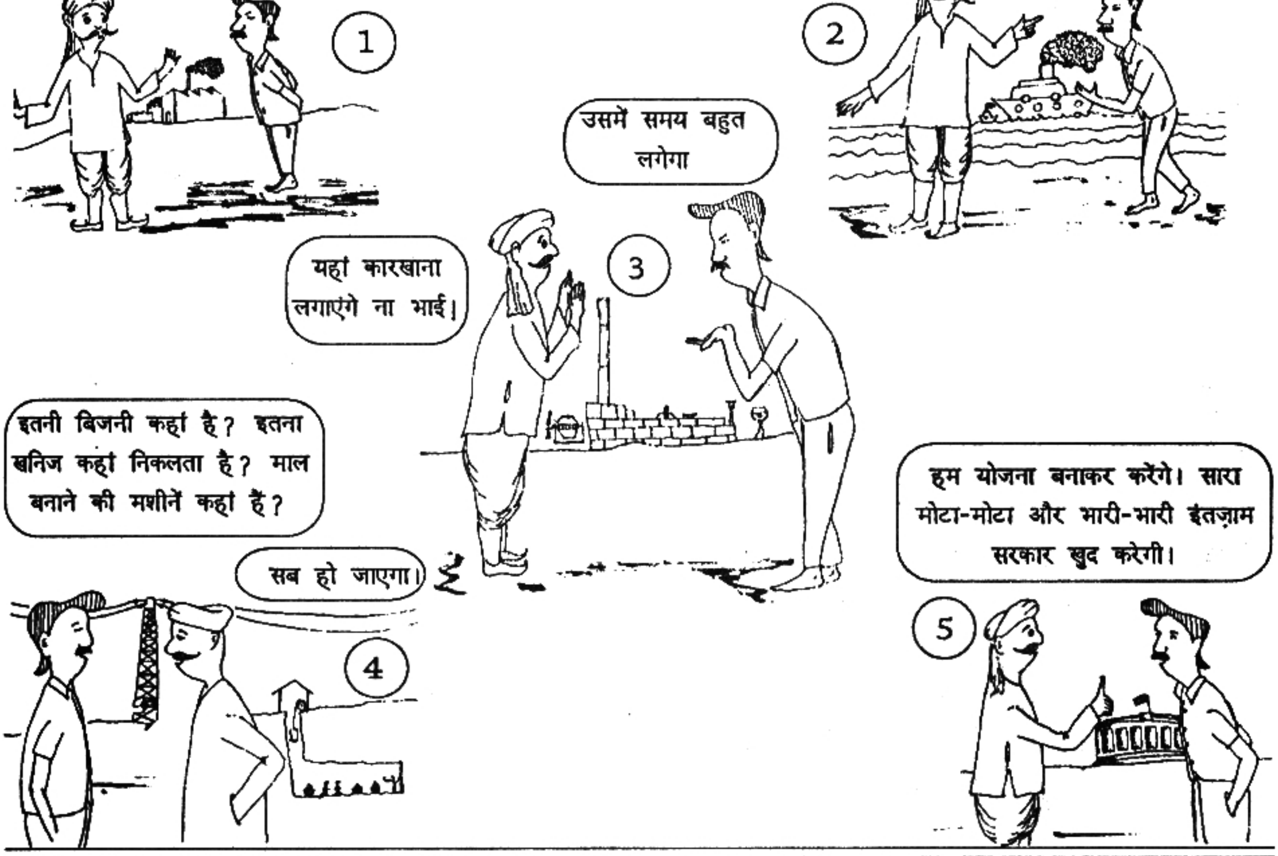

बुनियादी उद्योग

जब सरकार ने विकास के लिए योजना बनाना शुरू किया तो यह निश्चय किया गया कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। पर यह कैसे हो? यदि देश में कारखाने लगाने हैं तो उसके लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं?

कोई भी कारखाना लगाने के लिए मशीनों या यंत्रों की ज़रूरत है। कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा मशीनों की ज़रूरत है, सीमेंट बनाने के लिए अलग मशीनें चाहिए, तेल निकालने के लिए अलग यंत्र चाहिए। मशीन या यंत्र चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी।

कारखानों के लिए कच्चा माल भी चाहिए जिससे चीज़ों का निर्माण हो सके। अधिकतर, यह कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे साइकिल बनाने के लिए इस्पात चाहिए जो कि लौह अयस्क और कोयले से बनता है। इसी तरह कई प्रकार के खनिज कारखानों में काम आते हैं।

कारखानों में बने सामान और कारखानों के लिए कच्चा माल लाने ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए यातायात के साधन (परिवहन) की आवश्यकता होती है। ट्रक, रेल और समुद्री जहाज़ यातायात के साधन हैं। यानी औद्योगीकरण के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे मशीन, बिजली, खनिज

और यातायात के साधन। ये चीज़ें कारखानें लगाने की नींव हैं।

मशीन, बिजली, खनिज, यातायात के साधन, आदि को बनाने के लिए भी उद्योग चाहिए। जैसे बिजली बनाने के अलग कारखाने होते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए खदानें होती हैं, रेल का सामान बनाने के कारखाने होते हैं, और मशीन बनाने के कारखाने होते हैं। इस तरह के कारखानों को बुनियादी उद्योग कहा जाता है क्योंकि ये उद्योगों की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें बनाने के उद्योग हैं।

बुनियादी शब्द का क्या अर्थ होता है? गुरुजी के साथ चर्चा करो।
उद्योग के लिए बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं?

इन बुनियादी चीज़ों के उद्योग का इंतज़ाम सरकार ने किया। सरकार ने तय किया कि वह ऐसे कारखाने खोलेगी जहां इन सब चीज़ों को बनाया जा सके या उनकी व्यवस्था की जा सके। इन चीज़ों का इंतजाम करने पर लोग दूसरे कारखाने डाल पाएंगे। इस तरह बुनियादी उद्योग का इंतज़ाम करके सरकार देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा दे पाएगी। यह सरकार की नीति थी।

रेल के डिब्बे बनाना और मोटर गाड़ी बनाना- इन में से बुनियादी उद्योग कौन सा है और क्यों?

बुनियादी उद्योग कौन लगाए - सरकार या निजी व्यक्ति (प्राइवेट)

अभी तक हमने पढ़ा कि सरकार ने आज़ादी के बाद बुनियादी उद्योग लगाना तय किया ताकि आगे चल कर देश में बहुत से कारखाने लग पाएं। बुनियादी उद्योग लगाना ज़रूरी था। परन्तु यह काम सरकार को क्यों करना पड़ा था - वह क्यों करना चाहती थी ?

जब 1947 के पश्चात् सरकार के सामने बुनियादी उद्योग लगाने की बात आई, तब यदि सरकार अनुमति देती भी तो कोई प्राइवेट रूप से इन उद्योगों को लगाने के लिए तैयार नहीं होता। इन बुनियादी उद्योगों को लगाने के लिए बहुत लागत चाहिए थी। इतनी पूंजी निजी व्यक्तियों के पास नहीं थी। साथ ही साथ इन कारखानों को बनाने में बहुत समय लगता है और इतनी देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी या पैसा फंसा कर नहीं रखेगा। सरकार ने सोचा कि अगर वह स्वयं लगाए तो ये बुनियादी उद्योग जल्दी लग सकते हैं।

बुनियादी उद्योगों के लिए भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें एक साथ ज़रूरी हैं। जैसे यदि एक ताप बिजली घर बनाना है तो उसके लिए कोयला नियमित रूप से मिलते रहना ज़रूरी है। कोयले को ताप बिजली घर तक रेल द्वारा पहुंचाना पड़ता है। कोयले और रेल की सुविधा के अलावा बिजली बनाने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है- ये मशीनें बड़े कारखानों में बनती हैं।

यदि बिजली का उत्पादन बढ़ाना हो तो और किन चीज़ों का उत्पादन बढ़ाना होगा?
यदि रेल प्राइवेट कंपनी चला रही हो और वह बिजली घर को कोयला भेजने के लिए रेलगाड़ी न दे तो बिजली कारखाने पर क्या असर पड़ेगा?

इस तरह हमने देखा कि सभी बुनियादी उद्योग एक दूसरे से जुड़े हैं- एक के चलने में कुछ कमी हुई तो दूसरे सभी बुनियादी उद्योगों में दिक्कतें आने लगती हैं। सभी बुनियादी उद्योग सुचारु रूप से चलते रहें, इसलिए सरकार ने खदान, भारी मशीन, इस्पात, बिजली, रेल, जैसे सभी बुनियादी उद्योगों का संचालन अपने हाथ में लेना ज़रूरी समझा।

हमने देखा कि बुनियादी उद्योग किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं और बाकी सभी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इन उद्योगों में बनी वस्तुओं के दाम और उनके उत्पादन से बाकी सभी चीज़ों के दाम और उत्पादन पर असर पड़ता है। तुमने टैक्स के पाठ में देखा था कि कैसे खनिज तेल के भाव बढ़ने से कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। यदि खनिज तेल, बिजली, इस्पात, जैसी बुनियादी चीज़ें प्राइवेट कारखानों में तैयार हों तो उद्योगपति अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये चीज़ें मनचाहे दामों पर बेच सकते हैं। सरकार कानून बना कर निजी कारखानों पर नियंत्रण तो कर सकती है, परन्तु यदि वह खुद इन चीज़ों का उत्पादन करे तो वह ज़्यादा आसानी से इन वस्तुओं के दाम नियंत्रण में रख सकती है। इन सभी बातों के कारण उस समय की सरकार ने सभी बुनियादी उद्योग अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया था।

सरकार ने स्वयं बुनियादी उद्योग चलाने का निर्णय क्यों लिया? चार कारण बताओ।

सरकार ने बुनियादी उद्योग स्थापित किए

सरकार ने योजनाएं बनाना तय किया। इन योजनाओं में कौन-कौन से कारखाने लगाए जाएंगे - उसके लिए विस्तार से सोच कर कदम उठाए।

मशीन व यंत्र

मशीन बनाने के लिए कारखाने चाहिए थे। सरकार ने मशीनें बनाने के कई कारखाने स्थापित किए। जैसे भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का कारखाना बनाया गया। इस कारखाने में कई तरह की बिजली की भारी मशीनें बनाई जाती हैं। कुछ मशीनें बिजली उत्पादन के काम में आती हैं और कुछ बिजली वितरण के काम में आती हैं। इसी प्रकार मशीनें बनाने के लिए कई दूसरे कारखाने भी लगाए गए।

क्या मशीन बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है? चर्चा करो।

बिजली

बिजली बनाने के कई तरीके हैं जिसमें से दो मुख्य प्रकार के बिजली घर हैं- ताप बिजली और पन बिजली घर। हमारे देश में दोनों तरीकों के बिजली घर लगाए गए। इसके लिए सरकार को कई इंतज़ाम करने पड़े। जैसे कि ताप बिजली घर तक कोयला पहुंचाना। खदान से कोयला निकालकर उसे मालगाड़ी में लादकर ताप बिजली घर तक भेजना होता है। यह पूरी प्रक्रिया सरकार कर रही है।

देश में बिजली का उत्पादन 1950 की तुलना में तीस गुना बढ़ा है। बिजली के उत्पादन के लिए सरकार ने कई कारखाने लगाए जिसका एक उदाहरण तुम यहां दिए गए चित्रों में देख सकते हो।

कारखानों के लिए बिजली की ज़रूरत बुनियादी कैसे है, समझाओ।

यह चित्तरंजन लोकोमोटिव्स कारखाना है। यहां रेल के इंजन बनाए जाते हैं

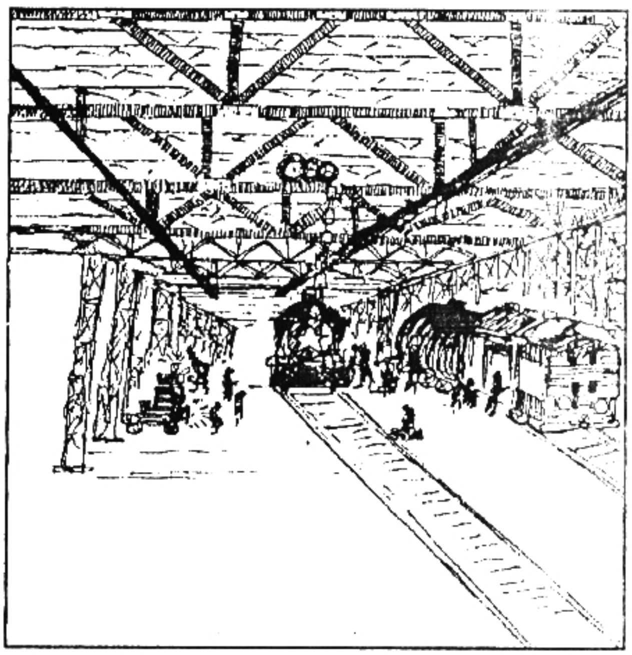

खनिज

सरकार ने खनिज को उपयोगी बनाने के लिए दो तरह के काम किए। एक तो खनिज निकालने की व्यवस्था करना और दूसरा उसको साफ करना यानी उसे उपयोगी बनाना।

सरकार ने अलग-अलग खनिजों के उत्खनन के लिए कई खदानें खोली और पुरानी खदानों की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। सरकार ही अब खनिज निकालकर बेचती है।

बिजली उत्पादन का उपयोग

नीचे दी गई तालिका में यह बताया गया है कि 1985-86 में देश में जितनी बिजली बनी, उसका कितना प्रतिशत घरों में जलाया गया, कितना प्रतिशत दुकानों या दफ्तरों में जलाया गया और कितना प्रतिशत खेती व कितना उद्योगों में उपयोग हुआ।

किन दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग होता है? इन क्षेत्रों में बिजली से क्या-क्या किया जाता है?

तुमने भूगोल के पाठ में पढ़ा था कि भारत में खनिज कहां-कहां उपलब्ध हैं। इन खनिजों को निकालने के लिए सरकार खदानें चला रही है। खनिजों को निकालने के बाद साफ करना ज़रूरी होता है ताकि कारखानों मे इनका इस्तेमाल आसानी से हो सके। सरकार खनिज साफ करने के कारखाने भी चलाती है। टैक्स के पाठ में देखो कि खनिज तेल साफ करके उसका कहां-कहां उपयोग किया जाता है।

एक महत्वपूर्ण खनिज है लौह अयस्क। इसे साफ कर के बनाया गया लोहा स्टील कारखानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लोहा निकालने और स्टील बनाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। भारत के जिन इलाकों में कच्चा लोहा मिलता है वहां सरकार ने इस्पात बनाने के कई कारखाने लगाए हैं, जैसे भिलाई, बोकारो व राउरकेला के स्टील कारखाने। इन कारखानों में बनने वाले इस्पात का उपयोग दूसरे बहुत सारे कारखानों में होता है जहां इस्पात की हज़ारों चीज़ें तैयार की जाती हैं।

अपनी जानकारी के आधार पर बताओ लोहे का उपयोग कहां-कहां किया जाता है?

वर्ष 1985-1986 में बिजली का उपयोग - प्रतिशत (%) में

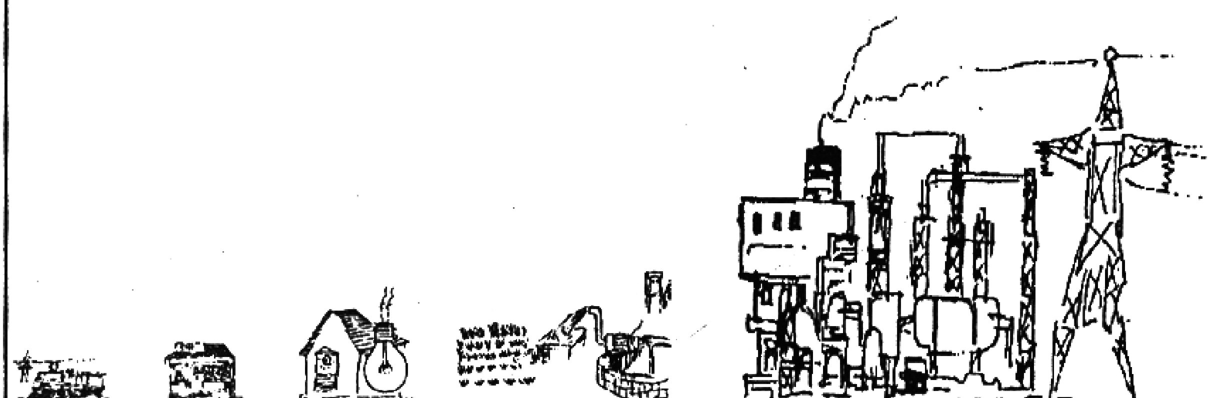

रेल	दुकान आदि	घरेलू	खेती	उद्योग	अन्य	कुल
3%	6%	14%	19%	54%	4%	100%

यातायात (परिवहन)

मशीन, बिजली, खनिज के साथ-साथ यातायात के साधन भी बुनियादी ज़रूरत है। यातायात के साधन बढ़ाने के लिए तीन प्रकार के काम किए गए। पहला तो, सड़क मार्ग बनाए गए। दूसरा सरकार ने रेल मार्ग भी बढ़ाए। रेल द्वारा ले जाया गया सामान बहुत बढ़ा है जैसे तुम ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हो। तीसरा, सरकार ने कई बंदरगाहों का विकास किया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता तो मुख्य बंदरगाह थे। इनके अलावा सरकार ने समुद्र तट पर कई जगहों पर बंदरगाह बनाए, जैसे कांडला, पराद्वीप व हलदिया।

ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार रेल द्वारा ले जाया गया सामान कितने गुना बढ़ा है? समुद्री जहाज़ों पर चढ़ाया गया माल कितने गुना बढ़ा है?

पता करो कि ट्रक से सामान ले जाना या रेल से - इन दोनों में से कौन-सा सस्ता है? यातायात के साधन कारखानों के लिए क्यों ज़रूरी हैं?

यातायात के साधन बढ़े

सड़क मार्ग बढ़ाड गए

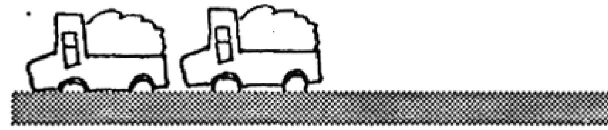

1950 - 1,34,000 कि.मी. सड़क मार्ग बन चुके थे

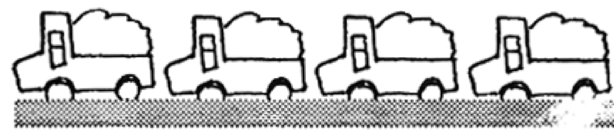

1982 - 2,61,000 कि.मी. सड़क मार्ग थे

प्रमुख बंदरगाहों पर जहाज़ों पर चढ़ाया गया माल

1950 200 लाख टन माल लदता था

1985 1000 लाख टल माल लदता था

रेल द्वारा ले जाया गया माल

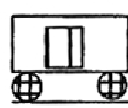

1950 30 लाख लादे गए रेल के डिब्बे

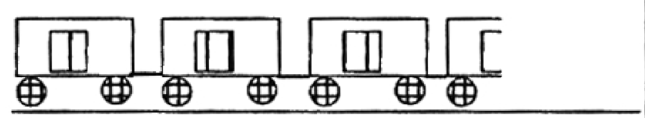

1985 100 लाख लादे गए रेल के डिब्बे

बुनियादी उद्योगों की समस्याएं

बुनियादी उद्योग लग जाने के कारण अन्य कारखाने लगाने में सुविधा हुई। बहुत से कारखाने लगे। परंतु बुनियादी उद्योगों के साथ कई समस्याएं बनी रहीं। जब ये बुनियादी उद्योग के कारखाने लगे थे तब इनसे बहुत उम्मीदें की गई थी। यह कल्पना थी कि इन बुनियादी कारखानों से होने वाली कमाई से और अधिक बुनियादी उद्योग लग पाएंगे। इस प्रकार मुनाफे का लाभदायक उपयोग हो पाएगा।

अधिक कारखाने लगाने की बात तो दूर रही इन बुनियादी उद्योगों में अपने सुधार के लिए भी पैसे नही हैं। सभी कारखानों को अपनी मशीनें सुधारने और बदलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बुनियादी उद्योगों के पास इस काम के लिए भी पैसे नही बच पाए। जैसे कि रेलवे की कई लाइनों की पटरियां बहुत

पुरानी हो गई हैं परंतु उन्हें बदलने के लिए पैसे नहीं हैं। आज भी 10,000 कि.मी. की ऐसी पुरानी पटरियां और रेलें हैं, जिन्हें बदलना बाकी है।

बुनियादी उद्योग की एक और कमी है, लागत के हिसाब से उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाना। मानो किसी मशीन बनाने के कारखाने में हर महीने 50 मशीनें बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। परंतु वह कारखाना हर महीने केवल 25 मशीनें बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस कारखाने में 25 मशीनों के उत्पादन के लिए लगी लागत बेकार हो रही है। यह बेकार हो रही लागत ठीक उसी तरह है जैसे किसी ने आटे की चक्की लगाई हो पर महीने में पंद्रह दिन उसे बंद रखता हो।

बुनियादी उद्योग से पैसे नहीं बच पाने से क्या कोई नुकसान हो रहा है ?

इस उद्योग नीति के कुछ परिणाम

आज की स्थिति की तुलना जब हम आज़ादी के समय के साथ करते हैं, तो यह नज़र आता है कि हमारे देश में औद्योगिक सामान का उत्पादन बढ़ा है। इस के कुछ उदाहरण तुम नीचे दी हुई तालिका में देख सकते हो।

साइकिल का उत्पादन और सिलाई मशीनों का उत्पादन कितने गुना बढ़ा है ?
बिजली से चलने वाले पंप और इस्पात का उत्पादन बढ़ने से क्या फायदा हुआ, समझाओ।

बुनियादी उद्योग की नीव बनने के कारण बहुत सारे कारखाने खोले गए हैं। बहुत तरह की वस्तुएं बनने लगी हैं। जैसे, बिजली उद्योग में बिजली की हज़ारों किस्म की चीज़ें, तार से लेकर सभी प्रकार की छोटी-बड़ी मोटर बनाई जाने लगी हैं।

तुम जानते हो कि किसी एक कारखाने में सामान बनाने के लिए अन्य कई कारखानों से कुछ न कुछ खरीदना पड़ता है। जब सभी प्रकार के कारखाने हमारे देश में लगने लगे तब किसी भी तरह का औद्योगिक सामान बनाने की क्षमता हमने हासिल कर ली।

औद्योगीकरण के कारण बाहर से मशीन व ज़रूरी सामान का आयात कम हुआ है। जैसे साइकिल उद्योग के लिए फ्रेम, सीट, चेन, ब्रेक आदि सभी सामान भारत में ही अलग-अलग कारखानों में बनते हैं। साइकिल बनाने के लिए बाहर के देशों से कुछ भी आयात नहीं करना पड़ता है। 1950 में हर 100 में से 60 साइकिलें बाहर से मंगवाई जाती थी। अब आयात की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी

	1950	1986
इस्पात का उत्पादन	10 लाख टन	80 लाख टन
बिजली से चलने वाले पंप	35 हज़ार	4 लाख 59 हज़ार
साइकिल	1 लाख	61 लाख
माचिस का उत्पादन	40 लाख डिब्बियां	580 लाख डिब्बियां
चमड़े के जूतों का उत्पादन	51 लाख जोड़े	1900 लाख जोड़े
सिलाई मशीनों का उत्पादन	33 हज़ार	3 लाख 77 हज़ार

बहुत से लोगों को कृषि पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उन्हें कारखानों में नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसा नहीं हो पाया। सभी जगह आज बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। बंबई शहर का उदाहरण तुम चित्र में देख सकते हो। कृषि के क्षेत्र में बहुत से खेतीहर मज़दूर व छोटे किसानों को पर्याप्त काम नहीं मिल पाता है। ऐसे कई लोग मजबूरी के कारण खेती कर रहें हैं क्योंकि उनके पास कोई और बेहतर काम-धंधा नहीं है। शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या भी बढ़ी है। 1961 में रोज़गार कार्यालय में 26 लाख लोगों के नाम दर्ज़ थे। 1988 में 3 करोड़ लोगों के नाम दर्ज़ हो गए थे।

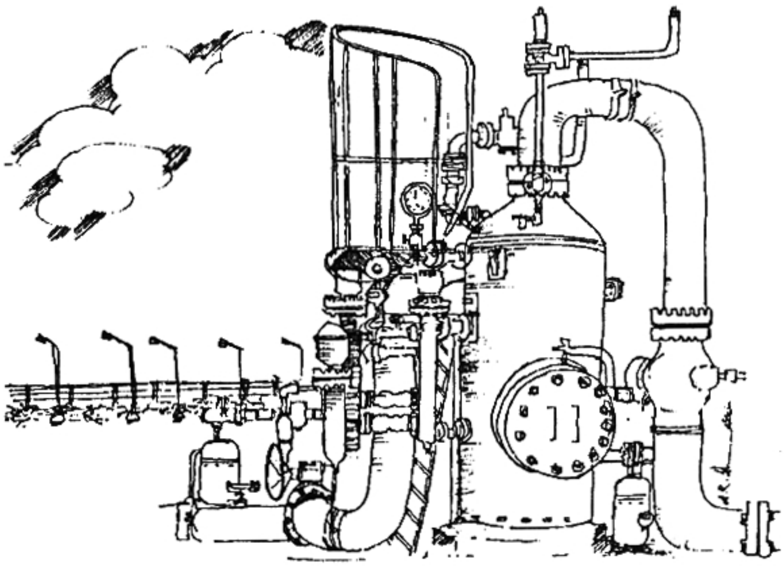

खनिज तेल को साफ करने का एक संयंत्र

अभ्यास के प्रश्न

1. क्या बुनियादी उद्योगों में लगाई गई लागत का पूरा उपयोग हो पा रहा है? समझाओ।
2. बुनियादी उद्योग लगाने से क्या फायदे हुए?
3. औद्योगीकरण से किस प्रकार के परिणाम सामने आए है?
4. अंग्रेज़ों के समय की उद्योग नीति और स्वतंत्र भारत की उद्योग नीति में क्या-क्या अंतर हैं?

दक्षिण राजस्थान के डुंगरपुर ज़िले का एक गांव है तम्बूलिया। इस गांव में लगभग 300 परिवार है, जिनमे से अधिकांश परिवार भीलो और हरिजनो के है। वे अपने एक या दो एकड़ के छोटे-छोटे सूखे खेतो पर स्वयं खेती करते है। इन परिवारो के कुछ सदस्य मजदूरी की तलाश मे गुजरात चले जाते है।

कई परिवारो के घरो पर दो-तीन दिन तक खाना नही पक पाता है। जिन के घर दिन मे एक बार भी भोजन बन जाता है, वे अपने आप को भाग्यशाली समझते है। बच्चे जंगली आम की गुठली चूसकर या जंगली फल खाकर भूख प्यास बुझाने की कोशिश करते है। पिछले दो तीन महीनो की भुखमरी ने इन्हें बहुत ही कमज़ोर कर दिया है - कमज़ोरी के कारण कुछ बुज़ुर्गों की मृत्यु हो गई।

1986 के मई माह की बात है। तम्बूलिया के पास कटरपारा गांव की एक दर्दनाक घटना मे एक विधवा और उसके दो बच्चे कुछ ही दिनो पहले भूख से मर गए थे। उन्होने अपने रिश्तेदारो के यहां भोजन तलाशने की कोशिश की थी पर कुछ नही मिल पाया था।

सुशीला बड़ीहा (उड़ीसा) के एक गांव मे रहती है। इस इलाके मे सूखी खेती होती है और यहां एक ही फसल हो पाती है। सुशीला के परिवार के पास कोई ज़मीन नही है। वे दोनो पति-पत्नी मज़दूरी कर के ही किसी प्रकार गुज़ारा करते थे। 1977 मे उसके पति का देहांत हो गया। अब उसकी हालत और बुरी हो गई है।

वह कहती है, "मेरे पति का पेट दस साल से खराब था। पर मुझे लगता है कि वे अंत मे भूख से ही मरे। मेरी बेटी भूख के मारे बेहोश हो जाती है। दो-तीन दिनो से न मैने चूल्हा जलाया न ही कुछ खाया। हमारे पास न गाय है, न बकरी है, न ज़मीन।

जहां भी काम मिल जाए मैं कर लेती हूं। पर काम ही कहां मिलता है? कभी-कभी सरकारी गेहूं मिल जाता है तो कुछ काम चल जाता है।"

तुम्हारे आसपास ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति कौन है - उनका गुज़ारा कैसे हो पाता है चर्चा करो।

करोड़ों खेतीहर मज़दूर और छोटे किसानों की इतनी बुरी हालत है कि अक्सर वे उधारी के चंगुल में फंस जाते हैं। उधारी में फंसे कई ऐसे लोग बन्धुआ मज़दूर बन जाते हैं। बहुत से ऐसे मज़दूर और किसान काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। शहरों में भी उन्हें अच्छी ज़िंदगी नसीब नहीं होती।

झुग्गी, झोपड़ी-बस्ती, फुटपाथ पर रह रहे इन करोड़ों लोगों को रोज़ काम नहीं मिलता। कभी हम्माली, तो कभी घर बनाने का काम। बस्ती में न साफ़ पानी न ठीक से रहने की जगह। फिर जिन ठेकेदारों के ज़रिए उन्हें काम मिलता है वे भी उनको बुरे हालातों में रखते हैं।

एक उदाहरण : तमिलनाडु के मदुरई, सेलम, तिरुची, चेंगलपट आदि ज़िलों के गांवों से आए 84 आदमी, 59 औरतें, 109 बच्चे भोपाल के पास रायसेन की गिट्टी खदानों में बंधुआ मज़दूर थे। उन्हें इन गिट्टी खदानों में काम करने के लिए उनके गांवों से 60 रुपए प्रति दिन और 2,000 रुपए नगद के आश्वासन पर लाया गया था। पर यहां आने पर उन्हें केवल 100 या 120 रुपए महीना दिया गया, वह भी टूटे चावल और सीढ़े आटे के रूप में।

यदि वे ठेकेदार के चंगुल से निकलने की कोशिश करते या आवाज़ उठाते तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता और गरम लोहे से दाग़ा जाता। कुछ मज़दूर किसी तरह भाग निकले और तमिलनाडु में उन्होंने अपने साथियों की दशा के बारे में कई शिकायतें की। बड़ी मुश्किल से इन्हें छुटकारा मिल पाया।

तमिलनाडु से लोग रायसेन क्यों आए? रायसेन में उनके जीवन के बारे में दो वाक्य लिखो।

तुम कहोगे, ये तो कुछ ही इने-गिने परिवार होंगे जिनके हालात इतने बुरे हैं। ये बहुत पहले की बात होगी कि लोग भूखे मरते थे। अब तो देश ने इतनी तरक्की कर ली है - अब इतनी ग़रीबी कहां? आजकल ऐसी ग़रीबी है भी तो हमारे प्रांत में नहीं। सूखे इलाकों में ही ऐसी होगी।

ये बहुत पुरानी नहीं, छः-आठ साल पहले की ही बातें हैं। और न ही ये केवल कुछ प्रांतों की बातें हैं। आज भी लाखों, करोड़ों लोग ऐसे ही हालातों में जी रहे हैं। केवल सूखे क्षेत्रों में नहीं, सिंचित खेती वाले इलाकों और शहरों में भी लाखों लोगों की ऐसी ही हालत है।

ग़रीब कौन?

एक साधारण व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए रोज़ के भोजन की ज़रूरतें इस प्रकार हैं -

अनाज	लगभग 500 ग्राम
दाल	लगभग 50 ग्राम
सब्ज़ी	लगभग 200 ग्राम
दूध	लगभग 150-200 ग्राम
तेल/घी	30-50 ग्राम
शक्कर/गुड़	20-35 ग्राम

यदि इन सभी चीज़ों को खरीदा जाए तो मोटे हिसाब से एक व्यक्ति के एक महीने का खर्चा लगभग 150 रु. और 200 रु. के बीच पड़ता है (1984-85 की कीमतों पर)। यदि एक परिवार में 5 सदस्य माने जाएं तो एक परिवार के एक महीने का खर्चा लगभग 750-1000 रु. होगा - यानी एक परिवार के साल भर का खर्चा लगभग 9000 रु. से 12,000 रु. पड़ेगा। सरकार ने 1985 में हिसाब लगाकर यह तय किया कि जिन परिवारों की आमदनी साल में 6,400 रु. से कम है, वही परिवार ग़रीब है। सरकारी हिसाब से 1985 में 100 में से लगभग 40 लोग ऐसे थे जिन के पास भरपेट खाने को नहीं था।

सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए क्या किया

करोड़ो लोग इतने ज़्यादा ग़रीब है तो क्या सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए कुछ नही किया? ग़रीबो की सहायता के लिए कुछ नही कर रही है? आओ देखे, स्वतंत्रता के बाद ग़रीबी दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? ये प्रयास कितने सफल रहे?

भूमि सीमा कानून और भूमि वितरण

भूमिहीनो को भूमि बांटने की मांग को देखते हुए सरकार ने सीलिंग कानून बनाया और भूमिहीनो को ज़मीन बांटने का तय किया। सीलिंग कानून मे नियम बना कि किसी भी व्यक्ति के पास एक निश्चित सीमा से अधिक ज़मीन नही रहेगी। अलग-अलग प्रांतो मे अलग-अलग सीमा रखी गई। किसी प्रांत मे 30 एकड़ थी तो कही 60 एकड़। सूखी और सिंचित ज़मीन की भी भूमि सीमा अलग थी। सीलिंग मे मिली ज़मीन सरकार भूमिहीनो को बांटेगी। सीलिंग कानून से बड़े किसान खुश नही थे और उन्होने इससे बचने के तरीके निकाल लिए और सीलिंग से अपनी बहुत सी ज़मीन बचा ली।

इस तरह सरकार बांटने के लिए बहुत कम ज़मीन ज़मींदारों व बड़े किसानों से ले पाई। पर जितनी ज़मीन सरकार के पास थी और जितनी सरकार को मिली, उस मे से भी बहुत कम ज़मीन भूमिहीनो को बांटी गई। उदाहरण के लिए पंजाब मे वितरण के लिए 4 लाख एकड़ ज़मीन उपलब्ध थी पर भूमिहीनो को केवल एक लाख एकड़ बांटी गई।

जहां अच्छी ज़मीन हरिजन, आदिवासी व भूमिहीन मज़दूरो को बांटी भी गई, वहां ज़मीदारो और बड़े किसानो ने उसका कड़ा विरोध किया और कुछ जगहो पर लठ्ठ और बंदूको के ज़ोर पर हरिजनो को ज़मीन लेने से रोका। ऐसी घटनाओ के कुछ उदाहरण है-

कुछ साल पहले बिहार सरकार ने बण्टा रामपुर गांव के कुछ बड़े किसानो को पूरा मुआवज़ा देकर, उन से लगभग साढ़े तीन एकड़ ज़मीन ली और कुछ हरिजनो को खेती करने के लिए बांट दी। तब से वे बड़े किसान इन हरिजनो को तरह-तरह से परेशान कर रहे थे। पर जब हरिजनो ने ज़मीन नही छोड़ी तो 1981 मे बड़े किसानो ने 122 हरिजनो की झोपड़ियां जला डाली।

1970 मे दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के पास खन्जावाला गांव मे 120 हरिजनो को पांच साल के लिए एक-एक एकड़ ज़मीन दी थी। बड़े किसानो ने कोर्ट मे इसके खिलाफ अर्ज़ी डाली। कोर्ट ने हरिजनो को दिया गया ज़मीन का पट्टा 5 और सालो के लिए बढ़ा दिया। बड़े किसानो ने इन हरिजनो को इतना डराया धमकाया और पीटा कि कई हरिजन डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए।

ज़मीन का वितरण आज भी बहुत असमान है। किसान 12 % भूमिहीन है। किसानो मे से आधे से आधिक के पास 2.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है। इन किसानो के पास कुल खेतिहर भूमि का केवल 12% हिस्सा है।

भूमि वितरण से ग़रीबी की समस्या पर क्या प्रभाव हो सकता है, समझाओ।
भूमिहीनों को भूमि बांटने मे क्या दिक्कते सामने आई?

ग़रीबी दूर करने के कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग़रीबों को जीविका के साधन देने के लिए बना सब से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम ग्रामीण ग़रीब मज़दूर, किसान, कारीगर परिवारो के लिए 1978-79 मे शुरू किया गया था। इससे पहले भी ग़रीब किसानो के लिए कई

पंजाब में रस्सी बनाने वाले कारीगर को इस कार्यक्रम में मिली मशीन

कार्यक्रम चल रहे थे - ख़ासकर सूखे इलाको मे। इन सभी कार्यक्रमो को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मे सम्मिलित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है - जिन परिवारो की आमदनी लगभग 6,400 रुपए प्रति वर्ष से कम है, उन्हे जीविका का साधन उपलब्ध कराना। आशा यह है कि इन साधनो से परिवार को इतनी आय हो पाएगी कि वे अपनी कुल आमदनी से कम से कम अपने भोजन की ज़रूरत पूरी कर सकें।

ग़रीब परिवारो को जीविका का साधन - जैसे भैस, बकरी, मुर्गी, मिट्टी या चमड़े जैसे धंधे का सामान, आटा चक्की, रिक्शा आदि देना इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू है। ये साधन ऋण के रूप मे दिए जाते हैं - यानी इस के लिए शुरू मे कोई पैसे नही भरने पड़ते। जैसे-जैसे साधन से आमदनी होती है, ऋण लौटाना पड़ता है। ऋण पर कम ब्याज लगता है। छोटे किसानो का एक-चौथाई और मज़दूरो और कारीगरो का एक-तिहाई ऋण माफ हो जाता है। यदि इस योजना मे 6,000 रुपए की भैस किसी परिवार को दी गई और यदि वह छोटा किसान है तो उसे 4500 रुपए लौटाना पड़ेगा, यदि वह मज़दूर और मज़दूर या कारीगर को नौ हज़ार रुपए तक का साधन दिया जा सकता है।

हरिजन या आदिवासी को 10,000 रुपए तक का साधन मिल सकता है और उसका आधा ऋण माफ हो जाता है। ये ऋण बैको के माध्यम से दिए जाते है। इसके बारे मे तुमने बैंक के अध्याय मे पढ़ा था। ऋण के रूप मे दिए गए साधन बैंक के नाम रहन रखवाए जाते है।

विकास खंड (ब्लॉक) और पंचायत के माध्यम से ये ऋण दिलवाए जाते है। इनकी पूरी जानकारी ग्राम सेवक, पंचायत या ब्लॉक आफिस से मिल सकती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कितना सफल?

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) मे सरकार का लक्ष्य था कि डेढ़ करोड़ (150 लाख) ग़रीब परिवारो को इस कार्यक्रम के अंतर्गत साधन उपलब्ध कराए जाएं। एक करोड़ पैसठ लाख परिवारो को ये साधन दिलवाए गए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्सर भैस या गाय दी जाती है। बहुत से ग़रीब परिवार ऐसे है जिन के पास ज़मीन नही है। उन्हे चारा खरीदना पड़ता है। कई गांवो मे दूध बेचने के लिए ठीक से कोई प्रबंध नही किया गया। दूध बहुत दूर बिकता है या सस्ता बिकता है। फिर बीच मे भैस दूध देना बंद कर देती है। इस समय ग़रीबो के पास चारा खरीदने के पैसे नही होते। उन्हे साहूकार से उधार लेना पड़ता है। कई लोग ये उधार चुका नही पाते तो उन्हे भैस बेचनी पड़ जाती है। ऐसे ही कई और उदाहरण है जिनमे कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए साधनो के उपयोग के लिए इन ग़रीब परिवारो को पर्याप्त सहयोग नही मिल पाता है। इसीलिए उन्हे कुछ ही समय तक इन साधनो का लाभ मिलता है।

ऐसे अनुभवो से पता चला है कि ग़रीबो को जीविका का साधन देना ही पर्याप्त नही, इन साधनो के लिए सहयोग देना ज़रूरी है। यदि भैस दी जा रही है तो उसके साल भर के चारे का प्रबंध होना ज़रूरी है। दूध बेचने का प्रबंध होना चाहिए। कम से कम दो भैसे दी जानी चाहिए - ताकि कम से कम एक भैस का दूध हमेशा मिलता रहे। तभी इनकी ग़रीबी स्थाई रूप से दूर की जा सकेगी।

1985 मे योजना आयोग ने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। इस रपट मे उन्होने इस प्रकार की कई कमियो के बारे मे लिखा है।

कुछ जगह यह पाया गया है कि वास्तव मे जो ग़रीब परिवार थे, उन्हे मिले साधनो का उपयोग कोई और कर रहे हैं। कही-कही यह देखने मे आया है कि हरिजन/आदिवासी परिवार को दी गई गाय या भैस गांव के अन्य बड़े परिवारो ने अपने घर बंधवा ली है और वे ही उनका उपयोग कर रहे है।

योजना आयोग की रपट मे यह भी कहा गया है कि कई जगहो पर लोगो को ऋण लेने के लिए पैसे यानी रिश्वत देनी पड़ी है। दूसरी तरफ जिन लोगो को यह ऋण मिला है उनमे से कई लोग बैंक को पैसे नही लौटा पाए है। यदि बैंक के पास ऋण के पैसे बापिस नही आते तो वह दूसरो को ऋण कैसे देगा? रपट मे कहा गया है कि यदि ये समस्याएं बनी रहेगी तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य पूरे नही होगे।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन करो।
तुम्हारे गांव से कुछ ऐसे परिवारो के उदाहरण दो जिन्होने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण लिया हैं। इससे उन्हे क्या फायदा हुआ, चर्चा करो।
क्या तुम्हारे गांव मे ऐसे परिवार हैं जिन्हें ऋण मिलना चाहिए था पर मिला नही? इसका क्या कारण है, चर्चा करो।
अमीर लोग इस कार्यक्रम का फायदा कैसे उठाते है?

रोज़गार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1980 मे शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य थे।

1. ग़रीब ग्रामीण परिवारो, (ख़ासकर भूमिहीन मज़दूरो, हरिजन और आदिवासियो) को रोज़गार उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी ज़रूरते पूरी करने के लिए और आमदनी कमा पाएं।

2. इस रोज़गार द्वारा ऐसे साधन बनाना जो कि गांव के लोगो, ख़ासकर ग़रीबो के काम आएं। हरिजन व आदिवासियो के लिए मकान, उनके लिए कुआं व हैडपंप, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, भूमि संरक्षण (जैसे मेड़ बनाना, पेड़ लगाना, नाली बनाना, खेत से पानी निकास की व्यवस्था), सड़क बनाना आदि। इस कार्यक्रम मे ऐसे कामो पर ज़ोर है, जिसमे ज़्यादा से ज़्यादा लोगो को रोज़गार मिल सके।

ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गांरटी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का ख़ास उद्देश्य है : हर भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल मे कम से कम सौ दिन काम उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम द्वारा भी कुएं व मकान बनाए गए, जंगल लगाए गए। यह कार्यक्रम 1983 मे शुरू किया गया था।

हमने देखा था कि सरकारी अनाज भंडार काफी बढ़ गए थे, परंतु फिर भी लाखो ग़रीबो के पास खाने को काफी अनाज नही था। इसलिए सरकार ने तय किया कि इन कार्यक्रमो मे मज़दूरी के भुगतान में हर व्यक्ति को एक या दो किलो अनाज और बाकी मज़दूरी नगद मे दी जाएगी।

रोज़गार कार्यक्रम में सड़क के लिए मिट्टी की खुदाई

1989 मे इन दोनो रोज़गार कार्यक्रमों को जोड़कर एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया - जवाहर रोज़गार योजना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि गांव के ग़रीब लोगो को अधिक रोज़गार मिले। इस कार्यक्रम मे नई बात यह है कि इसे चलाने के लिए पैसा सीधे पंचायत को दिया जाता है। पंचायत को तय करना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या काम किया जाना चाहिए। गांव के लोग अपने हिसाब से योजना बनवाते है और काम करवाते है।

यह काम पहले ब्लाक आफिस के कर्मचारियो के द्वारा किया जाता था। पंचायत को सीधे पैसे देने का उद्देश्य है कि गांव के लोगो की भागीदारी और जवाबदारी अधिक हो पाए।

रोज़गार कार्यक्रमो का मूल्यांकन

इन रोज़गार कार्यक्रमो मे लाखो लोगो को रोज़गार मिला है। उनकी आमदनी भी बढ़ी है। ख़ासकर सूखे इलाको में और सूखे के संकट के समय जब खेती का काम ठप्प हो जाता है, तब इन रोज़गार कार्यक्रमो द्वारा ही लोग अपना गुज़ारा कर पाते है।

इन कार्यक्रमो की कई कमियां है। मज़दूरी का भुगतान एक या दो हफ्तो मे एक बार होता है। अक्सर बहुत ग़रीब लोग हफ्ते भर तक मज़दूरी के भुगतान के लिए नही रुक पाते।

इन रोज़गार कार्यक्रमो मे अनाज के रूप मे आम तौर पर गेहूं दिया जाता है चूंकि गेहूं का ही अधिक भंडार है। पर बहुत से लोग चावल या कोई दूसरा अनाज खाते है, इसलिए वे गेहूं लेना पसंद नही करते। जो गेहूं मिलता भी है, वह कई बार घटिया, सीढ़ा, या घुन लगा हुआ होता है, इसलिए भी लोग इन कार्यक्रमो मे मिल रहे अनाज को लेने से मना कर देते है। पंचायत को पैसो मे मज़दूरी देनी पड़ती है। अतः अनाज के भंडार का उचित उपयोग भी नही हो पाया है।

रोज़गार कार्यक्रमो मे जो लोग काम करते है, उनके नामो की सूची का एक हाज़री रजिस्टर रखा जाता है जिसे "मस्टर" कहते है। कही-कही पर "मस्टर" मे अधिक मज़दूरी पर मज़दूरो से अंगूठा लगवाते है और कम मज़दूरी देते है।

कई बार फर्ज़ी मस्टर रखे जाते है। यानी जिन लोगो ने कभी काम नही किया, उनके नाम मस्टर मे दर्ज़ रहते है और इन नामो के आगे किसी के भी अंगूठो के निशान होते है। इस तरह के फर्ज़ी मस्टर कई जगह पकड़े गए है। इन कमियो को दूर करना ज़रूरी है।

जवाहर रोज़गार योजना से किस बात मे परिवर्तन आया है?

अपने शब्दों में समझाओ कि इन कार्यक्रमो मे क्या कमियां है।

क्या तुम्हारे गांव मे इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम हुआ है? सूची बनाओ। इससे क्या फायदा हुआ, चर्चा करो।

को रोज़गार मिला है जिनके पास सबसे कम ज़मीन या धंधा या रोज़गार के मौके हैं?

ग़रीबी दूर करने के कार्यक्रमो पर बहुत कम पैसे खर्च किए जाते है। यदि सभी ग़रीबो को ऐसे जीविका के साधन या रोज़गार दिलाना है, जिससे ग़रीब परिवारो की कुल आमदनी 6,400 रुपए साल से ऊपर हो जाए तो सरकार को एक साल मे लगभग 8250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेगे। परंतु सरकार ने इन कार्यक्रमो पर 1985 से 1990 तक केवल 1500 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए।

जवाहर रोज़गार योजना का एक मूल्यांकन उत्तर प्रदेश की 39 ग्राम पंचायतो का सर्वेक्षण करके किया गया था। इस अध्ययन मे कहा गया है कि पैसो का सही उपयोग नही हो पा रहा है। इस अध्ययन मे सुझाव है कि जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत जो पैसे पंचायत को दिए जाएं, गांव मे डोंड़ी पिटवाकर सभी को ख़बर करना चाहिए। उन्होने जिन गांवो का सर्वेक्षण किया वहा लोगो को जानकारी तक नही थी कि कितने पैसे पंचायत को इस काम के लिए मिले है। उनका दूसरा सुझाव था कि जवाहर रोज़गार योजना के पैसे निकालने का अधिकार सरपंच एवं एक अन्य नही होना चाहिए। उनके सर्वेक्षण मे पाया गया था कि जहां सरपंच को हिसाब-किताब की जानकारी नही थी वहां सचिव ने इस कमी का फायदा उठाते हुए पैसो का दुरुपयोग किया था।

इस अध्ययन का तीसरा सुझाव था कि सरपंच एवं पंचो की ट्रेनिग होनी चाहिए। अधिकांश गांवो मे केवल फर्शी डालने का काम इस योजना के द्वारा किया गया है। अन्य उपयोगी काम किए जा सकते है यदि लोगो को ट्रेनिंग दी जाए। कई गांवो मे पाया गया कि सड़क बनी और बारिश मे धुल गई। उस पर खर्च किए गए पैसो का कोई लाभ नही मिला। इस प्रकार के कई उदाहरण पाए गए। जब गांव के लोग अपने पंच और सरपंच पर दबाव डाले और काम पर नज़र रखे तभी बेहतर काम हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के अध्ययन मे बताई गई कमियां क्या तुम्हारे गांव मे भी देखने को मिलती हैं?

ग़रीबी दूर करने के इतने प्रयासो के बावजूद हमारे देश मे ग़रीबी और भुखमरी बनी हुई है। ग़रीबी कैसे दूर की जाए यह एक मुश्किल समस्या है। हम सब को मिलकर इसे हल करने की कोशिश करना ज़रूरी है।

अभ्यास के प्रश्न

1. पृष्ठ 189 पर दी गई भोजन की तालिका के आधार पर पांच सदस्य वाले एक परिवार के महीने भर के भोजन के खर्चे का हिसाब लगाओ (आज की कीमतों पर)। इसके लिए तुम्हें अनाज, दाल, सब्ज़ी, दूध, तेल, शक्कर आदि के भाव पता करने होंगे।
2. ग़रीब भूमिहीनों को ज़मीन बांटने मे क्या क्या बाधाएं आईं?
3. पता करो कि तुम्हारे क्षेत्र मे भूमि सीमा कितनी है - सिंचित और असिंचित। क्या तुम्हारे यहां गरीबों को ज़मीन दी गई? इस के बारे मे पता करके लिखो।
4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ऋण किस प्रकार दिया जाता है?
5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दो कमज़ोरियां लिखो।
6. रोज़गार कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य क्या है?
7. अपनी पंचायत से पता करो कि पिछले साल में ग्रामीण विकास और रोज़गार कार्यक्रमों के लिए उसे कितना पैसा मिला था। इन पैसों से तुम्हारे गांव मे क्या-क्या काम करवाए गए है?